www.indiatodayhindi.in

धर्मः अखाड़ों में दंगल का अंदेशा | ड्रोनः भारतीय उपमहाद्वीप के नए निगहबान | आइएसआइः लव, सेक्स और जासूसी

10 नवंबर, 2021 50 रुपए

इंडिया टुडे

जेल या ज़मानत?

ज़मानत आसानी से मिलती नहीं, ठसाठस भरी भारतीय जेलों के 70 फीसद विचाराधीन कैदी न्याय की अंतहीन प्रतीक्षा में

न्याय व्यवस्था में सुधार की दरकार

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 60 (आवरण सहित)

TAFE
CELEBRATING 60 YEARS OF CULTIVATING THE WORLD
MASSEY FERGUSON
दुलाई हो या खेती
मैसी डायनाट्रैक से बड़ा ऑल-राउंडर कोई नहीं
पेश है मैसी डायनाट्रैक, टैफ़े की ओर से टेक्नोलॉजी का एक और चमत्कार।
इसमें है ऐसी अत्याधुनिक विशेषताएँ, जो ट्रैक्टरों की दुनिया में है सर्वप्रथम।
DYNA TRACK®
सबसे बड़ा ऑल-राउंडर
MASSEY FERGUSON
इससे बढ़कर टेक्नोलॉजी नहीं
दुलाई के लिए
HIGHER GROUND CLEARANCE
सबसे ऊँची ग्राउंड क्लीयरेंस
EXTENDABLE WHEEL BASE
दुनिया का पहला एक्सटेंडेबल व्हीलबेस
MAXX OIB
कड़क मैक्स OIB
खेती के लिए
QUADRA
भारत का इकलौता 4-इन-1 क्वाड्रा PTO
DynaLift Hydraulics
ज़्यादा लिफ़्ट हाइट डायनालिफ़्ट हाइड्रॉलिक्स
24 SPEED SUPER SHUTTLE
पहला 24 स्पीड ABC गियर बॉक्स
क्योंकि बाकी सब सिर्फ़ ट्रैक्टर हैं
यह मैसी है
Product of Superior Technology from TAFE
masseyfergusonindia.com
टोल फ्री: 1800 4 200 200

प्रधान संपादक की कलम से

जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले दिए. 1977 के अपने ऐसे ही एक फैसले में उनके शब्द थे, ''बुनियादी नियम जमानत है, जेल नहीं.'' वे अनुच्छेद 21 की व्याख्या कर रहे थे कि हिरासत नियम क्यों नहीं होना चाहिए. यह अनुच्छेद व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है.

आज हालत यह है कि हमारी लचर न्याय व्यवस्था का दंश विचाराधीन कैदियों को झेलना पड़ता है—यानी उन लोगों को जिन्हें कानून के उल्लंघन के संदेह में पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जिन्हें दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाना चाहिए. इस समय देश भर की जेलों में 3,30,487 विचाराधीन कैदी हैं. यह संख्या लद्दाख की आबादी से भी ज्यादा है. जिनका अपराध अभी साबित होना है, ऐसे विचाराधीन कैदी भारत की जेलों में बंद लोगों की कुल तादाद के 69 फीसद हैं और इससे एक और सचाई उजागर होती है. भारत में न्याय का पहिया अक्सर इतना धीमे घूमता है कि प्रक्रिया ही सजा बन जाती है. अंधाधुंध गिरफ्तारी, जांच में देरी और गिरता-लुढ़कता मुकदमा कैद की मियाद बढ़ाने में योगदान देता है. जमानत अपवाद बन गई है, नियम नहीं. विधि आयोग ने चार साल पहले एक रिपोर्ट में लिखा था कि भारत में महज 28 फीसद यानी औसतन तीन में से एक आरोपी को जमानत मिलती है.

2002 के अक्षरधाम आतंकी हमले के आरोपी छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बरी कर दिया. तब तक वे जेल में 10 साल बिता चुके थे. पिछले साल मार्च में सूरत की एक अदालत ने 127 लोगों को आतंक के आरोपों से बरी कर दिया. 20 साल की कैद के बाद वे आजाद हुए.

अक्सर कमजोर आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है. सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि गंभीर बीमारियों के शिकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, छात्रों और कारोबारियों को मुकदमे से पहले लंबे वक्त के लिए जेलों में रखने की जरूरत आखिर क्यों है? अगर 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जाता तो कानून जमानत का अधिकार देता है. पुलिस इस नियम का उल्लंघन करती है, क्योंकि गरीब और अनपढ़ अक्सर अपने अधिकार से वाकिफ नहीं होते. सरकार की मुफ्त कानूनी सहायता आरोपपत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद लागू होती है. मुकदमा शुरू होने में तो अंतहीन वक्त लगता ही है.

नामचीन आरोपियों को एनडीपीएस (नार्कोटिक्स ड्रग्स ऐंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस), यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटीज—प्रीवेंशन—अमेंडमेंट) और पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट) सरीखे विशेष कानूनों के सख्त प्रावधानों के जाल में फंसा लिया जाता है, जिनमें अभियोजन कानूनी प्रावधानों के सहारे हमेशा जमानत का विरोध करता है. इससे न्यायशास्त्र की बुनियादी मान्यता—दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष है—उलट जाती है.

हमारी न्याय व्यवस्था के कमजोर होने की वजह खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. भारतीय दंड प्रक्रिया पुलिस, न्यायपालिका और जेलों के तिपाये पर टिकी है. तीनों ही पाये बहुत ज्यादा बोझ से दबे और अशक्त हैं और इसलिए समुचित काम नहीं कर पाते. संयुक्त राष्ट्र प्रति एक लाख लोगों पर 222 पुलिसकर्मियों की सिफारिश करता है. मगर भारत में प्रति एक लाख आबादी पर महज 137 पुलिसकर्मी हैं. न्यायपालिका में भी कर्मचारियों की घोर कमी है. भारत में प्रति दस लाख आबादी पर 21 न्यायाधीश हैं, जबकि चीन में 147 और अमेरिका में 102. करीब 120 फीसद की ऑक्युपेंसी रेट के साथ भारत की 1,350 जेलें खचाखच भरी हुई हैं. ये कैदी अमानवीय हालात में रहते हैं, जिनमें ज्यादातर विचाराधीन हैं.

गिरफ्तारी के हथियार का इस्तेमाल बगैर सोचे-विचारे किया जाता है. राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1980 में 60 फीसद गिरफ्तारियों को गैरजरूरी और जेल के 42 फीसद खर्चों के लिए जिम्मेदार बताया था और गिरफ्तारियों के लिए दिशानिर्देश तय किए थे. 2010 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 को संशोधित करके कुछ निश्चित प्रावधान स्पष्ट किए गए कि बस इन्हीं के तहत किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है. उनमें एक निर्देश यह था कि केवल सात साल कैद की सजा वाले मामलों में ही गिरफ्तार किया जाए. मगर आंकड़ों से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों को इस संशोधन का पालन अभी करना है.

निचली अदालतों में तीन साल से कम सजा वाले छोटे-मोटे अपराधों में भी जमानत की धनराशि 10,000 रुपए है. यह 57 फीसद भारतीयों की मासिक आमदनी से ज्यादा है.

भारत की दंड प्रक्रिया संहिता सुधारों के लिए छटपटा रही है. विधि आयोग ने पच्चीस साल पहले जमानत पर विचार करने के लिए दर्जन भर पहलुओं का जिक्र किया था. उसने सिफारिश की थी कि जमानत की अर्जियों पर फैसला लेते वक्त जज अपराध की गंभीरता, आरोपों के स्वरूप, आरोपी की हैसियत, उनकी पृष्ठभूमि तथा सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका, और निर्दोष होने की संभावना पर विचार करें. उसने स्पष्ट किया कि केवल अंतिम उपाय के तौर पर ही आर्थिक स्थितियों पर ध्यान दिया जाए और प्रस्ताव रखा कि विकल्प के तौर पर आरोपी की पहचान के मूल दस्तावेज अदालत में जमा करवाए जा सकते हैं. बदकिस्मती से इनमें से एक भी सिफारिश सीआरपीसी में नहीं जोड़ी गई.

हमारी आवरण कथा 'जमानत या जेल?' न्याय प्रणाली की खामियों का जायजा लेती है और इस बात की भी पड़ताल करती है कि दुनिया में विचाराधीन कैदियों की सबसे बड़ी आबादी आज भी आखिर भारत में क्यों है? इसे डिप्टी एडिटर कौशिक डेका ने लिखा है.

न्यायमूर्ति अय्यर सात साल पहले 99 साल की उम्र में गुजर गए. थोड़े अफसोस के साथ शायद आज भी उन्होंने कहा होता कि अब भी जमानत की बजाए जेल ही नियम बना हुआ है. उनके एक महान उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति डी.वाइ. चंद्रचूड़ ने हाल में अपने साथियों से इस बात को लेकर सजग रहने को कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की पहली रक्षा पंक्ति वे ही हैं—''किसी को उसकी स्वतंत्रता से एक दिन के लिए भी वंचित करना ज्यादती है.'' कोई नहीं कह सकता कि हमारी दंड व्यवस्था के सुधारों को अंजाम देने में अभी और कितने दिन लगेंगे और कितने मनुष्यों की बलि ली जाएगी. मगर हमें सच्चा लोकतंत्र बनना है तो बेहद जरूरी है कि इन सुधारों को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए.

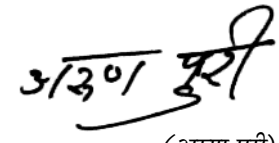

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: सौरभ द्विवेदी
डिप्टी एडिटर: आशुतोष भारद्वाज
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो:, अभिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला

एसोसिएट पब्लिशर: विद्या मेनन (इंपैक्ट)
इंपैक्ट टीम
नेशनल हेड: सुपर्णा कुमार (गवर्नमेंट ऐंड पीएसयू)
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 50; 4-10 नवंबर, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

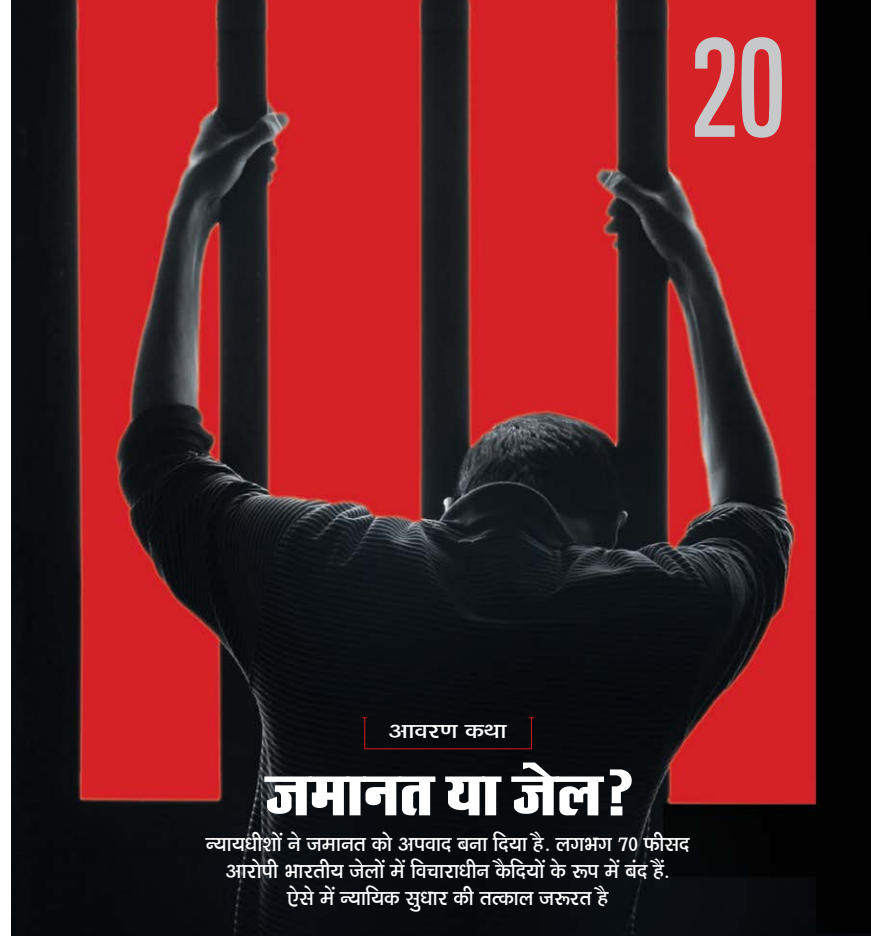

आवरण कथा

जमानत या जेल?

न्यायधीशों ने जमानत को अपवाद बना दिया है. लगभग 70 फीसद आरोपी भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों के रूप में बंद हैं. ऐसे में न्यायिक सुधार की तत्काल जरूरत है

फोटो इलस्ट्रेशन: नीलांजन दास

भीतर

सुर्खियां
बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र: केंद्र सरकार का अधिकार
पेज 5

पंजाब/दलित उत्पीड़न: जर-जमीन से वंचित जाति
पेज 8

फुरसत
किताबें: सम्मान को लेकर उदासीन अनुक
पेज 56

सवाल-जवाब/शारदा सिन्हा: अइसन बिपतिया
पेज 58

अखाड़ा
32 रवींद्र पुरी बनाम रवींद्र पुरी
साधु-संतों के बीच विवाद को रोकने के लिए बनी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के भीतर दंगल शुरू गया है.

ड्रोन
36 उपमहाद्वीप के निगहबान
भारतीय सेना अमेरिका में बने एमक्यू-9वी ड्रोन पाने के लिए 3 अरब डॉलर के सौदे पर बातचीत कर रही है.

आयुर्वेद
40 लोकप्रिय होता पारंपरिक इलाज
कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य और आरोग्य बाजार में आया बड़ा उछाल.

रूप जाल
50 लव, सेक्स और जासूसी
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी युवतियों के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों को ऑनलाइन प्रलोभन में फंसाकर उनसे सेना और सरकार से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटा रही है

इंडिया टुडे

इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करें: Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण: नीलांजन दास

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

पंजाब/ दलित उत्पीड़नः
जर-जमीन से वंचित जाति
पेज 8

सांस्कृतिक ध्रुवीकरणः
जश्न-ए-एतराज
पेज 10

सुर्खियां

केरलः इंद्रदेव
का प्रकोप
पेज 16

समाचार सारः
अवहेलना की पीड़ा
पेज 18

रायटर्स

प्रहरियों की गश्त
त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर गश्त लगाता बीएसएफ का दस्ता

बीएसएफ अधिकार क्षेत्र

केंद्र सरकार का अधिकार

रोमिता दत्ता

अक्तूबर की 11 तारीख को गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके कुछ राज्यों में बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के अधिकार क्षेत्र को एकतरफा रूप से बदलने के अपने फैसले की घोषणा की तो उसका विरोध शुरू हो गया और केंद्र पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगने लगे. पंजाब की कांग्रेस सरकार और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार का कहना है कि यह अधिसूचना असंवैधानिक है क्योंकि यह कानून और व्यवस्था के मामलों में राज्य को मिले अधिकारों का अतिक्रमण करती है. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पिछले एक पखवाड़े से अपना विरोध जता रहे हैं. कई लोगों का आरोप है कि भाजपा आलाकमान उन राज्यों में पुलिसिया ताकत हासिल करने के लिए बीएसएफ का उपयोग कर रहा है, जहां वह सत्ता में नहीं है.

वहीं केंद्र का कहना है कि गृह मंत्रालय की यह अधिसूचना केवल कुछ राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का 'मानकीकरण' भर करती है. इससे पहले, बीएसएफ के जवान गुजरात की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 80 किमी चौड़ी पट्टी, राजस्थान में 50 किमी चौड़ी पट्टी और असम, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में 15 किमी चौड़ी पट्टी की निगरानी के लिए तैनात थे. अब बीएसएफ के जवान सभी पांच राज्यों में 50 किमी के इलाके की निगरानी करेंगे.

14 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा: '(पश्चिम बंगाल) नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है और जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के 2,164.71 किमी क्षेत्र में फैला है... (गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद) राज्य

के कुल क्षेत्रफल का करीब 37 प्रतिशत क्षेत्र बीएसएफ के विस्तारित अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा और राज्य की कार्यकारी शक्तियों तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने की राज्य पुलिस की क्षमता में हस्तक्षेप करेगा.' उन्होंने गृह मंत्रालय की अधिसूचना को भी असंवैधानिक बताया और कहा कि केंद्र ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने से पहले राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया था.

टीएमसी के नेता बीएसएफ के माध्यम से राज्य में केंद्र की बढ़ती पहुंच के राजनैतिक परिणामों को लेकर भी चिंता जता रहे हैं. बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अब उत्तरी बंगाल के आठ में से छह जिलों में हो गया है. राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे कहते हैं, ''बीएसएफ का नया अधिकार क्षेत्र बंगाल के एक-तिहाई क्षेत्र को कवर करता है—यह बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 50 प्रतिशत के चुनाव को प्रभावित करेगा.'' सब लोगों का आशंका है कि केंद्र की नई पुलिस शक्तियां राज्य के बंटवारे की मंशा से उठे शुरुआती कदम हैं. हालिया अतीत में, भाजपा के कुछ सांसदों ने उत्तरी बंगाल को एक अलग राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की थी.

वहीं, बीएसएफ के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के 'मानकीकरण' के तर्क पर कायम हैं. वे कहते हैं कि उनकी शक्तियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है. नाम न छापने की शर्त पर बीएसएफ पूर्वी क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ''बस अधिकार क्षेत्र का विस्तार हुआ है. बीएसएफ के पास अपराधों की जांच करने की कोई शक्ति नहीं है और उसे संदिग्धों को स्थानीय अधिकारियों को सौंपना पड़ता है. (गृह मंत्रालय की) अधिसूचना जिस नियंत्रण के बारे में बात करती है, वह जरूरत-आधारित होगी. ऐसा नहीं है कि अब 50 किलोमीटर के इलाके में सैनिकों को वर्चस्व बढ़ाने के लिए तैनात किया जाएगा.'' यह सच है कि बीएसएफ के पास वैसी ही शक्तियां है जैसी उसके पास पहले थीं. इसके पास मोटे तौर पर छापेमारी, हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ करने के अधिकार हैं और हिरासत में लिए गए लोगों को 24 घंटे के भीतर राज्य पुलिस को सौंपना होता है. फिर भी, फिलहाल एक केंद्रीय एजेंसी के तौर पर यह राज्य के 37 प्रतिशत हिस्से में एक प्रमुख पुलिस शक्ति बन चुकी है.

पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने 15 अक्तूबर को गृह मंत्रालय की अधिसूचना को 'संघीय ढांचे पर सीधा हमला' बताया था और एक

अधिसूचना के बाद

सीमा से 50 किमी
तक के क्षेत्र बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में होंगे

37%
हिस्सा पश्चिम बंगाल के कुल क्षेत्रफल का अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में होगा

50
पुलिस थानों का अधिकार क्षेत्र अब पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र से ओवरलैप करेगा

प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ध्यान दिलाया कि पश्चिम बंगाल का 37 फीसद हिस्सा अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा

ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 'इस बेतुके फैसले को तुरंत वापस लेने' की मांग की थी. 25 अक्तूबर को चंडीगढ़ में एक सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह दोहराया कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और अधिसूचना जारी करने से पहले उनकी सरकार से परामर्श नहीं किया गया था, इसलिए उनकी सरकार अधिसूचना को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को तैयार है. उन्होंने यह भी कहा कि इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा.

पश्चिम बंगाल में, सौगत रॉय और सुखेंदु शेखर रे जैसे टीएमसी नेताओं ने भी इसे 'संघीय ढांचे पर हमला' करार दिया है. पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से 10 जिलों के अधिकांश क्षेत्र बीएसएफ के नए अधिकार क्षेत्र में आ चुके हैं. इनमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद तथा उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले शामिल हैं. राज्य के गृह विभाग के अनुसार, इसका मतलब है कि लगभग 50 पुलिस थानों का अधिकार क्षेत्र और बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र आपस में टकराने वाला है. कूचबिहार और दक्षिण दिनाजपुर जिले में तो सभी पुलिस स्टेशन नई अधिसूचना से प्रभावित होंगे; वहीं उत्तरी दिनाजपुर, मालदा और दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों में करीब 90 फीसद थानों का अधिकार क्षेत्र प्रभावित होगा.

विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीएसएफ का नियंत्रण भाजपा आलाकमान के हाथों में है और उन्हें डर है कि बंगाल को कहीं इसके सांप्रदायिक नतीजे न भुगतने पड़ जाएं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (माकपा) के नेता जमीर मुल्ला कहते हैं, ''मालदा में 14 में से नौ और मुर्शिदाबाद में 29 में से 15 थाने अब बीएसएफ के नियंत्रण में होंगे. इन दोनों जिलों में 55 फीसद से ज्यादा मुस्लिम आबादी है.'' उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिणपंथी कट्टरपंथी गतिविधियों में पहले ही वृद्धि हुई है. पार्टी के दिग्गज नेता आलोकेश दास एक अन्य डर को लेकर आगाह करते हैं. वे कहते हैं, ''यहां तक कि बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कभी-कभी धार्मिक समूहों के साथ मंच साझा करते देखा गया है. लोगों की आजीविका प्रभावित होगी. बीएसएफ के पास गिरफ्तारी, जब्ती और छापेमारी की शक्ति है, इसलिए इन जिलों में—जहां अल्पसंख्यक आबादी अधिक है—उत्पीड़न और अनावश्यक नजरबंदी का डर है.''

कुछ लोगों का कहना है कि शक्तियों का दुरुपयोग पहले से ही हो रहा है. टीएमसी के मुखपत्र *जागो बांग्ला* में लिखे एक कॉलम में, सुखेंदु शेखर रे ने बीएसएफ के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाया. उन्होंने लिखा कि पिछले पांच वर्षों में निर्दोषों पर हमले के लिए बीएसएफ के लोगों के खिलाफ लगभग 240 मामले दर्ज किए गए थे. बीएसएफ के भ्रष्ट अधिकारियों पर तस्करों के साथ साठगांठ के भी आरोप लगे हैं. नवंबर 2020 में, सीबीआइ ने बीएसएफ के एक कमांडेंट सतीश कुमार को पशु तस्करी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था. उसके भ्रष्टाचार में टीएमसी का एक युवा नेता भी शामिल था.

बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार पर टीएमसी और भाजपा के बीच रस्साकशी से जाहिर है कि बात सिर्फ अधिकार क्षेत्र से जुड़े एक विधायी मामले तक सीमित नहीं है. भाजपा नेता दिलीप घोष पूछते हैं, ''बीएसएफ के भ्रष्ट तत्वों के साथ मिलकर टीएमसी के नेता पशु तस्करी कर रहे थे. बीएसएफ के कामकाज का आकलन अब क्या टीएमसी करेगी कि वह ठीक है या नहीं?'' इस जंग के अब अदालत में जाने की संभावना है. ■

50% से 80% लोगों को Vitamin D, B12, Calcium, Iron, Omega, Vitamin C, Zinc और Protein की कमी है

जिसकी वजह से वो low immunity, arthritis, ख़ून की कमी, कमजोरी, कैन्सर, autoimmune disease, brain और nervous system की ख़तरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं।

Nutrela™ के Bio-fermented, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक एवं 100% शाकाहारी पोषण अपनायें, स्वस्थ रहें और रोगों से लड़ने की शक्ति पायें

Ruchi
Ruchi Soya Industries Limited

पतंजलि®
Nutrela™
NUTRITION

COLLAGENPRASH
त्वचा की झुर्रियाँ हटाकर 100 साल तक जवान रहने के लिए अपनाइए Collagenprash

DAILY ACTIVE
Multivitamin
41 पोषक तत्वों से निर्मित, 13 विटामिन, 8 ऑर्गेनिक जड़ी-बूटियाँ, 12 मिनरल एवं 8 आवश्यक अमाइनो ऐसिड

VIT. & PROTEIN POWDERS
100% veg. और Plant based Bio-fermented न्यूट्रिशन आपके सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए 100% सुरक्षित

India's Most Certified Nutrition

ऑर्गेनिक ओमेगा	B-complex प्राकृतिक विकल्प	Bio-Fermented मल्टीविटामिन	मोती पिष्टी से निर्मित	लाईकेन से निर्मित	प्राकृतिक आयरन	कॉर्न इक्स्ट्रैक्ट से निर्मित	रोज़ हिप से निर्मित	प्राकृतिक Spirulina

Nutrela Sandesh

Online Store: Amazon, Orderme app, www.nutrelanutrition.com
Retail Store: आपके नज़दीकी सभी पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि स्टोर और सभी प्रमुख स्टोर पर उपलब्ध।

Join us on social media:

Ruchi Soya Industries Limited, Regd. Office: Ruchi House, Royal palms, Survey no. 169, Aarey Milk Colony, Near Mayur Nagar, Goregaon (E), Mumbai-400065
Website - www.nutrelanutrition.com, E-mail - wecare@nutrelanutrition.com. Phone - 7024022232

इंडियन एक्सप्रेस

खौफनाक वारदात
सिंघु बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या वाली जगह पर पुलिस अधिकारी

पंजाब/ दलित उत्पीड़न

जर-जमीन से वंचित जाति

अनिलेश एस. महाजन

अक्तूबर की 15 तारीख को पूरे देश ने टेलीविजन चैनलों पर वह भयावह दृश्य देखा था जिसमें पंजाब के तरनतारन जिले के एक 35 वर्षीय दलित सिख कृषि मजदूर लखबीर सिंह को दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन स्थल के पास प्रताड़ित कर मार डाला गया. अगले दिन हरियाणा पुलिस ने चार निहंगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार निहंगों—सरबजीत, नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत—ने दावा किया कि उन्होंने लखबीर को 'पवित्र ग्रंथ का अपमान' करने पर 'दंडित' किया था.

जितना विचलित करने वाली यह घटना थी, उससे भी अधिक बेचैन करने वाली है इस मुद्दे पर पंजाब के राजनैतिक तंत्र की खामोशी. यह चुप्पी इस वजह से और भी ज्यादा चुभने वाली है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री भी दलित सिख हैं. पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मुद्दे पर एक सोची-समझी चुप्पी बनाए रखी. शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर बादल, जिन्हें ग्रामीण दलित मजहबी/वाल्मीकि सिख अपना मुख्य हितैषी मानते हैं, ने भी चुप्पी साधे रखी. चूंकि यह घटना पवित्र पुस्तक के अपमान से जुड़ी बताई जा रही थी, इसलिए पंजाब में कोई भी राजनेता सिख धार्मिक नेताओं और ऊंची जातियों के सिखों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था.

पंजाब में दलितों का हिंसक उत्पीड़न कोई नई कहानी नहीं है. उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए धर्म से जुड़ी बहानेबाजी भी असामान्य नहीं हैं, लेकिन ये घटनाएं आम तौर पर मीडिया की निगाहों में नहीं आतीं. पिछली बार ऐसा समाचार अक्तूबर 2019 में राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था, जब संगरूर जिले में जगमाले सिंह नाम के व्यक्ति को पेड़ से बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया था. जगमाले ने एक जाट सिख से लड़ाई करने का 'पाप' किया था.

मजहबी दलित सिखों और ऊंची जाति के जाट सिखों में संघर्ष 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना के बाद अधिक होने लगा. सिख धार्मिक नेताओं का मानना है कि उस घटना के पीछे गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी थे. पंजाब में डेरे, और कुछ हद तक ईसाई चर्च, दलितों—ज्यादातर मजहबी—की शरणस्थली रहे हैं. उनमें से कई लोग डेरा सच्चा सौदा की ओर आकर्षित रहे हैं. डेरों ने दलितों को जमीन और अपने हक का दावा करने के लिए संगठित होने का आत्मविश्वास दिया है. यह बात ऊंची जाति के सिखों को अच्छी नहीं लगी क्योंकि इससे धर्म और जमीन पर उनके वर्चस्व को चुनौती मिलती है. पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली रविंदर कौर धालीवाल कहती हैं, ''धार्मिक संघर्ष जैसी घटनाएं अक्सर दलितों के खिलाफ संघर्ष में बदल जाती हैं. ज्यादातर मौकों पर दलित हारते हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों और सियासी ताकत की कमी है.''

चुनौती का आगाज

साल 2009 से जमीन प्राप्ति संघर्ष समिति (जेडपीएससी) नामक एक वामपंथी संगठन

मालवा क्षेत्र में ग्राम-स्तरीय समितियों के जरिए दलित युवाओं को लामबंद कर रहा है. जेडपीएससी हर गांव में 'आरक्षित' साझा भूमि के लिए सभी दलितों की सामूहिक बोली और खेती को प्रोत्साहित करता है. इससे उनका जाट सिखों से सीधा टकराव होता है. पंजाब में 1961 से पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) ऐक्ट लागू है, जो हर गांव की साझा कृषि भूमि का 33 फीसद दलितों के लिए आरक्षित करता है. इन जमीनों का वार्षिक पट्टा बोली से मिलता है. लेकिन धालीवाल बताती हैं कि जाट सिख किसान अपने किसी एवजी दलित उम्मीदवार को खड़ा करके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं.

हिंसक करतूत लखबीर की हत्या के आरोपी नारायण सिंह के साथ अमृतसर पुलिस

पंजाब में जाट सिखों की आबादी महज 18 फीसद है लेकिन राज्य की 93 फीसद जमीन पर उनका कब्जा है. वहीं दलितों की आबादी 32 फीसद है और उनके पास सिर्फ 3.5 फीसद जमीन है

स्रोतः कृषि जनगणना, 2015

वह कहती हैं, ''दलित यथास्थिति को चुनौती देने की स्थिति में नहीं हैं, और अंतत: मजहबी सिख खेतिहर मजदूर बन कर रह जाते हैं.''

2015 की कृषि जनगणना के मुताबिक, पंजाब की आबादी के 18 फीसद जाट सिखों के पास राज्य की 93 फीसद निजी भूमि का नियंत्रण है. वहीं दलितों (32 फीसद) के पास सिर्फ 3.5 फीसद जमीन है. इनमें भी मजहबी सिखों के पास 0.1 फीसद से भी कम जमीन है.

कृषि कानूनों के विरोध के बीच पूरे पंजाब में जाट सिख-बहुल पंचायतों ने मजहबी सिख मजदूरों की मजदूरी और स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए दंडात्मक प्रस्ताव लागू किए हैं. इनके अनुसार, खेतिहर मजदूरों को धान की बुवाई के लिए प्रति एकड़ 2,500-3,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा. मजदूरों को काम के लिए गांव से बाहर जाने से भी रोक दिया गया है. वहीं, प्रवासी श्रमिक इसी काम के 4,500 रुपए या ज्यादा लेते हैं.

चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से उम्मीदें बढ़ी हैं कि वे ग्रामीण दलितों के मुद्दों को हल करेंगे. इनमें भूमि सुधार लागू करना शामिल है. लेकिन, मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी के पहले महीने में उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिद्धू ने उलझाए रखा है.

अर्थहीन संख्याबल

लखबीर मजहबी सिख समुदाय का सदस्य था. 2011 की जनगणना के अनुसार, मजहबी सिख लगभग 35 फीसद बहुमत के साथ पंजाब के दलितों में सबसे बड़ा समुदाय हैं. लेकिन मजहबी न तो सियासी रूप से संगठित हैं और न ही राज्य में उनका प्रभावी नेतृत्व है. चन्नी दूसरे सबसे बड़े दलित समुदाय (30.4 फीसद) रामदासी सिख/रविदासी समूह से हैं. रामदासी सिख संपन्न हैं और उन्होंने शैक्षिक संस्थानों, नौकरियों और राजनैतिक संगठनों में आरक्षण के लाभों का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल कर रखा है.

सामाजिक स्थिति के मामले में मजहबी सबसे नीचे हैं. सिख धर्म अपनाने से पहले वे मुख्य रूप से मैला ढोया करते थे. पंजाब में बहुत से निहंग भी मजहबी सिख समुदाय (लखबीर हत्याकांड के तीन आरोपियों सहित) से हैं. मजहबी सदियों से सिख धर्म के प्रति समर्पित रहे हैं और नौवें सिख गुरु तेग बहादुर के कटे हुए सिर को हासिल करने में उनकी वीरता के लिए अक्सर उन्हें याद किया जाता है. औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर दिल्ली में काटा था.

माझा और दोआबा क्षेत्रों में काम के अवसर प्रवासी मजदूरों के पास चले जाने के बाद मजहबियों को गांव छोड़ना पड़ा है. मजहबी अमूमन कस्बों और शहरों की ओर पलायन करते हैं, जहां वे सफाई कर्मचारी, लैब कर्मचारी या मजदूर के रूप में काम करते हैं. इनमें बहुत कम लोग सरकारी नौकरियां हासिल करते हैं. मजहबी सिखों के एक संगठन, गरीब कल्याण मोर्चा से जुड़े कैप्टन अमनदीप भट्टी कहते हैं, ''चुनौती समुदाय को संगठित करने की है...गरीबी और संसाधनों की कमी उन्हें रोकती रही है. यह अस्तित्व की लड़ाई है.'' ■

सांस्कृतिक हमला

जश्न-ए-एतराज

ऑनलाइन नफरत को हवा देना बहुत आसान है, खासकर तब जब नफरत फैलाने वाले की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी धाक हो

श्रीवत्स नेवतिया

वर्ष 2009 में आई विलियम नंदा बिसेल की किताब—*मेकिंग इंडिया वर्क*—का शीर्षक देखकर कोई भी सोचेगा कि वे कुछ ऐसी चीजों का जिक्र करने वाले हैं जिनका हमारी भावनाओं से सीधा जुड़ाव है. फैबइंडिया के चेयरमैन बिसेल भले ही ज्यादा मुनाफा कमाने वाले न हों—उनका कहना है कि कंपनियों को अगर लंबे समय तक चलना है तो उन्हें एक 'अच्छे उद्देश्य' की जरूरत होती है. वे अपनी सोच को लेकर जितने ईमानदार हैं, अपने व्यापारिक कौशल के भी उतने ही धनी. 2016 में एक अखबार से बात करते हुए बिसेल ने कहा था कि वे पतंजलि के उत्पादों की बिक्री में वृद्धि से हैरान नहीं हैं, ''यदि यह 10 साल पहले आया होता, तो शायद इसे उतनी सफलता नहीं मिली होती. लोग अपनी संस्कृति के प्रतीकों को लेकर आज बहुत उत्सुक हैं.'' बिसेल ने दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ ली थी.

लेकिन उनके हालिया विज्ञापन अभियान 'जश्न-ए-रिवाज' पर जैसा विवाद हुआ, अपने ब्रान्ड के प्रचार में उनकी समझ कम दिखाई दी. ऐसा लगता है कि बिसेल की कंपनी की व्यावसायिक रणनीति उनकी अपनी स्पष्ट-दृष्टि के विपरीत है. हिंदू त्योहार के मौसम में उर्दू को डालने के कारण फैबइंडिया के विज्ञापन अभियान को लेकर उपजा विवाद इस तथ्य से कुछ हद तक अनजान लग रहा था कि विविधता को नकारने की भारत की बढ़ती 'संस्कृति' में ऐसे कम ही 'प्रतीक' होंगे जिन्हें हर लिहाज से उपयुक्त माना जा सकेगा. विज्ञापन की दुनिया में 17 वर्षों का अनुभव रखने वाली लेखिका अनुजा चौहान कहती हैं, ''फैबइंडिया के जश्न-ए-रिवाज में कुछ भी गलत नहीं था. उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि इसके लिए उन्हें ट्रोल किया जा सकता है. यह बेहद चिंताजनक है. हमारा धर्मनिरपेक्ष वातावरण तेजी से संकुचित हो रहा है.''

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या 18 अक्तूबर को अपने ट्वीट में इसको लेकर मुखर थे. उन्होंने लिखा, ''दीपावली जश्न-ए-रिवाज नहीं है. मॉडलों को पारंपरिक हिंदू परिधानों के बिना चित्रित करते हिंदू त्योहारों के अब्राह्मीकरण के इस सजग प्रयास को रोका जाना चाहिए.'' भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 वर्षीय सूर्या के ट्विटर पर करीब 9,72,000 फॉलोअर्स हैं. जैसे ही उनका ट्वीट वायरल हुआ, इसने एक निर्दयी और अनियंत्रित भीड़ को संगठित करने में मदद की. शाम तक #बॉयकॉटफैबइंडिया ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था.

सोशल मीडिया पर भावनाओं का उबाल दर्शाता है कि हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से जो आक्रोश महसूस किया, वह कुछ ऐसे व्यक्तियों के दिमाग की उपज थी जो लोगों की राय प्रभावित करने में सक्षम होते हैं. सूर्या का आज प्रभुत्व है क्योंकि उनके ट्विटर फॉलोअर्स अमूमन उनके पार्टी सदस्य ही हैं. वे वफादार हैं और उनके आक्रोश को पलभर में हवा दी जा सकती है. जब वे ट्वीट करते हैं कि ''फैबइंडिया जैसे ब्रान्डों को ऐसे दुस्साहस के लिए आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी'', तब सूर्या न केवल अपनी बात रख रहे होते हैं, बल्कि वे अपने फॉलोअर्स के लिए भी एक फरमान जारी कर रहे होते हैं—उन पर वहां चोट करो जहां उन्हें सबसे अधिक दर्द होता है.

इस साल मई में सूर्या दक्षिण बेंगलूरू के अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक कोविड वॉर रूम का निरीक्षण करने गए थे. वहां कार्यरत 205 लोगों में से सूर्या ने 17 मुसलमानों को चुना और उनसे अपनी पात्रता बताने को कहा. उनमें से 16 की नौकरी चली गई. ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग जिसने तब सूर्या के कृत्यों को सही ठहराया था और उस पर खुशी जाहिर की थी, आज वे यह कह रहे हैं कि फैबइंडिया ने अपना नारा 'जानबूझकर और हिंदू भावनाओं को आहत करने की नीयत' से तैयार किया था. 'हमला' और 'आघात' जैसे शब्दों का उपयोग करके वे अपनी आक्रामकता को प्रतिक्रिया का नाम दे रहे हैं.

फैबइंडिया को अपने विज्ञापन को वापस लेने के लिए धमकाया गया. इससे भी बुरा तब हुआ जब फैबइंडिया पीछे हट गया और ट्रोलर्स का मनोबल बढ़ गया. कुछ लोगों को लगता है कि फैबइंडिया ने बहुत आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया. व्यावसायिक सलाहकार संतोष देसाई ने हाल ही में अपने एक संपादकीय में लिखा है, ''जब (कंपनियां) घबराकर जल्दबाजी में पीछे हट जाती हैं...तो इससे ट्रोल्स का मनोबल बढ़ता है और अगली बार वे अधिक उत्साह के साथ हमले करते हैं.''

यह सप्ताह संस्कृति के रक्षकों के लिए उत्सव जैसा रहा है. कंपनियों को हास्यास्पद कारणों से निशाना बनाया गया. आभूषण बनाने वाली एक कंपनी ने अपने मॉडल को बिंदी नहीं लगाई, जिस पर एक प्रमुख दक्षिणपंथी ने ट्वीट किया, ''यदि आप हिंदुओं से पैसे कमाना चाहते हैं, तो हिंदू भावनाओं का सम्मान करना सीखें.'' कोई यह पक्के तौर पर निर्धारित नहीं कर सकता कि 'हिंदू भावना' दरअसल क्या है, लेकिन दक्षिणपंथी राजनीति दावा करती है कि यह किन चीजों से आहत होती है. भाजपा सांसद अनंतकुमार हेगड़े ने सिएट टायर के सीईओ अनंत वर्धन गोयनका को लिखे एक पत्र में यह स्पष्ट किया कि उनके एक विज्ञापन के कारण 'हिंदुओं में आक्रोश' पैदा हो रहा था.

सिएट के विज्ञापन में हम आमिर खान को

गलत समझा गया संदेश
फैबइंडिया के जश्न-ए-रिवाज विज्ञापन का एक दृश्य

आक्रोश के पल

वे विज्ञान जिन पर 'हिंदू भावनाओं को आहत' करने के आरोप लगे

ब्रुक बॉन्ड

ब्रुक बॉन्ड ने 2018 में एक विज्ञापन जारी किया था. उसमें एक आदमी को एक मुस्लिम कारीगर से गणेश की मूर्ति खरीदते देखना हर किसी के गले नहीं उतर पाया. #बॉयकॉटरेडलेबल जल्द ही 'हिंदुओं को एकजुट होने और इस तरह के कृत्यों का विरोध करने' का एक नमूना बन गया.

जावेद हबीब

2017 में जावेद हबीब मुश्किलों में घिर गए जब कोलकाता के अखबारों में छपे एक विज्ञापन में देवी दुर्गा को उनके सैलून में सेवाएं लेते दिखाया गया. हबीब ने विज्ञापन और उसकी टैगलाइन, ''भगवान भी जेएच सैलून जाते हैं'' के लिए माफी मांगी. फिर भी वे अपने मोतीनगर शाखा पर भीड़ के हमले को नहीं रोक सके.

मान्यवर

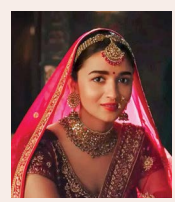

कन्यादान की रस्म को बदलने के प्रयास में एक हैशटैग #कन्यामान के साथ मान्यवर कंपनी ने यह समझाने के लिए आलिया भट्ट को पूरे दो मिनट दिए कि क्यों महिलाएं कोई संपत्ति नहीं हैं. अभिनेत्री और ब्रांड दोनों पर पिछले महीने ''चालाकी के साथ हिंदुओं को अलग-थलग करने'' के आरोप लगाए गए.

सर्फ एक्सेल

इसके 2019 के विज्ञापन में दिखाया गया कि होली के दिन मस्जिद जाने को तैयार एक मुस्लिम लड़के के कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए उसकी हिंदू मित्र एक उपाय करती है. वह सभी बच्चों को मुस्लिम लड़के की बजाए उसे रंगने की चुनौती देती है. ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई, मसलन, ''सर्फ एक्सेल हिंदू विरोधी है, मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया.''

फेम

डाबर के हालिया फेम क्रीम ब्लीच विज्ञापन से न तो रूढ़िवादी और न उदारवादी एकमत थे. एक समलैंगिक जोड़े को करवाचौथ मनाते देख दोनों पक्षों में फूट पड़ गई. मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र के गुस्से के कारण डाबर को 'बिना शर्त माफी' मांगनी पड़ी.

सलाह देते देख सकते हैं—सड़कों पर पटाखे न फोड़ें. अपने पत्र में हेगड़े लिखते हैं, ''आजकल, हिंदू विरोधी अभिनेताओं का एक समूह हमेशा हिंदू भावनाओं को आहत करता है, जबकि वे कभी भी अपने समुदाय के गलत कामों को उजागर करने की कोशिश नहीं करते.'' वे यह नहीं बता पाते कि खान आखिर 'हिंदू विरोधी' कैसे हुए, पर उन्होंने 'गलत कामों' की एक फेहरिस्त रख दी जिसके लिए वे मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं. इसमें ''शुक्रवार को नमाज के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध करना,'' ''मस्जिदों की छतों पर लगाए गए लाउडस्पीकर से आने वाली तेज आवाज,'' और इसी तरह की कई अन्य चीजें गिनाई गई हैं. ये वही पुरानी घिसी-पिटी बातें हैं जो अक्सर उठाई जाती रही हैं.

सूर्या और हेगड़े, दोनों सांसदों का आक्रोश इस मान्यता पर टिका है कि ऐसे विज्ञापनों से हिंदू धर्म दूषित हो जाता है. उनकी नाराजगी से ऐसा लगता है कि उर्दू भाषा या मुस्लिम प्रतीकों के साथ किसी भी तरह का संपर्क दीपावली जैसे हिंदू त्योहारों की पवित्रता को नष्ट कर देगा. यह दृष्टिकोण न केवल पहले से ही हाशिए पर पड़े अल्पसंख्यक समुदाय को और अधिक सशंकित करता है, बल्कि यह अंतर-धार्मिक संबंधों को कुकृत्य सरीखा घोषित कर देता है.

कोई अच्छा विज्ञापन कहानी को विभिन्न तरीकों से कहना चाहता है. तनिष्क ने पिछले साल अपने टीवी विज्ञापन 'कॉन्फ्लुएंस' में एक ऐसी ही सुखद कहानी बताई थी जो नफरत को हराना चाहती थी. एक मुस्लिम मां, अपनी हिंदू बहू के लिए पारंपरिक गोद भराई रस्म का आयोजन करके उसे हैरान कर देती है. गर्भवती महिला को हैरानी में पड़ा देखकर उसकी सास निश्छल मुस्कान के साथ पूछती है, ''क्या हर जगह बेटियों को खुश रखने का रिवाज नहीं है?'' कथ्य गढ़ा गया कि इस विज्ञापन के जरिए 'लव जिहाद' को बढ़ावा दिया गया है. दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने तनिष्क के कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर टैग करना और उन्हें नुक्सान पहुंचाने की धमकी देना शुरू कर दिया. टाटा समूह की आभूषण कंपनी तनिष्क ने ''कर्मचारियों, भागीदारों और स्टोर कर्मचारियों की भलाई और लोगों की आहत भावनाओं को ध्यान में रखते हुए'' विज्ञापन को वापस ले लिया. ऑफलाइन ताकत दिखाने के बाद विरोधियों ने ऑनलाइन भी अभियान छेड़ा और हैशटैग '#बॉयकॉट तनिष्क' चलने लगा. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तब एक ट्वीट किया था, ''वे दुनिया में हिंदू-मुस्लिम एकता की सबसे लंबी परंपरा के प्रतीक—भारत का बहिष्कार ही क्यों नहीं शुरू कर देते?''

विवाद के कुछ दिनों बाद गृह मंत्री अमित शाह से एक साक्षात्कार में तनिष्क को लेकर मचे बवाल के बारे में पूछा गया. उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि अति सक्रियता चाहे किसी भी स्वरूप में हो, नहीं होनी चाहिए. 'छोटी-मोटी घटनाएं' हमारे 'सामाजिक सद्भाव' को नहीं तोड़ सकतीं.'' इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि उनकी विचारधारा सूर्या और हेगड़े के विपरीत है, लेकिन इन युवा सांसदों ने जिस तरह अपने फॉलोअर्स को एकत्र और आक्रोशित किया, ऐसा लगता है कि उनकी ऑनलाइन नफरत को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है. यदि ऐसा है, तो हमारे 'रिवाज' से अधिक हमारा 'सामाजिक सद्भाव ही दांव पर लगा होगा. ■

युवा प्रदेश – युवा नेतृत्व में विकास के स्वर्णिम पथ पर बढ़ता

उत्तराखंड

उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पदभार संभालने के बाद बेरोजगार युवाओं, कर्मियों, खिलाड़ियों समेत राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिलाओं के उन्नयन बच्चों के समग्र विकास, बुजुर्गों की सुरक्षा समेत ग्रामीण जन जीवन में सुधार लाने और राज्य की बेहतरी और उसे प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए 330 से अधिक फैसले लिए हैं। विभिन्न विभागों में 22 से 24 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन पंद्रह हजार से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये कर दिया है। मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. इन्टर्न के स्टाईपेंड को साढ़े सात हजार से बढ़ाकर सत्रह हजार किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए., सी.डी.एस एवं समकक्ष सेवाओं की लिखित परीक्षा पास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा में व्यवधान न देकर उनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण में रखने की भी घोषणा हुई है। राज्य के विश्वविद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार की बढ़ती लोकप्रियता पर देश के प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री की सराहना की।

''कनेक्टिविटी का सीधा कनेक्शन विकास से है। आज देश में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी के उत्साही और ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारधाम की भव्यता को और बढ़ाया जा रहा है। चारधाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड पर काम तेजी से चल रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन से राज्य की रेल कनेक्टिविटी को और विस्तार मिलेगा। सड़क और रेल के अलावा एयर कनेक्टिविटी को लेकर हुए कार्यों का लाभ भी उत्तराखंड को मिला है।''

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सरकार का युवाओं की बेरोजगारी दूर करने पर विशेष फोकस है। इसके तहत स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के टाइम बाउंड लक्ष्य दिए हैं। स्वरोजगार के आवेदन करने वालों की सुविधा का विशेष ध्यान रख कैम्प लगाकर एक ही स्थान पर सारी औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में सब्सिडी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो उद्यम) के अंतर्गत छोटे उद्योग संबंधी सिलाई बुनाई, फल विक्रेता जैसे छोटे लगभग 20 हजार व्यवसायियों को लाभान्वित किया गया है। उपनल कार्मिकों की मांगों पर गठित कैबिनेट उपसमिति की सिफारिश पर अमल करते हुए उनके वेतन में बढ़ोत्तरी की गयी है। कोविड प्रभाव को ध्यान में रख लोक सेवा आयोग के अधीन और उससे बाहर के समूह ग के पदों की भर्ती की आयु सीमा में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट दी गयी है। यह नियम 30 जून 2022 तक लागू है। समूह 'ख' के पदों में भी आयु सीमा में एक वर्ष छूट दी गई है। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड

चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती शुल्क को 31 मार्च, 2022 तक माफ कर दिया गया है। मैदानी क्षेत्र की कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं को 2850 रुपये की धनराशि उनके अकाउंट के जरिये देने की तैयारी में सरकार है।

उत्तराखंड में स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिए वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण के क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए लोगों को वनों एवं वन्यजीवों के आर्थिकी से जोड़ने के लिए सी. एम. यंग-ईको प्रेन्योर स्कीम की शुरुआत हुई है। इस स्कीम के अन्तर्गत 1 लाख युवाओं को ईको- प्रेन्योर बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत नेचर गाइड, ड्रोन पाइलट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, ईकोटूरिज्म, वन्यजीव टूरिज्म आधारित कौशल को उद्यम में परिवर्तित किया जायेगा। वन्य जीव संघर्ष में अपनी जान गवाने वाले वनकर्मियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये भी शीघ्र नीति घोषित करने की योजना बन रही है।

युवाओं का खेलों के क्षेत्र में भविष्य संवारने के लिए देहरादून स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास है। प्रदेश में 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के 50-50 बालक बालिकाओं को उनकी खेल प्रतिभा के आधार पर प्रति वर्ष मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति दी जाएगी। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 225 रुपये किया गया है। महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल विकास के लिए उधमसिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित होगा। उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। महाविद्यालयों / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा 5 प्रतिशत उपलब्ध होगा। नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को भी एशियन / कामनवेल्थ / वर्ल्ड / ओलंपिक पदक विजेताओं की भांति सरकारी सेवा दी जाएगी। राज्य खेल विकास संस्थान में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता लाने को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तकनीक से खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जायेगी। प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक खेलों तक पहुंचे, इसके लिए कोच की व्यवस्था की जायेगी। नेशनल गेम्स / एशियन / कॉमनवेल्थ / वर्ल्ड / ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को खेल दुर्घटनाओं की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी।

रेल कनेक्टिविटी और आल वेदर रोड पर सरकार विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित कर रही है। चारों धामों के लिए आल वेदर रोड हो या फिर भारत माला परियोजना या फिर रेल सम्पर्क से पहाड़ों को जोड़ना सभी में भारत सरकार से पूरा सहयोग राज्य को मिल रहा है। जिससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड में क्रांतिकारी बदलाव दिखने लाजिमी हैं।

— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

'मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष का गठन होगा। जिसके जरिये खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र से स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, खेल अकादमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई जायेगी। राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए खिलाड़ियों को यात्रा मार्ग व्यय, स्पोर्ट्स किट्स की सुविधा मिलेगी।

टेबल टेनिस के खिलाड़ियों के लिये हॉल बनेंगे। देहरादून में खेलो इंडिया योजना के अन्तर्गत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण होगा। राज्य के सभी 13 जनपदों में खेलो इंडिया का एक सेंटर स्थापित होगा।

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर उसे सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई को राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 व स्नातक के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाईल टैबलेट दिए जा रहे हैं। स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो रही है। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने के अलावा इसके लाभार्थियों की संख्या को भी 11 से बढ़ाकर 100 कर दी गयी है। श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। राज्य के 41600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज की व्यवस्था की जा रही है। गवर्नमेण्ट डिग्री कॉलेजों के 1 लाख छात्र छात्राओं को सौ करोड़ की लागत से टैबलेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रदेश में आठ नए महाविद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। जबकि सात महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकृत किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 50 शैक्षणिक पदों और स्नातकोत्तर स्तर पर 10 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है। कक्षा 9 से 12 तक के सभी वर्गों के छात्रों को अगले वर्ष से निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की तैयारी है। राजकीय विद्यालयों के कक्षा 12 के 100 टॉपर्स को 5 साल तक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिये छात्रवृत्ति दी जा रही है।

महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ 35 लाख रूपए का कोविड राहत पैकेज देकर 7 लाख 54 हजार 984 लाभार्थियों को राहत दी गयी है। कॉन्सटेबल, हेड कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर एवं इंस्पेक्टर, लेखपाल राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार और ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारियों को कोविड-19 में उनकी दी गयी सराहनीय सेवाओं के लिए दस हजार रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को सहारा देने के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गयी है। उत्तराखंड शत प्रतिशत पहली डोज लेने वाला राज्य बन चुका है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को सभी जिला अस्पतालों सीएचसी, पीएचसी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू वेंटिलेटर तथा बच्चों के अलग से वार्ड बनाए गए हैं। सभी सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर में बच्चों के

लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की व्यवस्था समेत जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई गयी हैं। राज्य में सभी मरीजों के लिए 207 प्रकार की एलोपैथिक जांच निशुल्क कर दी गई हैं। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल से घर तक निशुल्क छोड़ने के लिए खुशियों की सवारी शुरू है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 44 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। आयुष्मान योजना में 213 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें 102 राजकीय एवं 111 निजी अस्पताल शामिल है। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत संपूर्ण देश के 27000 से अधिक अस्पतालों में उपचार हेतु आयुष्मान कार्ड अनुमन्य किये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत 3.40 लाख से अधिक बार मरीजों का मुफ्त में उपचार करवाना इसकी महत्ता दर्शाता है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 4 अरब 61 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया जा चुका है।

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारम्भ हुआ है। राज्य में महिला सशक्तिकरण के तहत मिलने वाले तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी गयी है। बेटियों की शादी के लिए आर्थिक अनुदान के लिए विधवा महिलाओं की पात्रता की आय सीमा को 48 हजार रुपये करने को स्वीकृति दी गयी है।

सैनिकों / स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देते हुए सालम क्रांति के शहीदों की स्मृति में जैती गांव में स्मारक बनाने की योजना है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन के 800 परिवारों की प्रतिमाह पेंशन 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए की गयी है। सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हल्द्वानी में छात्रावास बनाया जा रहा है। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन बनाया जाएगा। राज्य के कैंट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवन कर माफ करने की प्रक्रिया शुरू है। कुटुंब पेंशन का नाम अब सम्मान पेंशन किया गया है। राज्य में विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़प तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं / आश्रितों को एकमुश्त 10 लाख रुपये के अनुदान को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान देने के लिए राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की तिथि को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को 3100 रुपए पेंशन दी जा रही है, उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके आश्रितों, पत्नी / पति को भी 3100 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर ठोस पैरवी करवाएगी। राज्य आंदोलनकारियों को उद्योगों में नौकरी देने में भी प्राथमिकता मिलेगी। राजकीय अस्पतालों की तरह ही मेडिकल कॉलेजों में भी राज्य आंदोलनकारियों को निशुल्क इलाज मिलेगा।

सामाजिक कल्याण के मद्देनजर राज्य के निर्धन और मजदूर लोगों को राहत देते हुए यह निर्णय भी लिया गया है कि राज्य के नगर निकायों में 584 मलिन बस्तियों को वर्ष 2024 तक नहीं हटाया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए 4000 रुपये से कम आय वालों को को अन्त्योदय योजना में और 15000 रुपए से कम आय वालों को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल किया जायेगा। राज्य के ऊधमसिंहनगर जिले में विस्थापित बंगाली समाज को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाणपत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 16472 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे गये हैं। आवास बनने के बाद हर लाभार्थी को सामान आदि के लिए पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लगभग 25 हजार घर बनाए जायेंगे। उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन / व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश 2021 को पारित किये जाने के बाद अब पट्टे धारकों को अब अपनी पट्टे वाली जमीन होल्ड कराने की अनुमति मिल सकेगी।

तीर्थाटन और पर्यटन राज्य का प्रमुख व्यवसाय बने इसलिए पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में कई योजनाओं पर काम हो रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी गठित की गयी है। रोपवे परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोपवे डिवीजन बनाई जा रही है।

देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर इस मामले में समाधान तलाशने के लिए मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में विशेष उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। स्थानीय संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की जा रही है। पर्यटन मंत्रालय के तहत एक ईकोटूरिज्म विंग का गठन किया जा रहा है। पर्यटन परियोजनाओं के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक पर्यटन सुविधा एवं निवेश

प्रकोष्ठ का गठन प्रक्रियाधीन है। इसके गठन के बाद पर्यटन उद्योगों से संबंधी सभी प्रस्तावों पर विशेष रूप से पर्यटन विभाग द्वारा ही कार्यवाही की जायेगी, न कि उद्योग विभाग के द्वारा। प्रदेश के टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, कन्जर्वेशन रिजर्व, चिडियाघर नेचर पार्क में देश भर के 18 साल तक के बच्चों हेतु निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी गयी है। इससे देश के 45 करोड़ युवा छात्रों एवं युवाओं को पर्यटन से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये युवा प्रदेश के पर्यटन एवं ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने में ब्राण्ड एम्बेसडर भी बनेंगे।

प्रदेश में पलायन पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखण्ड के नौजवानों एवं पूर्व सैनिकों की सहायता से केन्द्र सरकार के साथ मिलकर हिम प्रहरी योजना लागू करने की योजना अंतिम चरण में है। राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास पलायन की रोकथाम एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भू - कानूनों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने हेतु पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी है।

राज्य के शहरों की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए हल्द्वानी देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर शहरों की ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए आउटर रिंग रोड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोड़ने की सम्भावना तलाशी जा रही है। भारतनेट फेज-2 में 6 हजार ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। दिल्ली रामनगर कॉर्बेट इको ट्रेन चलाने की भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। टनकपुर बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री के रेल लाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई। हरिद्वार- देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूरा कराया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण प्रगति पर है साल 2024 तक इस पथ पर रेल चलना शुरू हो जायेगी।

उत्तराखंड की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हरिद्वार में हेलीपैड बनाने के लिए बी. एच. ई. एल. द्वारा 4 एकड़ भूमि राज्य सरकार को दिये जाने की भारत सरकार द्वारा सहमति दे दी गयी है। जौलीग्रांट, देहरादून में बने नये टर्मिनल का लोकार्पण कर दिया गया है। उत्तराखण्ड के लिए जो 13 हेलीपोर्ट चिन्हित किये गये हैं, उनमें से 11 की डीपीआर तैयार हो चुकी है। मसूरी हेलीपोर्ट की डीपीआर भी जल्द तैयार हो जायेगी। उड़ान योजना के तहत आठ रूटों पर हैली सेवाओं को मंजूरी मिली है। जिनमे देहरादून - श्रीनगर- देहरादून, देहरादून-गौचर- देहरादून, हल्द्वानी-हरिद्वार हल्द्वानी, पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर, चिन्यालीसौड़-सहस्त्रधारा चिन्यालीसौड़, गौचर - सहस्त्रधारा-गौचर, हल्द्वानी - धारचूला- हल्द्वानी और गौचर-सहस्त्रधारा-गौचर शामिल हैं ।

ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 रुपए किया गया है। .ग्राम प्रधानों को 10 हजार रुपए की आकस्मिक निधि व्यय करने की अनुमति दी जाएगी। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक कारगर एवं उपयोगी बनाने के लिये मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स में उत्तराखंड राज्य को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड को निर्यात के मामले में करीब दोगुना से अधिक की बढ़त हासिल हुई है। प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने तथा राज्य के सेब को पहचान दिलाने के लिये एप्पल मिशन को दी जाने वाली धनराशि दोगुनी की गयी है।

प्रदेश के हर वर्ग को राहत देते हुए उसके विकास के लिए की गयी मुख्यमंत्री की घोषणाओं की राज्य में चौतरफा सराहना की जा रही है। मुख्यमंत्री की सोच है कि 21 साल का उत्तराखंड होने वाला उत्तराखंड जब 25 साल की युवावस्था की दहलीज पर कदम रखे तो वह हर क्षेत्र में नंबर वन राज्य बने। इसी को लेकर रात दिन काम में जुटे युवा मुख्यमंत्री के प्रयासों ने रंग दिखाना शुरू कर भी दिया है।

केरल

आक्रोश में हैं इंद्र देव

जीमॉन जैकब

केरल एक बार फिर सैलाब की वजह से कराह रहा है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने अपने कदम पीछे खींचे ही थे कि उसी समय उत्तर-पूर्वी मॉनसून 2019 के बाद तीसरी दफा आ पहुंचा. मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर भूस्खलन शुरू हो गया. इस बार यह मध्य केरल के कोट्टयम, इडुक्की और पथनमथिट्टा जिलों के पहाड़ी भूभागों में ज्यादा हुआ. अक्तूबर के महीने में राज्य में सामान्य से 117 फीसद ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से एर्नाकुलम, अलपुझा और त्रिचूर जिलों में सैलाब आ गया. 2018 में आई सदी की भीषणतम बाढ़ के बाद यह लगातार चौथा साल है जब बारिश ने यहां कहर बरपाया है.

बार-बार आ रहे सैलाब और मौसम के पैटर्न में व्यापक बदलावों ने जलवायु विशेषज्ञों को सतर्क कर दिया है. कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी (सीयूएसएटी/क्यूसैट) के एडवांस्ड सेंटर फॉर एटमॉस्फरिक रडार रिसर्च में सीनियर साइंटिस्ट डॉ. एम.जी. मनोज कहते हैं, ''बीते दशक के दौरान केरल ने जलवायु में तेज बदलाव देखे हैं. मॉनसून के दौरान बारिश के पैटर्न में साफ बदलाव आए हैं क्योंकि अरब सागर मॉनसून के दौरान नियमित रूप से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर रहा है (सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के नीचे हुआ करता था). समुद्री तापमान में बदलाव जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का साफ संकेत है.''

मनोज कई सालों से भारत के दक्षिण समुद्रतट पर जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं. वे कहते हैं कि केरल के भूगोल और उसके असमतल विस्तार ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है. बढ़ते समुद्री तापमान के चलते गहरे बादल बन रहे हैं और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के साथ उनकी नजदीकी ने बादल फटने की घटनाओं को बढ़ावा दिया है. मनोज बताते हैं, ''आपदाग्रस्त इलाकों में घंटे भर के भीतर 50-70 मिमी बारिश हुई, जिससे अचानक बाढ़ आई और भूस्खलन हुए. यह नई स्थिति है—भारतीय मौसम विभाग ने छोटे स्थानों पर बादल फटने को अपने मौसम चार्ट पर अभी वर्गीकृत तक नहीं किया है. मॉनसून के दौरान कई इलाकों में बादल आते हैं और फटाफट बरस जाते हैं, जिससे महज एक घंटे में 20 मिमी से ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है. 50-100 किमी चौड़े कई इलाकों, पहाड़ों और 44 नदियों के साथ केरल का भूगोल ऐसा है जो आपदा को बढ़ा देता है.''

केरल में साल में औसत 3,000 मिमी बारिश होती है, जो तीन हिस्सों में होती है—मॉनसून पूर्व (अप्रैल-मई), दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (जून-सितंबर) और उत्तर-पूर्वी मॉनसून (अक्तूबर-दिसंबर). बीते सालों में बारिश के इन सत्रों ने 'गॉड्स ओन कंट्री' बनने में और सस्ती पनबिजली बनाने में केरल की मदद की. मगर 2017 से जलवायु का कैलेंडर बदल गया. इसका पहला संकेत ओखी चक्रवात था, जो उसी साल राज्य के दक्षिणी समुद्रतट से टकराया और 143 मछुआरों की

3,000 मिमी

औसत सालाना बारिश होती है केरल में

5642.6 वर्ग किमी

या 14.5 फीसद भूभाग बाढ़-संभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने

27,735

की तादाद में समुद्रतटीय विनियमन क्षेत्र के उल्लंघन दर्ज किए हैं सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक

80,000 करोड़ रु.

का अनुमानित नुक्सान हुआ है सरकारी और कृषि संपत्तियों को लगातार तीन साल (2018-20) आई बाढ़ में. कारोबारी नुक्सान और भी बहुत ज्यादा हुआ है

अप्पू एस. नारायणन/एएफपी

डूबती उम्मीदें
इडुक्की जिले के थोडुकुजा में 16 अक्तूबर को घर के मलबे से कुत्ते को बचाता एक ग्रामीण

जान लेकर गया. 2017 के बाद 29 चक्रवाती तूफान भारत से टकराए और उनमें से 11 अरब सागर से निकलकर आए थे. सच तो यह है कि इस मई में केरल बाल-बाल बच गया जब ताउते चक्रवात इस तट से नजरें चुराकर सीधा गुजरात चला गया. एक बड़े मौसम वैज्ञानिक खुलासा करते हैं, ''अगर यह हमारे तट से 50 किमी और नजदीक आ जाता तो केरल में तबाही बरपा देता.''

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्ययनों ने राज्य की 5,642.6 वर्ग किमी जमीन (कुल भूभाग की 14.5 फीसद) पर खतरे की झंडी दिखाई है और इसे बाढ़ की संभावना वाला भूभाग बताया है. 27 तालुकों की आबादी बेहद खतरे में है जबकि अन्य 45 तालुकों के लोग औसत जोखिम की जद में हैं.

सिविल इंजीनियर से हाइड्रोलॉजिस्ट बने और फिलहाल मुल्लापेरियार बांध विवाद प्रकोष्ठ में कार्यरत जेम्स विलियम्स कहते हैं, ''हमें बाढ़ के साथ रहना सीखना ही होगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव गंभीर होंगे. यह केरल के लिए चुनौतियों से भरा दौर है और कोई आसान समाधान नहीं है. हमें अपने कमजोर नदी घाटी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए माइक्रो-प्लानिंग करते हुए बाढ़ को वैज्ञानिक नजरिए से संभालना होगा.''

विलियम्स के मुताबिक केरल के लिए अब 'फ्लड स्टोरेज कुशन' बनाना व्यावहारिक नहीं रह गया है. वे कहते हैं, ''राज्य में संचालित 53 बांधों की कुल भंडारण क्षमता 580.6 करोड़ क्यूबिक मीटर है. केरल के पास भारी बाढ़ के दौरान पानी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता.'' यह पांच साल पहले से एकदम अलहदा स्थिति है, क्योंकि तब गर्मियों के महीनों (जनवरी-मई) में टीवी पर न्यूजरूमों में चर्चा निरपवाद रूप से सूखे की आशंकाओं और बिजली कटौतियों के बारे में हुआ करती थी और सरकारों को बांध का पानी 'बर्बाद करने' के लिए कोसा जाता था.

तेज जलवायु परिवर्तन का असर नदी किनारों पर अतिक्रमण, बेलगाम खुदाई, बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी 859 लोग) और वेटलैंड के गायब होने की वजह से और गहरा गया. अक्तूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में राज्य सरकार ने कोस्टल रेग्यूलेशन जोन (सीआरजेड) या समुद्रतटीय विनियमन क्षेत्र के 27,735 उल्लंघनों का खुलासा किया. उसने ब्योरेवार बताया कि स्थानीय निकायों की मंजूरी के बगैर 1,860 ढांचे खड़े कर लिए गए, पर उसने कार्रवाई से छूट की भी गुजारिश की.

संरक्षणवादी इस गड़बड़ी के लिए सियासी नेतृत्व पर दोष मढ़ते हैं. हाल ही में अचानक बाढ़ के बाद जबरदस्त भूस्खलन का दंश झेल चुके कोट्टयम जिले के कूटीकल का दौरा करने के बाद सेवानिवृत्त प्रोफेसर और पर्यावरणविद ई. कुंजीकृष्णन ने कहा, ''हम अपने लालच और भ्रष्टाचार की भारी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि इसने केरल को हाल के सालों में आपदा-संभावित क्षेत्र में तब्दील कर दिया है. हमने बेरोकटोक पत्थरों की खुदाई के चलते पश्चिमी घाट को बर्बाद कर दिया है. इस क्षेत्र में करीब 6,500 जगह खुदाई चल रही है, जिनमें से महज 750 के पास लाइसेंस है. उधर नदी घाटियों में अतिक्रमणों ने जल प्रवाह को सीमित कर दिया है.''

नदी के तटवर्ती इलाकों में अंधाधुंध अतिक्रमण और बेहिसाब खनन ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को और बढ़ा दिया है

कोट्टयम जिले के मुंडकायम के रहने वाले के.पी. जेबी को कड़वा अनुभव हुआ जब वे मणिमलयार नदी के किनारे बना अपना घर गंवा बैठे. पेशे से बस ड्राइवर जेबी ने गाढ़ी कमाई की पाई-पाई बचाकर परिवार के लिए अच्छा-सा घर बनाया था. बेलगाम पानी का ज्वार पल भर में घर के साथ उनका सब कुछ बहा ले गया. तकलीफ में डूबे जेबी कहते हैं, ''ईश्वर का शुक्र है हम जिंदा हैं. मूसलाधार बारिश शुरू हुई और लगा कि नदी आगबबूला है, तो हम चले गए. हमारा सब चला गया.''

सेवानिवृत्त बड़े अफसरशाह और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे टी.के.ए. नायर कहते हैं कि केरल को राज्य के सामने मौजूदा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निबटने के लिए अचूक रणनीतियां बनानी होंगी. ''कई चेतावनियां मिल चुकी हैं. यह अलग बात है कि हम उन्हें सुनते हैं या नहीं. केरल की हरेक परियोजना का, चाहे वह सरकारी हो या निजी, पारिस्थितिकीय प्रभाव अध्ययन किया ही जाना चाहिए ताकि भविष्य में मौतों को कम से कम किया जा सके.''

मगर राज्य सरकार बाढ़-संभावित इलाकों में पाबंदियों और आपदा-संभावित क्षेत्रों से लाचार परिवारों को दूसरी जगह बसाने को लेकर अब भी टालमटोल कर रही है. कम से कम अभी तो अक्तूबर की आपदाओं के पीड़ितों के लिए राहत कार्य किए जा रहे हैं.

राज्य के राजस्व मंत्री के. राजन कहते हैं कि वाम मोर्चा सरकार को ''स्थिति की गंभीरता का एहसास है और वह आपदा-संभावित क्षेत्रों में माइक्रो-प्लानिंग शुरू करेगी. लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता अभी स्थानीय स्तरों पर आरंभिक चेतावनी प्रणालियां विकसित करना है ताकि विनाशकारी प्रभावों को रोका जा सके.''

आपदा-संभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत योजना लागू करने में जरा भी देरी राज्य के लिए घातक साबित हो सकती है. कोविड के साथ लंबी और क्षत-विक्षत कर देने वाली लड़ाई के बाद केरल किसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता सामान्य अवस्था की तरफ लौट रहा है और इसके लोग ऐसे उत्तरदायी प्रशासन की उम्मीद रखते हैं जो जलवायु परिवर्तन की इन तगड़ी घटनाओं की चेतावनियां सुनता हो. ■

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

समाचार सार

कभी न झेली ऐसी अनदेखी

महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे जब भाजपा और शिवसेना गठबंधन में थे. शिवसेना नेता ने भाजपा से नाता तोड़ लिया और 2019 में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब तक दोनों नेताओं के रिश्तों में बहुत कड़वाहट घुल चुकी थी. किसानों के आंदोलन से लेकर कोविड प्रबंधन जैसे मुद्दों पर फड़नवीस पिछले 22 महीनों में ठाकरे को 231 चिट्ठियां लिख चुके हैं. बताते हैं कि उन्हें एक का भी जवाब नहीं मिला है. भाजपा नेता अब राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोते हैं. सुनने में आया है कि कोशियारी इन सबकी बातें पूरी सहानुभूति के साथ सुनते हैं.

एएनआइ

एक ब्रेक तो बनता है

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री **ममता बनर्जी** पांच दिनों के अवकाश पर कर्सियांग की पहाड़ियों पर गई हैं. बुखार के कारण दीदी को दुर्गा पूजा में अपने घर तक सीमित रहना पड़ा. ऐसे में उन्हें अवकाश की जरूरत तो थी ही. पर यह सिर्फ आराम भरी यात्रा कैसे रह सकती है—नौकरशाहों के एक दल के साथ फाइलों का ढेर भी कर्सियांग पहुंच चुका है.

बिहारी दांव-पेच

ना-नवेले कांग्रेसी **कन्हैया कुमार** ने हाल में 'पारिवारिक सियासी विरासत वाले लोगों की दूसरों के लिए दरवाजे बंद करने की प्रवृत्ति' की निंदा की. उनका निशाना राजद के तेजस्वी यादव थे. कांग्रेस ने राजद से नाता तोड़ लिया और अकेले बिहार उपचुनाव लड़ेगी. 28 सितंबर को कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने की पूर्व संध्या पर राजद के एक प्रवक्ता ने पूछा था कि कौन हैं कन्हैया? शायद अब अच्छी पहचान हो चुकी होगी.

एएनआइ

एएनआइ

जात नहीं तो बात नहीं

सत्तारूढ़ द्रमुक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री **एम.के. स्टालिन** के सामाजिक न्याय के आह्वान को कुछ हिस्सों में अनसुना कर दिया गया. थूतुकुडी जिले के एक गांव के कम से कम पांच गैर-दलित वार्ड सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे दलित पंचायत अध्यक्ष के अधीन काम नहीं करना चाहते. उनके इस्तीफे को खारिज करके जिला कलेक्टर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं.

पवार की ताकत

एनसीपी प्रमुख **शरद पवार** को हाल ही मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के अध्यक्ष के लिए पहली बार हुए चुनाव में 31 में से 29 मत मिले. अपने इकलौते प्रतिद्वंद्वी धनंजय शिंदे को हराने वाले पवार 123 साल पुराने पुस्तकालय का नेतृत्व पिछले 45 साल से कर रहे हैं. तीन मंजिला पुस्तकालय का पुनर्निर्माण होना है—यह दादर में 2.5 एकड़ भूमि पर बना है, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रु. है. पवार के चुनाव से पहले ही कई विवाद खड़े हुए थे. क्लब के संविधान में संशोधन की वह मांग खारिज हो चुकी है, जिसमें केवल 34 नहीं बल्कि ग्रंथालय के सभी 6,000 सदस्यों को वोट देने का अधिकार हो.

—संदीप उन्नीथन, साथ में किरण डी. तारे, रोमिता दत्ता, अमिताभ श्रीवास्तव और अमरनाथ के. मेनन

देश का नं. 1
हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

जेल और जमानत का खेल

जमानत देने के मामले में अदालतें अक्सर किसी ठोस मानदंड का पालन नहीं करतीं. इससे आरोपियों के आजादी के अधिकार की अनदेखी हुई है और साथ ही जेलों में कैदियों की संख्या बेहिसाब बढ़ गई है. अब वक्त आ गया है कि एक जमानत कानून बनाया जाए और न्यायिक ढांचे में आमूलचूल बदलाव किया जाए

कौशिक डेका

फोटोः बंदीप सिंह

मॉडलः कार्तिकेय चतुर्वेदी

28

फीसद

किसी भी तरह के अपराध के आरोपियों को भारत में जमानत मिलती है

69

फीसद

4,78,600 कैदियों में से 3,30,487 विचाराधीन कैदी हैं

51

फीसद

विचाराधीन कैदी जिला जेलों में सड़ रहे हैं

22

फीसद

विचाराधीन कैदी अकेले उत्तर प्रदेश में हैं. किसी भी राज्य के मुकाबले यह सबसे ज्यादा है

36

फीसद

विचाराधीन कैदी साल भर से ज्यादा समय से जेल में हैं

5,011

विचाराधीन कैदी

ऐसे हैं जो पांच साल से ज्यादा समय से जेल में हैं

स्रोतः राष्ट्रीय विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट, प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया, 2019

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई
भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश

सुपरस्टार शाहरुख खान के 23 वर्षीय बेटे आर्यन खान सोच रहे होंगे कि उन्हें बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ा था. 3 अक्तूबर को उन्हें कथित तौर पर नशीले पदार्थों के 'सेवन, बिक्री और खरीद में शामिल होने' के लिए कठोर प्रावधानों वाले नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) कानून 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया. मगर गिरफ्तारी के 17 दिन बाद भी जब विशेष अदालत ने उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी, तो उनके मामले ने जनता का ध्यान खींचा और अदालत के विवेकाधिकार का प्रयोग तीखी बहस का विषय बन गया. मजबूत कानूनी टीम के दम पर आर्यन ने 26 अक्तूबर को बॉम्बे हाइ कोर्ट में तुरंत सुनवाई का इंतजाम कर लिया और 28 अक्तूबर को आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई, जो ऐसे मामलों में कम ही होता है. दूसरों के अनुभव तो और भी बदतर हैं.

इसके ठीक उलट पंजाब के 72 वर्षीय अरबपति कारोबारी चुन्नी लाल गाबा का हश्र देखिए. एक ड्रग रैकेट में शामिल होने के लिए उन्हें 2014 में गिरफ्तार किया गया. इस जून में गाबा को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा हाइ कोर्ट में 17 महीनों से लंबित थी. यह जानकर शीर्ष अदालत स्तब्ध रह गई. उसकी टिप्पणी थी: 'आरोपी को जिन अपराधों का जिम्मेदार बताया गया है, वे गंभीर हों या न हों, पर नियमित जमानत की अर्जी का लिस्ट न होना हिरासत में लिए गए शख्स की स्वतंत्रता का हनन है.'

इसी तरह धार्मिक भावनाओं को कथित चोट पहुंचाने वाले लतीफे सुनाने के लिए गिरफ्तार किए गए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को एक महीने से ज्यादा जेल में रहना पड़ा, क्योंकि सेशन कोर्ट और मध्य प्रदेश हाइ कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और कहा कि आरोप 'अस्पष्ट' थे और पुलिस ने आरंभिक जांच के बगैर उन्हें गिरफ्तार करने में 'प्रक्रिया का पालन नहीं किया'.

बात सिर्फ जाने-माने लोगों या नशे से जुड़े मामलों की नहीं है. सूरत की एक अदालत ने मार्च 2020 में 127 लोगों को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया. जी हां, उनकी गिरफ्तारी के 20 साल बाद! 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने छह लोगों को 2002 के अक्षरधाम आतंकी हमले के आरोपों से बरी किया जब वे दस साल जेल में बिता चुके थे.

> **"जमानत से जुड़े फैसलों में निचली अदालतों के न्यायाधीश ज्यादा साहसिक बन सकें, इसके लिए जरूरी है कि उनके न्यायिक फैसलों की समीक्षा को हाइ कोर्ट द्वारा उनके वार्षिक मूल्यांकन के दायरे से अलग कर दिया जाए"**

भारतीय जेलों में इस वक्त बंद 4,78,600 कैदियों में से 3,30,487 या 69 फीसद विचाराधीन हैं और यह तथ्य बताता है कि भारतीय न्याय प्रणाली में जमानत नहीं बल्कि जेल नियम बन गया है. अंधाधुंध गिरफ्तारी, जांच में देरी और मुकदमों की सुस्त रफ्तार के चलते ज्यादातर विचाराधीन बंदियों को लंबे वक्त तक कैद में रहना पड़ता है. 2017 में जारी विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में केवल 28 फीसद आरोपियों को जमानत मिलती है. सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिनव सेखरी के मुताबिक करीब आधे मुकदमों के अंत में अभियुक्त बरी हो जाते हैं और हरेक मुकदमे में कम से कम 1-3 साल लगते हैं. इसका असर न केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दर्ज व्यक्ति के स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकार पर पड़ता है, बल्कि किसी के 'दोषी साबित होने तक निर्दोष मानने' के सिद्धांत की धज्जियां उड़ जाती हैं. इस सिद्धांत का तकाजा है कि दोषी साबित होने तक आरोपी के कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार में कटौती न हो.

अक्तूबर 2020 में कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उस बात की तस्दीक की जिसे न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने 1977 के अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कानूनी सिद्धांत के तौर पर स्थापित किया था—जमानत नियम है और जेल अपवाद. न्यायमूर्ति डी.वाइ. चंद्रचूड़ ने इस सिद्धांत की मर्यादा कायम रखने का अनुरोध करते हुए अदालतों से कहा था कि वे नागरिक स्वतंत्रता की ''पहली रक्षा पंक्ति'' बनी रहें, क्योंकि ''किसी को उसकी स्वतंत्रता से एक दिन के लिए भी वंचित करना ज्यादती है.''

आरोपियों को उनका बुनियादी अधिकार देने से इनकार करने के अलावा जमानत की अर्जियां ठुकराने की बढ़ती घटनाएं जेलों में भीड़ भी बढ़ा रही हैं. यह तथ्य विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट में भी

न्यायमूर्ति बीएस चौहान
इक्कीसवें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष

"कुछ लोग न्यायिक अफसरों पर कई बार गंभीर आरोप लगा देते हैं जिससे उनके फैसले प्रभावित हो जाते हैं, खास तौर पर वे मामले जिनमें उनके पास जमानत को लेकर व्यापक विवेकाधिकार हैं"

दर्ज है. भारत में 1,350 जेल हैं, जिनमें ऑक्युपेंसी रेट करीब 120 फीसद है. इन जेलों पर 2019-20 में करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी इनमें रह रहे कैदी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे, जिससे उनके बीमार पड़ने का जोखिम बढ़ गया, जो महामारी की स्थिति में विनाशकारी हो सकता था.

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1980 में पाया था कि 60 फीसद से ज्यादा गिरफ्तारियां गैरजरूरी थीं और जेलों का 42 फीसद खर्च ऐसी गिरफ्तारियों की वजह से हुआ. उसने कुछ दिशानिर्देशों की सिफारिश की और जांच के दौरान गिरफ्तारी को संज्ञेय अपराध बना दिया. मई में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़-भड़क्का रोकने की खातिर पुलिस को महामारी के दौरान गिरफ्तारियां कम करने का आदेश दिया और अदालतों से कहा कि वे मशीनी ढंग से हिरासत के फरमान न सुनाएं.

मगर इन निर्देशों का ज्यादा असर पड़ता नहीं दिखा. भोपाल के एक एनजीओ क्रिमिनल जस्टिस ऐंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट के 2020 के एक अध्ययन से पता चला कि 22 मार्च से 17 मई, 2020 के बीच मध्य प्रदेश में 34,000 गिरफ्तारियां की गईं, जिनमें से ज्यादातर मामले लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित थे. उत्तर प्रदेश और असम पुलिस के पूर्व डीजी प्रकाश सिंह कहते हैं, ''पुलिस गिरफ्तारी के अपने अधिकार का दुरुपयोग या जरूरत से ज्यादा उपयोग करती है. यह कई वजहों से होता है—भ्रष्टाचार, कानून और गिरफ्तारी के विषय में सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों की जानकारी न होना, दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर सरकारी आदेशों पर अमल, सत्तारूढ़ पार्टी को खुश करने की चाहत और कभी-कभी राजनैतिक संरक्षण प्राप्त माफिया के इशारे पर भी.''

जमानत की अर्जियों पर प्रतिकूल फैसलों की इतनी बड़ी तादाद

जमानत का रास्ता

- **जमानत का अनिवार्य अर्थ होता है ऐसे** व्यक्ति की अंतरिम रिहाई जिसके किसी अपराध में शामिल होने का संदेह है और जो या तो गिरफ्तार हो गया है या होने का अंदेशा है. इसके लिए उसे या तो खुद मुचलका भरना होता है, जिसे पर्सनल बॉन्ड कहते हैं या कोई अन्य उसकी ओर से इसे भरता है
- **दंड प्रक्रिया संहिता,** 1973 की धारा **436 से 450** तक जमानत देने के प्रावधानों से ही संबंधित हैं. अपराध जमानती और गैर-जमानती दो श्रेणियों में बांटे गए हैं. जमानती अपराधों में जमानत अधिकार का विषय होता है; गैर-जमानती अपराधों में यह अदालत का विवेकाधिकार है
- **जेल में विचाराधीन** कैदी कानूनी तौर पर सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत का हकदार है, अगर जांच अधिकारी उसके खिलाफ 90 दिन में आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाते. यह उन मामलों के लिए है जिनमें सजा मृत्युदंड, उम्र कैद या 10 साल से ज्यादा की कैद है. बाकी अपराधों में आरोपपत्र दाखिल करने की मियाद 60 दिन की होती है
- **सीआरपीसी की धारा 436ए** के तहत विचाराधीन कैदी के संबंधित अपराध की अधिकतम सजा के आधे समय तक हिरासत में बिता लेने पर जमानत का अधिकार है. मृत्युदंड की सजा वाले अपराधों पर यह लागू नहीं होता
- **'जमानत** नियम है और जेल अपवाद'. सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में राजस्थान सरकार बनाम बालचंद मामले के ऐतिहासिक फैसले में यह निर्णय सुनाया

जज किस आधार पर जमानत दे सकता है और क्यों नहीं

- आरोप की गंभीरता
- आरोप की प्रकृति
- दोष साबित होने पर आखिर कितनी गंभीर सजा हो सकती है
- आरोपों के पक्ष में सुबूत किस तरह के हैं
- आरोपी को जमानत दिए जाने पर उसके भाग जाने का खतरा कितना है
- जमानत दिए जाने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने का कितना अंदेशा है
- मामला अब तक कितना खिंच चुका है
- पीड़ित को अपने बचाव के लिए तैयारी करने और अपने वकील तक पहुंचने के लिए
- आरोपी का स्वास्थ्य, उम्र और लिंग

जहां उम्मीद बुझती गई

वे विचाराधीन कैदी जो प्रक्रिया या अनदेखी का शिकार होकर बरसों तक जेल में पड़े रहे

रिकॉर्ड में सब कुछ गुम

जगजीवन राम यादव,
फैजाबाद, **उत्तर प्रदेश**
बिना जमानत के 38 साल जेल

फरवरी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 38 सालों से जेल में सड़ रहे 70-वर्षीय जगजीवन राम यादव को मुक्ति दिलाई. 1968 में एक पड़ोसी की पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार यादव का मामला जुलाई 2005 में सामने आया जब फैजाबाद जेल के अधिकारियों ने विचाराधीन कैदी के रूप में यादव की स्थिति का पता लगाने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया. अधिकारियों ने यह कार्रवाई तब की जब वे वाराणसी के मानसिक चिकित्सालय से लौटे जहां उन्हें एक प्रशासनिक आदेश के आधार पर भेजा गया था. फैजाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष उन्हें 2005 में पेश किया गया, तो अदालत ने खंडगा थाने से ब्योरा तलब किया जहां उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज था. पुलिस मामले की जानकारी नहीं जुटा पाई. अदालत ने कहा कि यादव को न तो जमानत पर रिहा किया जा सकता है न ही रिकॉर्ड के अभाव में बरी किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

प्रक्रिया की कीमत

रागिनी द्विवेदी, *कन्नड़ अभिनेत्री*
बिना जमानत जेलः 140 दिन

एक ड्रग रैकेट में कथित संलिप्तता के आरोप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपित रागिनी द्विवेदी ने 140 दिन जेल में बिताए क्योंकि विशेष एनडीपीएस अदालत और कर्नाटक हाइ कोर्ट दोनों ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. द्विवेदी ने अदालतों में दावा किया था कि उनके पास से कोई नशीली वस्तु (ड्रग) नहीं बरामद हुई है, इसलिए उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. इसके जवाब में अभियोजन ने तर्क दिया कि डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए थे और चूंकि आरोपी प्रभावशाली हैं, इसलिए उनकी रिहाई से सबूत नष्ट किए जाने का खतरा है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 जनवरी को रिहा करने का आदेश दिया.

बस विचाराधीन बने रहने का दुख

राकेश मिश्र, विनय कुमार मिश्र,
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश
बिना जमानत जेलः 12 साल, 9 साल

सन 2009 में एक महिला की हत्या के आरोपी बनाए गए राकेश मिश्र का मामला दक्षिण 24 परगना के सियालदह सत्र न्यायालय में लंबित था. उन्हें जून 2021 में तब जमानत दी गई जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को छह महीने के भीतर सुनवाई खत्म करने और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.

शीर्ष अदालत ने इसी तरह मार्च में विनय कुमार मिश्र को जमानत दी थी. उत्तर प्रदेश में हत्या और दंगा करने के आरोपी मिश्र 2012 से जेल में थे. मिश्र का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था फिर भी 3 दिसंबर, 2019 को इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी. इस मामले की सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि निचली अदालत को चार महीने के भीतर मुकदमा खत्म करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद, ऐसा नहीं हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सुनवाई जल्द पूरी होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मिश्र को जमानत दी जाए.

व्यवस्था का कैदी

दुर्गा प्रसाद तिमसिना,
नेपाल, **बिना जमानत जेलः 41 साल**

कलकत्ता हाइ कोर्ट के आदेश पर 17 मार्च को रिहा किए गए नेपाल की माई नगरपालिका के निवासी, 72 वर्षीय दुर्गा प्रसाद तिमसिना को कोलकाता स्थित दमदम केंद्रीय कारागार में जीवन के 41 साल गुजारने पड़े. तिमसिना काम की तलाश में दार्जिलिंग आने पर हत्या के मामले में फंस गए थे. बाद की चिकित्सीय रिपोर्टों में उनका बौद्धिक स्तर 10 साल के बच्चे जैसा बताया गया था. जेल अधिकारियों ने उनकी स्थिति के बारे में एक वकील, हीरक सिन्हा से चर्चा की जो पश्चिम बंगाल रेडियो क्लब के उपाध्यक्ष भी हैं. क्लब के सदस्यों ने नेपाल रेडियो से संपर्क किया. उनके परिवार का पता चला तो कहा गया कि दुर्गा प्रसाद के प्रत्यावर्तन का मामला आगे बढ़ाने के लिए वे नेपाली वाणिज्य दूतावास से अनुरोध करें. अंततः मामला सुनवाई के स्तर पर पहुंचा और उन्हें रिहा किया गया ताकि वे 90 वर्षीय मां से फिर मिल सकें.

प्रोफेसर सुबीर भटनागर
कुलपति, डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी

"असहमति व्यक्त करने वालों के प्रति राजनेताओं की सहनशीलता कम होती जा रही है. वे उन्हें राजद्रोह जैसे कानूनों के गैर-जमानती प्रावधानों के तहत अंदर करवा देते हैं"

प्रोफेसर मंजुला बत्रा
पूर्व डीन, लॉ फैकल्टी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया

"शायद यही समय है जब जमानती और गैर-जमानती अपराधों की परिभाषा पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए. कई अन्य अपराधों को जमानती बनाया जा सकता है"

तो थी ही, उसकी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी ने स्थिति और बदतर बना दी. 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आगरा की सेंट्रल जेल से 13 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया, जो अपराध करते वक्त नाबालिग थे. उन्हें तीन साल बाल सुधार गृहों में रखा जाना चाहिए था, पर वे 14 से 22 साल जेल में बिता चुके थे. अदालती आदेश के बाद भी जेल अधिकारियों को इन्हें रिहा करने में चार दिन लगे.

जून में पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता देवांगना कालिता और नताशा नरवाल और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाइ कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी तिहाड़ जेल से बाहर आने में करीब दो दिन लगे, वह भी अदालत के दूसरी बार दखल देने के बाद. ज्यादातर मौकों पर ऐसी देरी का आम बहाना यह होता है कि अदालत के आदेश की हार्ड कॉपी समय पर नहीं मिली या आरोपी के पते की तस्दीक करने में मुश्किलें आईं.

जमानत की याचिकाओं पर सुनवाई में होने वाली प्रक्रियागत देरी अमूमन अदालतों में कर्मचारियों की भारी कमी की वजह से भी होती है. भारत में जज-आबादी अनुपात अंतरराष्ट्रीय मानक से बहुत कम है. 2000 में हमारे यहां प्रति दस लाख आबादी पर 14 जज थे. 2020 में बढ़कर 21 हो गए. चीन में यह आंकड़ा 147 और अमेरिका में 102 है. 21वें भारतीय विधि आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान कहते हैं, ''जजों की स्वीकृत संख्या के करीब एक-चौथाई पद हर राज्य में हमेशा खाली रहते हैं.''

जेल या जमानत का कोई तय फॉर्मूला नहीं

ज्यादातर कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि जमानत के आदेशों में विसंगतियां और सख्ती जमानत की मौजूदा व्यवस्था में गहरे मौजूद खामियों से पैदा होती हैं. दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अपराधों को दो खानों में बांटती है—जमानती और गैर-जमानती. जमानती अपराधों में जमानत का अधिकार सर्वोपरि है. फिर भी अदालत से तय जमानती रकम की पेशकश पर ही जमानत दी जाती है. विधि आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस प्रावधान की वजह से कई विचाराधीन, खासकर गरीब कैदियों को बेवजह कारावास में रहना पड़ता है. निचली अदालतों में तीन साल से कम सजा वाले छोटे-मोटे अपराधों तक के लिए भी जमानत की रकम कम से कम 10,000 रुपए है. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि नियमित वेतनभोगियों में भी 57 फीसद 10,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं.

विचाराधीन कैदियों के शैक्षणिक स्तर—28 फीसद निरक्षर और 41 फीसद 10वीं से कम पढ़े—से यह भी खुलासा होता है कि उनमें से ज्यादातर साधनहीन पृष्ठभूमि से आते हैं. भारत की दो-तिहाई जेल आबादी दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों के विचाराधीन कैदियों की है, जो छोटे-मोटे अपराधों के आरोप में बंद हैं. कइयों के पास कानूनी मदद लेने को पैसे नहीं हैं. वे अपने अधिकारों से नावाकिफ भी हैं. सरकार की मुफ्त कानूनी सहायता आरोपपत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद मिलती है.

गैर-जमानती अपराधों के आरोपियों को जमानत का अधिकार नहीं है और जमानत मंजूर करना अदालत के विवेकाधिकार पर है. इस विवेकाधिकार के प्रयोग के नियम-कायदे कभी कानूनी रूप से तय नहीं किए गए, बस इतना कहा गया कि उम्र कैद और मौत की सजा वाले मामलों में मजिस्ट्रेट को जमानत मंजूर नहीं करनी चाहिए. 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'अदालतों के सामने जमानत की अर्जियों का आकलन करके उन्हें मंजूर या खारिज करने का कोई बंधा-बंधाया फॉर्मूला नहीं है', पर उसने विवेकाधिकार के प्रयोग के कुछ प्रासंगिक पहलू गिनाए, जैसे अपराध का स्वरूप और गंभीरता, साक्ष्य के गुण-दोष, आरोपी की विशिष्ट परिस्थितियां, मुकदमे के दौरान आरोपी की मौजूदगी पक्की न हो पाने का अंदेशा, सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका, और जनता या सरकार के व्यापक हित.

चूंकि जमानत मंजूर करना विवेकाधीन है, लिहाजा न्यायपालिका और खासकर निचली अदालतों ने जमानत मंजूर या नामंजूर करने में किसी निश्चित मानदंड का पालन नहीं किया. बल्कि ज्यादा चिंता

में डालने वाली बात इन अदालतों से जमानत खारिज कर देने की बढ़ती घटनाएं हैं. ऐसे मामलों में तो यह और भी ज्यादा होता है जिन पर लोगों की नजरें टिकी हैं. जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली में विधि संकाय की पूर्व डीन प्रोफेसर मंजुला बत्रा कहती हैं, ''देखने में आया है कि कई विवादास्पद मामलों में निचली अदालतें जमानत की अर्जी पर फैसला लेने की जिम्मेदारी ऊपरी अदालतों पर छोड़ देने को तरजीह देती हैं क्योंकि उनमें जमानत मंजूर करने का फैसला लेने का आत्मविश्वास नहीं होता.'' राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति सुबीर के. भटनागर मानते हैं कि जज कभी-कभी शायद इसलिए भी जमानत से इनकार कर देते हैं कि कहीं उन्हें अपराध के पीड़ितों के प्रति असंवेदनशील न मान लिया जाए.

मध्य प्रदेश हाइ कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मई में अस्सी बरस की एक महिला आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए ठीक यही अंदेशा जताया: ''इस अदालत ने एक के बाद एक मामलों में देखा है कि जिला अदालतें जमानत मंजूर करने के मामले में बेहद कंजूसी बरतती हैं. अर्जियां आम तौर पर खारिज कर दी जाती हैं, वह भी बार-बार दोहराए जाने वाले आधारों पर कि आरोपित अपराध संगीन है या जांच चल रही है या आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है. नीचे की अदालतें मुश्किल से ही कभी जांच करती हैं कि ऊपर बताए गए चालू किस्म के कारणों के अलावा आरोपी को विचाराधीन कैदी के तौर पर लगातार कैद में रखना जरूरी है या नहीं.''

विवेकाधिकार का नतीजा यह भी है कि जघन्य अपराधों के कुछ अन्य आरोपियों को संदिग्ध औचित्य और शर्तों पर जमानत मिल जा रही है. अगस्त में आइआइटी गुवाहाटी में अपनी सहपाठी के साथ बलात्कार के आरोपी 21 वर्षीय छात्र की जमानत मंजूर करते हुए गुवाहाटी हाइ कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ 'साफ-साफ प्रथम दृष्ट्या मामला' है, लेकिन आरोपी प्रतिभाशाली छात्र और राज्य की भावी पूंजी है! विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा के साथ बार-बार सामूहिक बलात्कार और आपराधिक रूप से डराने-धमकाने के लिए ट्रायल कोर्ट से सजा पाए तीन लोगों को जमानत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाइ कोर्ट ने 2017 में जो कहा, वह तो और भी स्तब्धकारी है, ''आरोपी युवा हैं और मानसिक तथा भावनात्मक तकलीफ पैदा करने वाली ऐसी कोई हिंसा नहीं हुई, जो ऐसी परिस्थितियों में आम तौर पर होती ही है.''

मार्च में सुप्रीम कोर्ट को मध्य प्रदेश हाइ कोर्ट का जुलाई 2020 का एक फैसला रद्द करना पड़ा था, जिसमें उसने यौन हमले के आरोपी से कहा था कि जमानत की पूर्वशर्त के तौर पर उसे पीड़िता से 'राखी' बंधवानी होगी. अगले ही महीने हत्या और हत्या के प्रयास के 15 मामलों के आरोपी गैंगस्टर अरुण यादव को इलाहाबाद हाइ कोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने तमाम हाइ कोर्टों को सलाह दी कि वे शार्पशूटर और जघन्य अपराधियों को बंधे-बंधाए ढर्रे पर जमानत न दें, पहले गवाहों की सुरक्षा और पीड़ित परिवारों पर इसके प्रभावों की जांच कर लें.

जब प्रक्रिया दंड बन जाती है

अदालतें हमेशा इतनी उदार नहीं रही हैं, खासकर यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) या इस कानून के पूर्व अवतार पोटा और टाडा जैसे विशेष कानूनों से संबंधित मामलों में. अधिकांश आलोचक

बड़ी देर हुई इंसाफ में

न्यायपालिका में न्यायाधीशों और दूसरे कर्मचारियों की संख्या के मामले में भारत पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी पीछे. न्यायाधीशों की कमी की वजह से मुकदमे निबटाने में देरी होती रही है. दूसरी ओर लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है

आबादी के मुकाबले न्यायाधीशों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ी

आबादी और न्यायाधीश का अनुपात (प्रति दस लाख पर)

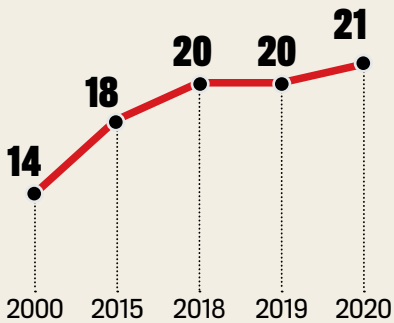

स्रोतः राज्यसभा, अगस्त 2021

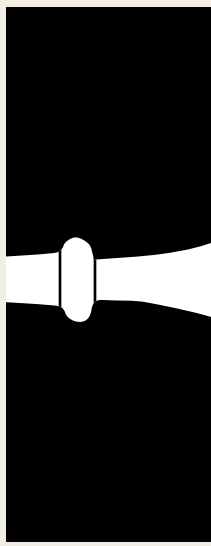

विक्रम सिंह
पूर्व डीजी, उत्तर प्रदेश पुलिस

"यूएपीए सरीखे कानूनों में लंबी कैद की गुंजाइश लोगों को बिना गुनाह साबित किए ही जेल में डाले रखने में सरकारी अधिकारियों की मदद करती है"

...लेकिन लंबित मामलों का अनुपात बढ़ गया है, और अपराध साबित होने की दर कम हो गई है...

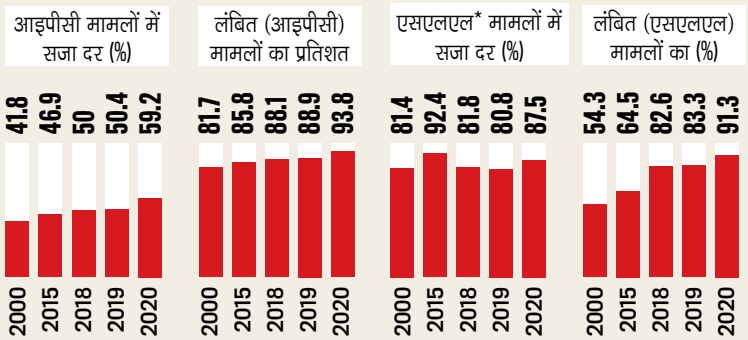

...पुलिस बल ने आरोप तय करने की अपनी रफ्तार बढ़ाई नहीं है

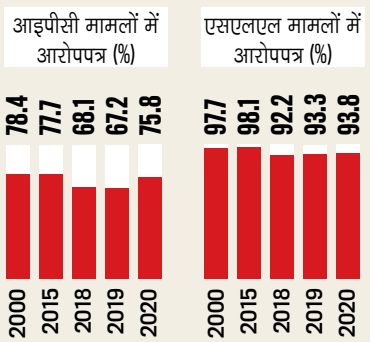

*एसएलएल (विशेष और स्थानीय कानून)

स्रोतः क्राइम इन इंडिया 2020, एनसीआरबी

भारत बनाम अन्य देश

भारत में न्यायाधीशों की आबादी का अनुपात दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है. इस वजह से मुकदमों में लंबा समय लगता है और विचाराधीन कैदियों की तादाद लंबी होती जाती है

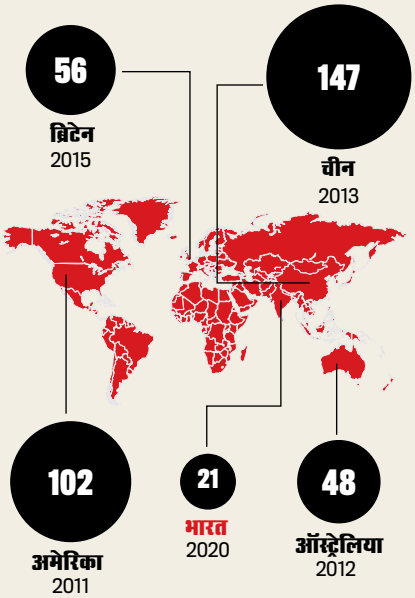

स्रोतः सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडियाः अ रिपोर्ट ऑन एक्सेस टु जस्टिस

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

इस बात से सहमत हैं कि इन कानूनों में लंबे समय तक कारावास की गुंजाइश है. यहां तक कि ट्रायल से पहले के चरण में और मामले में चाहे दम हो या न हो, फिर भी कारावास की पूरी गुंजाइश बनी रहती है जो यह बताता है कि इन कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य निवारक नजरबंदी है. इसलिए, सरकारी अधिकारी अक्सर बिना अभियोजन के लोगों को जेल में डालने के लिए इन प्रावधानों का उपयोग करते हैं. मसलन, यूएपीए के तहत किसी को बिना जमानत के 90 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है, जिसे 180 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है.

कानून की इन खामियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार अपराध को गैर-जमानती बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकती है और कुछ ऐसा ही ज्यादातर यूएपीए प्रावधानों के साथ हुआ है. प्रो. भटनागर कहते हैं, ''राजनेताओं में दिन-ब-दिन असहमति बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती जा रही है. इसलिए जब वे सत्ता में होते हैं, तो विरोधियों पर गैर-जमानती प्रावधानों के तहत कार्रवाई में जरा भी संकोच नहीं करते. लेकिन अदालतों को चाहिए कि वे व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तेजी से काम करें.''

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार महसूस किया है कि विशेष कानून बेतुके और अप्रत्याशित हैं और इसलिए कोर्ट ने अभियुक्तों के अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के बारे में कई बार चिंता व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्कर्ष सिंह के अनुसार 2017 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में जातिगत संघर्ष को भड़काने के आरोपी 80 वर्षीय कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था. अभियोजन पक्ष या तो केस डायरी या चार्जशीट के माध्यम से यह विश्वास करने को ''उचित आधार'' प्रस्तुत कर सकता है कि आरोप प्रथम दृष्ट्या सच हैं, तो यूएपीए के तहत आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. स्वामी पार्किंसन से पीड़ित थे इसलिए वकीलों ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत के लिए बार-बार अदालत का रुख किया था. लेकिन अक्तूबर 2020 में गिरफ्तार होने के बाद जब तक स्वामी तजोला जेल में रहे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी उनकी जमानत का विरोध करती रही, हालांकि इसने कभी भी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग नहीं की. लगभग नौ महीने जेल में बिताने के बाद जुलाई में स्वामी की मृत्यु हो गई. उत्कर्ष सिंह कहते हैं, ''स्वामी को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता था. न्यायाधीशों को संतुलन बनाना चाहिए या राज्य की ओर से अत्याचारों की कठोरता कम करनी चाहिए. वे आरोपपत्र या आरोपों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं कर सकते, जब तक कि उसके पक्ष में कोई ठोस सबूत या परिस्थितियों की शृंखला न मौजूद हो जिससे आरोपी के खिलाफ दायर मामले पर विश्वास किया जा सकता हो. साथ ही उसमें प्रतिशोध की कोई भावना भी नहीं नजर आनी चाहिए.'' इसी तरह, दिल्ली दंगों के मामले में एक साल से अधिक समय तक जेल में रखे गए पांच आरोपियों को 8 सितंबर को जमानत देते हुए दिल्ली हाइ कोर्ट ने कहा कि 'विरोध प्रदर्शन के एकमात्र कार्य' को 'जेल में बंद रखने

के औचित्य को सही ठहराने के लिए एक हथियार' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह कहते हैं, ''जायज या काल्पनिक आधार पर आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखना सजा देने के समान है.''

कुछ कानूनों के तहत गिरफ्तारी में जमानत और भी मुश्किल हो गई है जहां ये दो शर्तें लागू होती हैं: यही कि सरकारी वकील को जमानत पर रिहाई के लिए किसी भी आवेदन का विरोध करने की अनुमति दी जानी चाहिए. अगर वह ऐसा करता है तो अदालत को इस बात के लिए संतुष्ट होना होगा कि अभियुक्त के ऐसे अपराध में दोषी न मानने के पर्याप्त आधार हैं. और वह जमानत पर रहते हुए कोई अन्य अपराध नहीं करेगा. इसलिए, ये शर्तें भारतीय न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत को उलट देती हैं—जमानत के चरण में भी आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ता है. इन जुड़वां शर्तों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002; कंपनी अधिनियम, 2013; एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 जैसे कानूनों के तहत अपराधों में लागू किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा कहते हैं, ''ऐसी शर्तें पक्का करती हैं कि जमानत बहुत ही कम मामलों में दी जाए, और व्यक्तियों को जांच एजेंसियों की दया पर छोड़ दिया जाता है. इसलिए हर 5-10 साल में सभी कानूनों का नियमित ऑडिट करना जरूरी है, विशेष रूप से उन कानूनों का जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं.''

हालांकि पीएमएलए से संबंधित मामलों में जमानत पर कठोर नजरिए की वजह है: गिरफ्तार करने से पहले कानून यह अनिवार्य करता है कि जांच के दौरान जुटाई सामग्री के आधार पर यह 'विश्वास करने का कारण' हो कि आरोपी व्यक्ति दोषी है. मनी लॉन्ड्रिंग और 'विश्वास करने का कारण' 'लिखित रूप में दर्ज' होना चाहिए. सीआरपीसी के तहत पुलिस केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है. इसके अलावा, आर्थिक अपराध को लेकर एक सख्त रुख देखा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जमानत पर फैसला करते समय उन्हें एक अलग वर्ग में मानता है. विधि आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए अपराध लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के लिए अभिशाप हैं क्योंकि वे व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कम करते हैं, इसलिए सख्त जमानत शर्तों को लागू करना आवश्यक है.

जून में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के धन की कथित हेराफेरी से संबंधित एक मामले में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह को एक सिटी कोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए दिल्ली हाइ कोर्ट की टिप्पणी थी: 'धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे मामले में जमानत देना जिसमें एक एजेंट ने इतने बड़े पैमाने पर आपराधिक षड्यंत्र किया है और जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, न केवल जांच की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा बल्कि यह आपराधिक न्याय प्रणाली के भरोसे पर भी आघात है.' शिविंदर और उनके भाई मलविंदर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अक्तूबर 2019 में गिरफ्तार किया था और दोनों तब से जेल में हैं.

क्या अदालतें जमानत नहीं देना चाहतीं?

लूथरा बताते हैं कि ऊंची अदालतों की बनाई गई मिसालें अक्सर

आर्यन खान मामला

आसान नहीं थी रिहाई

आर्यन खान की जमानत के लिए इस्तेमाल किए गए तर्कों ने एक बार फिर लोगों का ध्यान एनडीपीएस अधिनियम जैसे कानूनों में जमानत संबंधी कठोर प्रावधानों की ओर खींचा

बीती 2 अक्तूबर की रात एक गुप्त सूचना मिलने के बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई इकाई की एक टीम कॉर्डेलिया क्रूजेज के जहाज एंप्रेस में यात्रियों के वेश में सवार हुई. इस जहाज पर दिल्ली की एक इवेंट कंपनी ने दो दिन की संगीतमय यात्रा का आयोजन किया था. जहाज पर सवार लोगों में सुपरस्टार शाहरुख खान का 23 वर्षीय बेटा आर्यन भी शामिल था. क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी के अधिकारियों ने इस जहाज की तलाशी शुरू की और बाद में 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए (एक्सटैसी) की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपये नगद बरामद करने का दावा किया. इसके अगले दिन एनसीबी ने आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और 18 अन्य लोगों को कथित तौर पर प्रतिबंधित सामग्री की ''खपत, बिक्री और खरीद'' के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

खान पर नार्कोटिक ड्रग्स ऐंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धाराओं 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत आरोप लगाए गए हैं. ये धाराएं गैर-जमानती हैं और इनमें दोषी पाए जाने पर खान को 20 साल तक की जेल हो सकती है. उसके पास से कोई मादक वस्तु नहीं मिली थी, पर मर्चेंट के जूतों में कथित तौर पर छह ग्राम चरस छिपा पाया गया था. एनसीबी का दावा है कि जांच के दौरान खान और मर्चेंट ने उपभोग के लिए इस वस्तु का अपने कब्जे में होना कबूला था. एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि खान के व्हाट्सऐप चैट से पता चलता है कि वह विदेशी नागरिकों

रजनीश काकड़े/एपी

लंबा इम्तहान
आर्यन खान मेडिकल जांच के लिए जाते हुए

और ऐसे अज्ञात लोगों के संपर्क में था जिनके अंतरराष्ट्रीय ड्रग रिंग का हिस्सा होने का संदेह है.

मामले में पहली सुनवाई के दौरान 4 अक्तूबर को एनसीबी ने खान को 11 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में देने की मांग की थी, पर अदालत ने 7 अक्तूबर तक के लिए हिरासत का आदेश दिया था. जब यह अवधि समाप्त हुई तो उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. यह आदेश आने के अगले दिन खान ने अंतरिम और नियमित दोनों तरह की जमानत के लिए अदालत की शरण ली. मामले की सुनवाई कर रही मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत अर्जी को उस अदालत के अधिकारक्षेत्र से परे होने के आधार पर खारिज कर दिया. तीन दिन बाद एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की और एनसीबी को तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने 13 अक्तूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी. 14 अक्तूबर को एनडीपीएस की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. सप्ताहांत और अन्य छुट्टियों के कारण अदालतें बंद होने के कारण मामले की अगली सुनवाई 20 अक्तूबर के लिए निर्धारित की गई थी. उस दिन, खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

न्यायाधीश वी.वी. पाटील ने अपने 18 पन्नों के आदेश में कहा कि खान के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दोस्त के पास ड्रग्स हैं. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उनकी व्हाट्सऐप चैट दिखाती है कि मादक वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के साथ उनका गठजोड़ था.

कई कानूनी विशेषज्ञों ने खान के इकबालिया बयान और व्हाट्सऐप चैट के आधार पर जमानत अर्जी खारिज किए जाने की आलोचना की क्योंकि ये दोनों ही अदालत में अस्वीकार्य हैं. उसके पास से कोई ड्रग भी नहीं मिली थी. 26 अक्तूबर को एनडीपीएस अदालत ने गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से दो को जमानत दे दी. आखिरकार 28 अक्तूबर को बॉम्बे हाइ कोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी.

हालांकि, एनडीपीएस अधिनियम के अधीन जमानत हमेशा से ही काफी जांच-पड़ताल का मुद्दा रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजी विक्रम सिंह कहते हैं, ''इसमें जमानत के प्रावधानों में कोई एकरूपता नहीं. पिछले साल कॉमेडियन भारती और उनके पति को दो दिनों के भीतर जमानत दे दी गई थी, जबकि उनके पास से गांजा बरामद हुआ था. दूसरी ओर, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से कोई 'ड्रग' बरामद न होने के बावजूद लंबे समय तक जेल में रखा गया था.''

एनडीपीएस अदालत ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से नशीली दवाओं का उपयोग करने वालों और नशेड़ियों को जेल भेजने से बचने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करने के कुछ दिनों बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. एनडीपीएस अधिनियम की अपनी समीक्षा में मंत्रालय ने व्यक्तिगत उपभोग के लिए कम मात्रा में इन मादक वस्तुओं को अपने पास रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सिफारिश की थी.

इसी बीच, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस दावे के बाद राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया कि खान को उनके मुस्लिम होने की वजह से कानून प्रवर्तन एजेंसियां निशाना बना रही हैं. महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी ''नकली'' थी, और ''महाराष्ट्र, राज्य सरकार और बॉलीवुड को बदनाम करने'' के लिए भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने छापेमारी के दौरान दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया जिनमें से एक, किरण गोसावी, कथित तौर पर भाजपा से जुड़े हैं.

गोसावी की एनसीबी कार्यालय में खान के साथ ली गई सेल्फी वायरल हुई. खान की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस के तुरंत बाद वे गायब हो गए. बाद में 24 अक्तूबर को गोसावी के अंगरक्षक और अन्य स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने एक हलफनामे में कहा कि गोसावी ने खान की रिहाई के लिए वानखेड़े की ओर से 25 करोड़ रुपये मांगे थे.

इसके अगले दिन एनसीबी ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वानखेड़े ने सभी आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त को एक पत्र भी लिखा जिसमें उनसे ''यह पक्का करने का अनुरोध किया गया था कि उनके खिलाफ'' अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ''गलत उद्देश्यों'' से कोई कानूनी कानूनी कार्रवाई न की जाए. 25 अक्तूबर को एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की गई है. उसी दिन गोसावी लखनऊ में सामने आए और समर्पण की पेशकश की, पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है. वे 28 अक्तूबर को गिरफ्तार हो गए.

निचली अदालतों के लिए जमानत देना मुश्किल बना देती हैं. वे कहते हैं, ''ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक है जहां ऊंची अदालतों ने निचली अदालतों से दी गई जमानत को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हाइ कोर्टों से दी गई जमानत को खारिज कर दिया है. यह बताता है कि जमानत देने के मामलों में न्यायाधीश विवेक का इस्तेमाल पर उसमें दखल करते हैं. नतीजतन, कई लोग जमानत देने के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने से कतराते हैं.''

ऊपरी न्यायालयों के कामकाज में यह अंतर अक्सर निचली अदालत को भ्रमित करने वाले संकेत भेजता है. एक वकील नाम न छापने की शर्त पर पिछले अक्तूबर में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तत्काल सुनवाई की ओर इशारा करते हैं. उनके शब्दों में, ''गोस्वामी को विशेष तरजीह दी गई, जबकि उसी अवधि के दौरान दायर एक आरटीआइ में पाया गया कि शीर्ष अदालत के समक्ष जमानत के 900 से ज्यादा अर्जियां लंबित थीं.''

कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि निचली अदालतों के अधिकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी या उनके खिलाफ विवेकपूर्ण जांच के डर से जमानत देने से हिचकते हैं. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कहते हैं, ''जमानत से जुड़े फैसलों में निचली अदालतों के न्यायाधीश ज्यादा साहसिक बन सकें, इसके लिए जरूरी है कि उनके न्यायिक फैसलों की समीक्षा को हाइ कोर्टों से उनके वार्षिक मूल्यांकन के दायरे से अलग कर दिया जाए.''

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्ति चेलमेश्वर याद करते हैं कि कैसे निचली अदालत के मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक शिकायत आंध्र प्रदेश हाइ कोर्ट में पहुंची थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित न्यायाधीश ने एक आरोपी को बरी करने के लिए रिश्वत ली थी. न्यायिक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है. बाद में जांच के दौरान पाया गया कि उसने वास्तव में आरोपी को दोषी ठहराया था लेकिन शिकायतकर्ता सजा से खुश नहीं था. यह बताते हुए कि निचली अदालत के न्यायाधीश क्यों सुरक्षित खेल ही खेलना चाहते हैं, वे कहते हैं, ''यह तथ्यात्मक रूप से गलत आरोप था, फिर भी जज को एक जांच का सामना करने की कवायद से गुजरना पड़ा.''

यह भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया की चर्चाओं से जमानत के फैसले प्रभावित होते हैं. उत्कर्ष कहते हैं, ''अगर किसी जज को लगता है कि उसके फैसले पर प्राइम टाइम टीवी चर्चा की जाएगी, तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि वह खुद को सुर्खियों से दूर रखने के लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी अपने से ऊपर की अदालतों को सौंप दे.''

आखिर सरकार क्या कर रही है?

जैसे-जैसे जमानत आदेशों में विसंगतियां स्पष्ट होती जा रही हैं, वैसे-वैसे जमानत को लेकर नए कानून की मांग बढ़ रही है क्योंकि अदालत के दिशानिर्देशों का समान रूप से पालन नहीं किया जा रहा. केंद्र सरकार ने माना है कि देश के जमानत प्रावधानों में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है. 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने विधि आयोग से एक अलग जमानत अधिनियम की जरूरत की जांच के लिए कहा. हालांकि साल भर बाद उसने आयोग से कहा कि यह मकसद वह 'सीआरपीसी के मौजूदा प्रावधानों में जरूरी बदलाव लाकर' पूरा करे.

विधि आयोग ने 1996 में अपनी 154वीं रिपोर्ट में पहले ही जमानत पर विचार करने के लिए प्रासंगिक 12 पहलुओं की एक लंबी सूची का हवाला दिया था जिसमें अपराध की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति, आरोपी की हैसियत, पिछला जीवन और छेड़छाड़ की संभावना जैसे पहलू शामिल हैं. 2017 में अपनी 268वीं रिपोर्ट में आयोग ने बेगुनाही की संभावना को भी जमानत आवेदनों में एक अन्य प्रासंगिक विचार के रूप में शामिल किया. इसने यह भी सिफारिश की कि जमानत की आर्थिक जुर्माने की शर्तों को अंतिम उपाय के रूप में लागू किया जाए और प्रस्ताव किया कि जमानत के विकल्प के रूप में मूल पहचान पत्रों को अदालत में जमा किया जाए. हालांकि, इनमें से किसी भी सिफारिश को अभी तक सीआरपीसी में शामिल नहीं किया गया है.

इससे पहले जमानत प्रावधानों से संबंधित सबसे बड़ा सुधार

जस्टिस जस्टि चेल्लमेश्वर
पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट

"ज्यादातर अभियुक्त जेलों में इसलिए सड़ते रह जाते हैं क्योंकि मुकदमें खासे लंबे खिंचते हैं. पुलिस महकमे और न्यायपालिका में कार्यबल की कमी से काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है"

बढ़ती संख्या

विचाराधीन कैदियों की भारी तादाद की वजह से भारत की जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी रहने को मजबूर

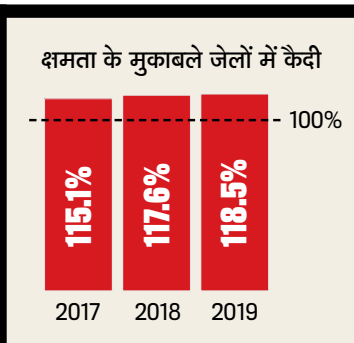

स्रोतः प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया, 2019

सिद्धार्थ लूथरा
वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट

"अब समय आ गया है कि जमानत के विषय पर न्याय प्रणाली में एकरूपता के लिए हम स्पष्ट कानूनी नियम बनाएं जिससे ऐसे फैसलों में न्यायाधीशों को उदार या सख्त न समझा जाए"

प्रकाश सिंह
पूर्व डीजी, बीएसएफ और उत्तर प्रदेश तथा असम पुलिस

"भ्रष्टाचार, अज्ञानता, सत्तारूढ़ दल को खुश करने या फिर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त माफिया की शह पर पुलिस गिरफ्तारी के अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है, या जरूरत से ज्यादा उपयोग"

2005 में हुआ था जब धारा 436ए को सीआरपीसी में शामिल किया गया था. यह तय करता है कि एक कैदी को निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाएगा अगर वह उस अपराध के लिए जेल की आधी अवधि तक हिरासत में रहा है. इस प्रावधान को ठीक से लागू करवाने के लिए, सरकार ने ई-जेल पोर्टल लॉन्च किया है जो राज्य के जेल अधिकारियों को जमानत योग्य कैदियों की शीघ्र पहचान करने में सक्षम बनाता है.

विशेषज्ञों ने कई अन्य सुधारों के भी सुझाव दिए हैं. मसलन, जमानत आवेदनों पर निर्णय लेते समय व्यक्तिगत विवेक के इस्तेमाल के लिए एक चेकलिस्ट बनाना और पुलिस के लिए समय-समय पर चेक-इन जैसे गैर-हिरासत वाले विकल्प. प्रो. बत्रा अपराधों को जमानती या गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंडों पर फिर से विचार के सुझाव देती हैं, और अधिक अपराधों को जमानती बनाने के पक्ष में हैं.

समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की है. मसलन, आगरा जेल की घटना से नाराज होकर मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने फास्ट ऐंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स (फास्टर) नामक एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की. यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज दस्तावेजों को तेजी से और सुरक्षित तौर पर संचार संभव बनाता है. इसने अदालत को तुरंत, सीधे, सुरक्षित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमानत और अन्य आदेशों को जेल अधिकारियों, जिला और उच्च न्यायालयों को प्रेषित करने में सक्षम बनाया. पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी जेलों में अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि जेल अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित जमानत आदेश प्राप्त करने के बाद कैदियों को बिना देर किए रिहा कर सकें.

हालांकि, अधिकांश न्यायिक दिग्गज केवल जमानत के लिए अलग से कानून के पक्ष में नहीं हैं और कहते हैं कि व्यापक न्यायिक सुधार के अंतर्गत प्रावधानों को डाला जा सकता है. यहां तक कि विधि आयोग ने भी कहा है कि जमानत कानून में सुधार कोई ऐसा रामबाण नहीं हो सकता जो दंड न्याय प्रणाली की सभी बीमारियों को दूर कर दे. अधिकांश कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रायल की प्रक्रिया में तेजी लाना ही इसका समाधान हो सकता है. यह तभी संभव हो सकता है जब प्रक्रिया को पर्याप्त कार्यबल सहित एक मजबूत न्यायिक बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान किया जाए.

इसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट ने जुलाई में न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 9,000 करोड़ रुपए के लक्षित खर्च के साथ पांच साल के विस्तार को मंजूरी दी. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नए सिरे से जोर देने के लिए राज्य के कानून मंत्रियों से मिलने वाले हैं.

हालांकि, अधिकांश वरिष्ठ न्यायाधीशों का मानना है कि इस बात की संभावना कम है कि बुनियादी ढांचे को सुधारने और ज्यादा न्यायाधीशों को शामिल करने से न्यायपालिका को कुशल बनाया जा सकता है. गुणात्मक सुधार और त्वरित न्याय के लिए ऐसे व्यक्तियों की भर्ती करनी चाहिए जिनमें न्याय देने की योग्यता और जुनून हो. एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़ों से पता चलता है कि न्यायाधीशों की संख्या में नियमित वृद्धि के बावजूद लंबित मुकदमों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है जो मुकदमों के समयबद्ध ढंग से निबटाने के लिए आवश्यक कौशल के महत्व को और अधिक उजागर करता है.

जस्टिस गोगोई कहते हैं, ''न्यायिक फैसलों की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि एक न्यायाधीश किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव से खुद को कितना दूर रखना चाहता है. यह तभी हो सकता है जब न्यायिक अधिकारी अपने काम के लिए उचित कौशल और जुनून से लैस हो.'' एक व्यवस्था जो अपनी बेशुमार खामियों की वजह से चरमराई नजर आती हो, यह उसके लिए यह एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है. ■

रवींद्र पुरी बनाम रवींद्र पुरी

नरेंद्र गिरि की मृत्यु के बाद उभरे शून्य ने हिंदू समाज के अखाड़ों को अचानक विपरीत ध्रुवों पर ला दिया है. इनकी आपसी लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरा असर डाल सकती है

आशीष मिश्र

रवींद्र पुरी, 52 वर्ष

श्री निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष रवींद्र पुरी 25 अक्तूबर को प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने गए. रवींद्र पुरी को संन्यासी (शैव) संप्रदाय के छह अखाड़े, निर्मल अखाड़ा के रेशम सिंह गुट और निर्मोही अखाड़े के मनमोहन दास गुट का समर्थन मिला था. दिल्ली स्थित श्री निरंजनी अखाड़ा के आश्रम में वर्ष 1980 में रवींद्र पुरी ने रामानंद पुरी से संन्यास लिया था. वर्ष 2001 में रवींद्र निरंजनी अखाड़े के उपमहंत और 2003 में श्रीमहंत बने थे.

साधु-संतों के बीच विवाद और टकराव को रोकने के लिए बनी ''अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद'' के भीतर दंगल शुरू हो गया है. परिषद के पूर्व अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव नरेंद्र गिरि की प्रयागराज स्थित बाघम्बरी मठ में 20 सितंबर को आत्महत्या के बाद परिषद के सचिव हरि गिरि ने 25 अक्तूबर को प्रयागराज के निरंजनी अखाड़ा मुख्यालय में नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय की थी. लेकिन 21 अक्तूबर को हरिद्वार में किसी पूर्व सूचना के बगैर सात अखाड़ों ने अचानक महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रवींद्र पुरी को परिषद का अध्यक्ष चुन लिया. नई कार्यकारिणी भी चुनी गई, जिसमें वैष्णव संप्रदाय के राजेंद्र दास को महामंत्री, निर्मल अखाड़े के जसविंदर सिंह को कोषाध्यक्ष, वैष्णव संप्रदाय के रामकिशोर दास को मंत्री और गौरीशंकरदास को प्रवक्ता पद पर चुना गया.

तीन दिन बाद 25 अक्तूबर को प्रयागराज के निरंजनी अखाड़ा में हुई बैठक के दौरान निरंजनी अखाड़े के रवींद्र पुरी को परिषद का अध्यक्ष और जूना अखाड़े के हरि गिरि को सचिव चुन लिया गया. बहुमत के लिए 13 में से 7 अखाड़ों का समर्थन जरूरी था. निरंजनी अखाड़े के रवींद्र पुरी ने आठ अखाड़ों के समर्थन का दावा किया है. अखाड़ा परिषद के दो गुटों में बंटने के साथ उदासीन संप्रदाय का निर्मल अखाड़ा और वैरागी संप्रदाय का निर्मोही अखाड़ा भी दो धड़ों में बंट गया है.

''अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद'' के अध्यक्ष का पद पहले भी विवादों से घिरा रहा है. वर्ष 2010 में प्रयागराज में हुए अखाड़ा परिषद के चुनाव को इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जब नरेंद्र गिरि अध्यक्ष चुने गए थे. वर्ष 2013 में कोर्ट ने परिषद के चुनाव पर रोक लगा दी थी. वर्ष 2014 में नरेंद्र गिरि फिर से अध्यक्ष चुने गए, और इस बार अयोध्या स्थित हनुमान गढ़ी के महंत ज्ञानदास ने चुनाव को हाइकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी. इसके बावजूद

रवींद्र पुरी, 50 वर्ष

महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव और हरिद्वार में कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर के परमाध्यक्ष रवींद्र पुरी को 21 अक्तूबर को कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़ा परिसर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया. पुरी को सन्यासियों के एक, वैष्णव के तीन, उदासीन के दो और निर्मल अखाड़ा के ज्ञान देव सिंह गुट और निर्मोही अखाड़े के दामोदरदास गुट का समर्थन मिला. पुरी 1998 में महानिर्वाणी अखाड़े की कार्यकारिणी में शामिल हुए. वर्ष 2001 में वह श्रीमहंत पर काबिज हुए. 2007 में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव बने.

सभी फोटोः मनीष अग्निहोत्री

अखाड़ों ने नरेंद्र गिरि को ही अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष माना. उज्जैन के 2016 कुंभ में एक बार फिर नरेंद्र गिरि को ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर मंजूरी मिली. श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा, हरिद्वार के महामंडलेश्वर महेशानंद गिरि कहते हैं, ''नरेंद्र गिरि अधिकतर अखाड़ों के बीच सर्वमान्य थे लेकिन उनके बाद अखाड़ों के बीच विवाद और होड़ का सिलसिला शुरू हो सकता है.''

अखाड़ा परिषद में दो फाड़ होने के बाद संतों का एक गुट इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहा है. हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ भूमा निकेतन के अध्यक्ष अच्युतानंद तीर्थ इसे ''झगड़ा परिषद'' कहते हैं. अच्युतानंद कहते हैं, ''साधु संतों के झगड़ों व टकराव से बचने के लिए अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था, लेकिन 50 से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी अखाड़ा परिषद पंजीकृत संगठन नहीं बन पाया है. न ही इसकी कोई नियमावली है और न कोई कार्यालय.'' प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष रवींद्र पुरी कहते हैं, ''बहुत से अखाड़े अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं. ऐसे में अखाड़ा परिषद को रजिस्टर्ड संस्था बनाने में दिक्कतें हैं. अभी तक परिषद का कोई कार्यालय भी नहीं है. दोनों गुटों की एकता के बाद अखाड़ा परिषद को रजिस्टर्ड संस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा.''

अखाड़ों के बीच विवाद को खत्म कराने के लिए राजनेता भी कोशिश कर रहे हैं. उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर साक्षी महाराज ने अखाड़ा परिषद के एक गुट के सचिव हरि गिरि से बात की है. केंद्र में राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं. निरंजन ज्योति ने निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारियों से अखाड़ा परिषद के दोनों गुटों के बीच एकता करने की पेशकश की है. फिलहाल दोनों गुट अपने दावे कर रहे हैं. (देखें आरोप-प्रत्यारोप) अगर सुलह नहीं हुई तो अखाड़ा परिषद के दोनों धड़े कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ में भूमि आवंटन से लेकर संतों और भक्तों की सुविधाओं के लिए अपने अलग दावे पेश करेंगे. इससे विवादों का अंतहीन सिलसिला शुरू होगा.

अखाड़ों की राजनैतिक महत्वकांक्षाएं गुटबाजी का कारण बनती

"मैं लोकतांत्रिक तरीके से अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बना हूं"

महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रवींद्र पुरी ने इंडिया टुडे के एसोसिएट एडिटर **आशीष मिश्र** *से बातचीत की.*

● अखाड़ा परिषद का चुनाव 25 अक्तूबर को प्रस्तावित था. तीन दिन पहले अचानक चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ी?

अखाड़ा परिषद एक सामाजिक लोकतांत्रिक संगठन है. आम तौर पर सर्वसम्मति से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होता है लेकिन कई बार विचार नहीं मिलते हैं तो बहुमत के आधार पर अध्यक्ष चुना जाता है. पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की असामयिक मौत के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद खाली था. इस पद को भरने के लिए कुछ अखाड़ों की लोकतंत्र में सहमति थी, कुछ की नहीं थी. जिनकी लोकतंत्र में सहमति थी उन अखाड़ों ने 21 अक्तूबर के चुनाव में हिस्सा लिया. वर्ष 2015 में अखाड़ा परिषद के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था. उस वक्त नौ अखाड़ों का समर्थन पाकर नरेंद्र गिरि अध्यक्ष बने थे. इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस बार भी चुनाव हुआ है. इस चुनाव में चारों अखाड़ों, संन्यासी, वैष्णव, उदासीन और निर्मल संप्रदाय के अखाड़ों ने हिस्सा लिया है.

● क्या अखाड़ा परिषद के दो फाड़ हो गए हैं?

प्रयागराज में तो केवल संन्यासी अखाड़ों ने चुनाव में हिस्सा लिया. निरंजनी अखाड़ा के रवींद्र पुरी को अध्यक्ष बना दिया. जूना अखाड़े के हरि गिरी महामंत्री बने जो 15 वर्षों से इसी पद पर हैं. इसी को तो लेकर विवाद है. इस अखाड़ा परिषद को सभी संप्रदायों का समर्थन नहीं है. यह केवल शैव (संन्यासी) अखाड़ों का चुनाव था. नरेंद्र गिरि की मृत्यु के बाद अखाड़ा परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष निर्मल अखाड़े के देवेंद्र सिंह शास्त्री को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. इनकी अध्यक्षता में 21 अक्तूबर को हरिद्वार में बैठक हुई और मुझे अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया. मुझे सात अखाड़ों का समर्थन है जबकि प्रयागराज में हुए चुनाव में रवींद्र पुरी को छह अखाड़ों ने चुना है.

● हरिद्वार कुंभ के दौरान वैरागी अखाड़ों के समर्थन से आप संन्यासी अखाड़ों के विरोध में खड़े हो गए थे?

हरिद्वार कुंभ में वैरागी अखाड़ों ने जमीन की उपलब्धता और स्नान के समय को लेकर अखाड़ा परिषद पर उपेक्षा का आरोप लगाया था. इसलिए वैरागी अखाड़ों ने अपने आपको अलग कर लिया था. मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं थी.

● आप निर्मल अखाड़ा के समर्थन का दावा कर रहे हैं जबकि इसके कुछ लोग प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में शामिल हुए थे?

पंजाब के निर्मल अखाड़े के स्थानीय महंतों का आपसी विवाद कोर्ट में है. उन्हीं में से किसी को प्रयागराज की बैठक में शामिल करा दिया गया है. ज्ञान देव सिंह कानूनी रूप से और सर्वसम्मत से निर्मल अखाड़े के महंत है. वे मेरा समर्थन करते हैं.

● अखाड़ों में परस्पर विवाद से समाज में एक गलत संदेश जा रहा है?

यह चिंता का विषय है. प्रयास किया जा रहा है कि सभी अखाड़े एक हो जाएं. लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना पक्ष रखने का. हम सब लोग एकता के लिए प्रयास करेंगे. हरि गिरी जी से भी बात की जाएगी.

● वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है. इसमें आप अपने अखाड़ा परिषद की क्या भूमिका देखते हैं?

अखाड़ा पंथ निरपेक्ष हैं. अखाड़ा से जुड़े संत मंदिरों में रहते हैं, वहां सभी पार्टियों के लोग आते हैं. किसी संत का व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक नेता से संबंध हो सकता है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के नीलकंठ में हुआ है. उनसे मेरे व्यक्तिगत संबध है.

आरोप-प्रत्यारोप

"मैं चुनाव नहीं, परंपरा के मुताबिक अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बना हूं"

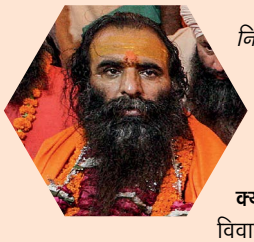

निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष रवींद्र पुरी को 25 अक्तूबर को प्रयागराज में अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया. उन्होंने अपने ऊपर आरोपों पर सफाई दी.

● अखाड़ा परिषद में विवाद की आप क्या वजह मानते हैं?

विवाद कुछ नहीं है. असल में मेरा चुनाव नहीं हुआ है. एक वर्ष पहले अखाड़ा परिषद का चुनाव हुआ था जिसमें नरेंद्र गिरि को अध्यक्ष बनाया गया था. अखाड़ा परिषद की परंपरा है कि अगर कार्यकाल के बीच में अध्यक्ष की मौत हो जाती है, तो उसका पद उसी अखाड़े के दूसरे पदाधिकारी को मिल जाता है. इस तरह परंपरा के अनुसार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पर मेरा ही अधिकार है. अखाड़ा परिषद का चुनाव व्यक्ति का नहीं बल्कि अखाड़ों का होता है. अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर पूरी कार्यकारिणी का चुनाव हो, ऐसा नहीं होता है. दूसरे अखाड़ों की महत्वाकांक्षाएं ही अखाड़ा परिषद के विवाद की जड़ है.

● उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं?

यह मैं नहीं जानता. अगर 25 अक्तूबर को अखाड़ा परिषद की प्रस्तावित बैठक से पहले चुनाव कराना था तो नियमानुसार 20 दिन पहले एजेंडा जारी करना चाहिए था. दूसरे गुट ने शाम को अचानक बैठक की और 21 अक्तूबर को महानिर्वाणी अखाड़े के रवींद्र पुरी को अध्यक्ष घोषित कर दिया. यह कोई चुनाव नहीं है. अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार महामंत्री को होता है.

● दूसरे गुट का तर्क है कि नरेंद्र गिरि की मौत के बाद कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शास्त्री की अध्यक्षता में 21 अक्तूबर को हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई गई थी.

देवेंद्र सिंह शास्त्री से पूछो कि उन्हें कब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया. उसका प्रस्ताव कहां है. वह दिखाएं. नरेंद्र गिरि की मौत के बाद अखाड़ा परिषद की कोई बैठक नहीं हुई तो वह कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बन गए. दूसरे गुट ने केवल फर्जीवाड़ा किया है.

● आपको केवल संन्यासियों की अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बताया जा रहा है. आपको सभी संप्रदायों का समर्थन नहीं हासिल है?

मुझे देश के 90 फीसदी संतों से जुड़े अखाड़ों का समर्थन हासिल है. मेरे पास भरपूर समर्थन होने के कारण ही दूसरे गुट ने आनन-फानन में हरिद्वार में चुनाव कराया. अगर उनके पास बहुतायत संतों का समर्थन होता तो वह ऐसा नहीं करते.

● निर्मल अखाड़े द्वारा आपको समर्थन पर सवाल खड़े हो रहे हैं?

निर्मल अखाड़े के अध्यक्ष या श्रीमहंत रेशम सिंह हैं. रेशम सिंह ने हमें समर्थन दिया है. हरिद्वार में दूसरा गुट ज्ञान देव सिंह के समर्थन का दावा कर रहा है जबकि कोर्ट ने इन्हें निर्मल अखाड़ा का अध्यक्ष नहीं माना है.

● वर्ष 2022 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी अखाड़ा परिषद की भी क्या कोई भूमिका रहेगी?

संत समाज तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है.

क्या है अखाड़ा परिषद

आदि शंकराचार्य की प्रेरणा से समाज में धर्म विरोधी शक्तियों से निबटने के लिए अखाड़ों का गठन हुआ था. वर्तमान में कुल 13 अखाड़े हैं जो हिंदू त्योहारों का आयोजन करते हैं. कुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन में इन अखाड़ों की बड़ी भूमिका होती है. कुंभ के दौरान अखाड़ों के बीच होते संघर्ष को रोकने के लिए 1954 में ''अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद'' का गठन किया गया था. इसमें सभी 13 अखाड़े शामिल हैं.

कैसे होता है चुनाव

प्रत्येक अखाड़ा अपने दो सदस्यों को अखाड़ा परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है. इस प्रकार 13 अखाड़े के सभी 26 सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रवक्ता का चुनाव करते हैं. परिषद का चुनाव हर पांच वर्ष पर होता है.

हिंदू धर्म में अखाड़े

कुल 13 जो तीन मतों यानी शैव संन्यासी, वैरागी और उदासीन में बंटे हुए हैं

शैव संन्यासी संप्रदाय

(इसके तहत कुल सात अखाड़े हैं. शिव और उनके अवतारों को मानते हैं.)

- श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, कनखल, हरिद्वार
- श्री पंच अटल अखाड़ा, वाराणसी
- श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, दारागंज, प्रयागराज
- श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, त्रयंबकेश्वर, नासिक
- श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, बाबा हनुमान घाट, वाराणसी
- श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी
- श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, गिरीनगर, भवनाथ, जूनागढ़, गुजरात

वैरागी संप्रदाय

(इसमें कुल तीन अखाड़े हैं. यह विष्णु के उपासक हैं.)

- श्री दिगंबर अनी अखाड़ा, शामलाजी खाक चौक मंदिर, साबरकांठा, गुजरात
- श्री निर्वानी अखाड़ा, हनुमान गढ़ी, अयोध्या
- श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, धीर समीर मंदिर बंसीवट, वृंदावन

(यह दो गुटों में बंट गया है.)

उदासीन संप्रदाय

(इसमें कुल तीन अखाड़े हैं. मुख्यतः सिख-साधुओं से जुड़ा अखाड़ा. सनातन धर्म को मानने वाले)

- श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, कृष्णनगर, कीडगंज, प्रयागराज
- श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, कनखल, हरिद्वार
- श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड (यह दो गुटों में बंट गया है.)

''अखाड़ा परिषद में लंबे समय से संन्यासी परंपरा के निरंजनी और जूना जैसे बड़े अखाड़ों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए वैरागी और उदासीन परंपरा के अखाड़ों के समर्थन से हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के एक अलग गुट का गठन हुआ है''

—सुशील पांडेय,

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर

रही हैं. नरेंद्र गिरि की समाजवादी पार्टी से नजदीकियां थी. वर्ष 2019 के प्रयागराज कुंभ में स्नान करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नरेंद्र गिरि की गंगा में डुबकी लगाती हुई तस्वीरों ने खासा चर्चा बटोरी थी. वहीं प्रयागराज कुंभ के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि के शिविर में पूजा करने के बाद संतों के साथ भोजन किया था. जूना अखाड़ा का मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पड़ता है. वाराणसी दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी कई बार जूना अखाड़े के संतों से आशीर्वाद लेते रहे हैं. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर सुशील पांडेय कहते हैं, ''भगवान राम और कृष्ण भाजपा के एजेंडे में हैं. इसी वजह से विष्णु को मानने वाले वैरागी संप्रदाय से जुड़े अखाड़े राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं. अखाड़ों की अंदरूनी राजनीति में बदलाव की एक वजह यह भी है.''

अखाड़ा परिषद कुंभ और अर्धकुंभ में संतों की व्यवस्था करता है. विभिन्न अखाड़े सरकार पर दबाव बनाकर कुंभ परिसर में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दिलाने का प्रयास करते हैं. 2021 के हरिद्वार कुंभ में वैरागी संप्रदाय के तीन अखाड़ों ने खुद को उपेक्षित महसूस कर अखाड़ा परिषद से अलग कर लिया था. यहीं से अखाड़ा परिषद में विभाजन की नींव तैयार हुई थी. वैरागी अखाड़ा का आरोप था कि हरिद्वार कुंभ में उन्हें दूसरे अखाड़ों की तुलना में काफी कम जगह आवंटित हुई थी. शाही स्नान में पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था. इन अखाड़ों के आपसी द्वंद्व हिंदू समाज और उसकी राजनीति को दूर तक प्रभावित कर सकते हैं. ■

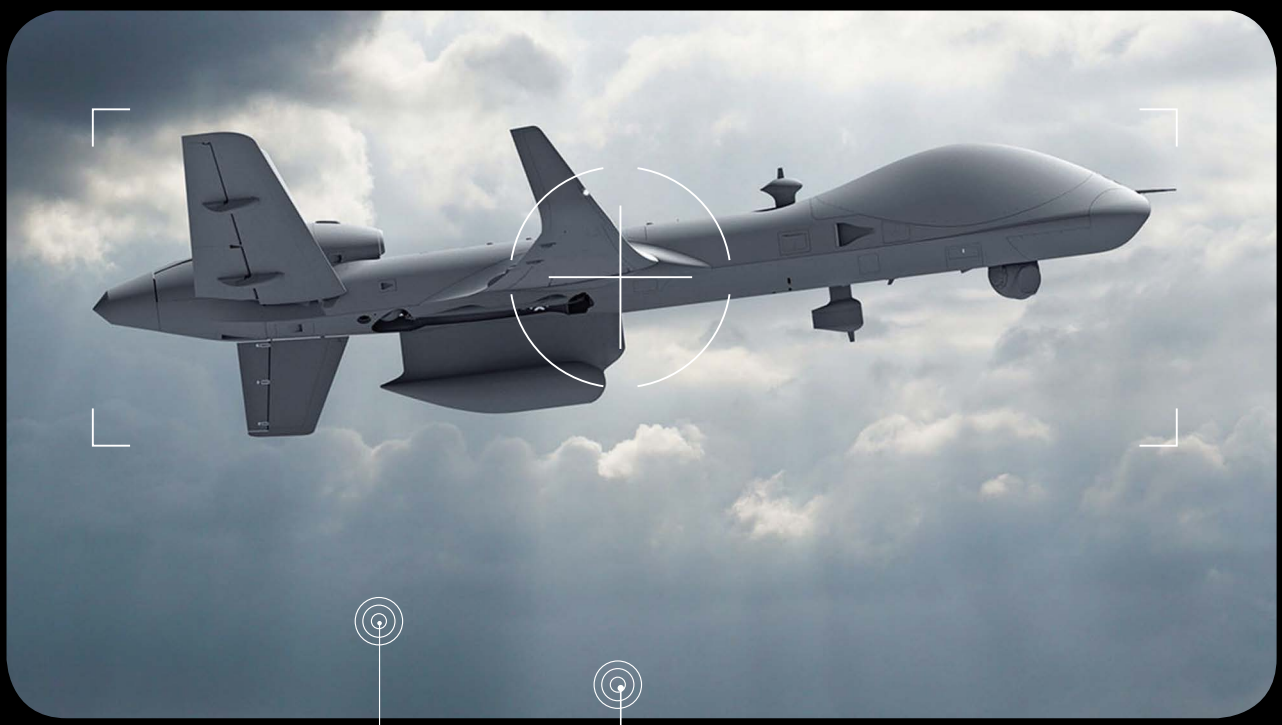

उपमहाद्वीप के निगहबान

भारतीय सेनाएं अमेरिका में बने एमक्यू-9वी ड्रोन हासिल करने के लिए 22,500 करोड़ रुपए के सौदे पर बातचीत कर रही हैं. भारत-चीन सैन्य गतिरोध की वजह से इस ड्रोन की तत्काल जरूरत आ गई है

संदीप उन्नीथन

↑ **सौदा पक्का?** प्रधानमंत्री मोदी के साथ जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल; सी गार्जियन ड्रोन (ऊपर)

हिं

द महासागर के हजारों फुट ऊपर आसमान में तैरते क्रॉस के आकार के दो सी गार्डियन ड्रोन की बदौलत नई दिल्ली का सुरक्षा प्रतिष्ठान ज्यादा दूर तक देख पा रहा है. ये पैनी हवाई आंखें बगैर पलकें झपकाए बीते नौ महीनों से भारतीय प्रायद्वीप के इर्द-गिर्द सक्रिय चीनी और पाकिस्तानी युद्धपोतों की बिल्कुल साफ तस्वीरें ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के नेवल वॉर रूम में लगी वीडियो स्क्रीन पर भेजती रही हैं.

एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन भारतीय नौसेना ने पिछले साल अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से लीज पर लिए थे. उपग्रह संचालित इन

दोनों ड्रोन ने चेन्नै से 77 किमी पश्चिम में अरक्कोनम के नौसैन्य एयरबेस से उड़ान भरी थी और ये अदन की खाड़ी से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य तक की विशाल पट्टी के ऊपर एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा के औसत से 5,000 घंटों से ज्यादा की उड़ान पूरी कर चुके हैं. इनके 20 मीटर यानी क्रिकेट की पिच जितने चौड़े पंख पर हथियार रखने की नौ जगहें हैं, जिन्हें 'हार्ड पॉइंट' कहा जाता है, जिनसे ये दो टन इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार ले जा सकते हैं. बारीक से बारीक ब्योरे कैद कर लेने वाले इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रा-रेड सेंसर लंबी दूरी की तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं. एक सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) भौगोलिक खासियतों की तस्वीरें जुटा सकता है. एक मैरीटाइम पैट्रोल रडार समुद्री सतह पर निशानों का पता लगा सकता है. इनवर्स या विलोम एसएआर 300 से ज्यादा किमी दूर की चीजों को खोजकर उनकी तस्वीर लेकर और उनका वर्गीकरण कर सकता है.

ये ड्रोन महासागर में गिराने के लिए सोनोबॉय यानी आवाज को पकड़ लेने वाली तैरती डिवाइस ले जा सकते हैं और टॉरपीडो युक्त पनडुब्बियों का पीछा और शिकार कर सकते हैं, युद्धपोतों पर ऐंटी-शिप मिसाइलें दाग सकते हैं, लेजर-गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल करके चलते हुए ट्रक पर हमला कर सकते हैं या किसी इमारत की खुली खिड़की के भीतर मिसाइल गिरा सकते हैं. सी गार्डियन के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों पर बिग डेटा का विश्लेषण करने वाली एल्गोरिद्म भी है, जिससे बड़ी तादाद में रॉ डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है. सशस्त्र बलों के एक बड़े अफसर कहते हैं, ''यह गेम-चेंजर है. इसके साथ भारत के सशस्त्र बल ड्रोन युद्ध के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं.'' ड्रोन युद्ध का यह नया युग पिछले साल शुरू हुआ माना जाता है. नागोर्नो-कराबाख के विवादित इलाके को लेकर सितंबर 2020 में छिड़े और 44 दिन चले टकराव के दौरान अजरबैजान के तुर्की-निर्मित लड़ाकू ड्रोनों ने आर्मेनियाई टैंकों, मिसाइलों और वाहनों को तबाह किया था. दो देशों के बीच यह पहली जंग थी जिसमें ड्रोन ने निर्णायक भूमिका अदा की थी.

रक्षा मंत्रालय ने इज्राएली हेरॉन के पक्ष में 'खरीदो और बनाओ' की दलील दी. लेकिन सुरक्षा बलों ने यह कहकर इसे कामयाब चुनौती दी कि गार्डियन में हवा में टिकने, भार उठाने और दूरी के मामले में हेरॉन के मुकाबले दोगुनी क्षमता है

भारतीय सशस्त्र बल 30 सी गार्डियन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) या सुदूर संचालित विमान प्रणालियां हासिल करने जा रहे हैं. इनके अधिग्रहण का मामला जल्द ही रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) के सामने रखा जाएगा. इन्हें हाइ-एल्टीट्यूड लांग एंड्यूरेंस (एचएएलई या हेल) या ऊंचाई पर लंबे समय टिके रहने वाले ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 40,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर काम करते हैं, 40 घंटों से ज्यादा हवा में रहते हैं और 10,000 किमी से ज्यादा दूरी की क्षमता से लैस हैं.

नौसेना, वायु सेना और सेना तीनों को 10-10 ड्रोन मिलेंगे. 3 अरब डॉलर (22,500 करोड़ रुपए) से ज्यादा का यह सौदा अमेरिका के साथ भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक होगा. 2011 में 4 अरब डॉलर (30,000 करोड़ रुपए) के 10 सी-17 ग्लोबमास्टर-III परिवहन विमानों के सौदे के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा सौदा होगा.

चीनी उकसावा

गार्डियन भारतीय सशस्त्र बलों की तरफ से संचालित पहले हथियारबंद ड्रोन होंगे. सेनाओं के पास अभी केवल 'कैमकाजी ड्रोन' हैं जो लक्ष्य को भेद देते हैं. अब जो खरीद होने जा रही है, उस पर साउथ ब्लॉक में बीते तीन सालों से गहन चर्चा चल रही थी. मगर इन्हें तत्काल खरीदने की जरूरत मई 2020 के बाद महसूस हुई, जब पूर्वी लद्दाख में सरहद पर चीन से टकराव हुआ. पाकिस्तान से सटी 3,323 किमी लंबी सरहद पर पहले ही जूझ रहे भारतीय सशस्त्र बलों को चीन के साथ युद्ध की आशंका ने झकझोरकर उनकी आरामगाह से बाहर निकाल दिया. उन्हें अब चीन के साथ सटी और ज्यादा लंबी और समुद्री सीमा पर भी ध्यान देना पड़ा. सेना के एक बड़े अफसर कहते हैं कि पिछले साल मई के बाद रक्षा अधिग्रहण उत्तरी और पूर्वी सरहदों पर निगरानी और टोह प्रणालियों की तैनाती को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं.

पिछले साल पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर ओछी घुसपैठ को पीछे से सहारा देने के लिए पूर्वी लद्दाख में दो डिविजन तैनात कीं, उसी पल भारतीय सशस्त्र बल उन पर नजर रखने में जुट गए. इज्राएल-निर्मित मुट्ठी भर 'हेरॉन' ड्रोन इतने सक्षम नहीं थे कि लगातार मंडराते रहकर निशानों पर नजर रख सकें. सेना को इस काम के लिए नौसेना के पी-8आइ पसाइडन विमानों का अलहदा मकसद के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, जिनका मूल काम पनडुब्बियों का पीछा करना है. उन्होंने ही हिमालयी सरहद पर चीनी जमावड़े की ब्योरेवार तस्वीरें खींचकर दीं.

बीजिंग की लड़ाकू मानसिकता और तीन दशकों के नियम-कायदों की अवहेलना ने 3,448 किमी लंबी एलएसी को अस्थिर क्षेत्र में बदल दिया है. इस पर और घुसपैठ की आशंका बनी हुई है. यहीं लगातार निगरानी रखने की क्षमता से लैस आरपीएएस की अहमियत बढ़ जाती है. सेना और वायु सेना रणक्षेत्र की जानकारी के लिए इन्हें चाहती हैं, ताकि एलएसी पर दिन-रात और सभी मौसमों में सैन्य जमावड़ों पर नजर रख पाएं और लक्ष्य खोज सकें. साथ ही, दुश्मन इलाके के भीतर इस तरह सटीक हमले कर पाएं जिससे पायलट को नुक्सान पहुंचने का खतरा भी न हो. नौसेना को ये इसलिए चाहिए ताकि वह उस इंडोनेशियाइ द्वीप समूह के इर्द-गिर्द कई सारे 'चोक पॉइंट' पर नजर रख पाए जिसके आगे हिंद महासागर क्षेत्र (आइओआर) में पीएलए तेजी से युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात कर सकती है. गार्डियन अमेरिका में ही बने पी-8आइ एएसडब्ल्यू (ऐंटी-सबमैरीन वारफेयर) विमान और एमएच-60 रोमियो हेलिकॉप्टर के साथ काम करने के लिए डेटा की साझा लिंक का इस्तेमाल करते हैं. तीनों मिलकर आइओआर में पनडुब्बियों का पीछा करने वाली घातक तिकड़ी बन जाते हैं.

सी गार्डियन ही क्यों?

सी गार्डियन की खरीद का एकमात्र संकेत वाशिंगटन में हुई एक तस्वीर से मिला. सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में जनरल एटॉमिक्स के सीईओ डॉ. विवेक लाल से मिले. बातचीत संक्षिप्त और सौहार्द्रपूर्ण थी. पीआइओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) और एरोनॉटिकल इंजीनियर 52 वर्षीय लाल अमेरिका की दो सबसे बड़ी रक्षा फर्म बोइंग और लॉकहीड मार्टिन में इंडिया ऑपरेशंस के प्रमुख रह चुके हैं. बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रमुख के नाते उन्होंने 5 अरब डॉलर (37,500 करोड़ रुपए) से ज्यादा के सैन्य कार्गो और नौसैन्य गश्ती विमानों की खरीद की व्यवस्था की थी.

यह स्पष्ट नहीं है कि मोदी की लाल क्या बातचीत हुई, पर इसे

आसमान में बहुपयोगी हथियार

विभिन्न उपयोगों वाले एमक्यू-9बी समुद्री और आकाशीय गार्डियन ड्रोन भारत-अमेरिका के बीच सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सौदों में शुमार है और यह तीनों सेनाओं के लिहाज से भी अपनी तरह का पहला अनुभव है

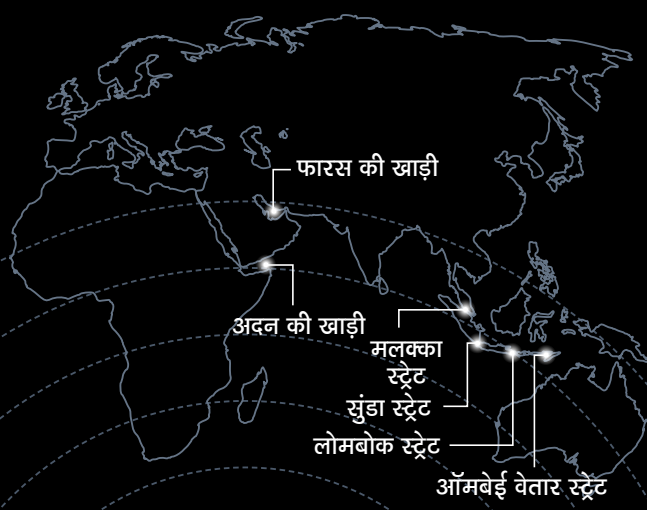

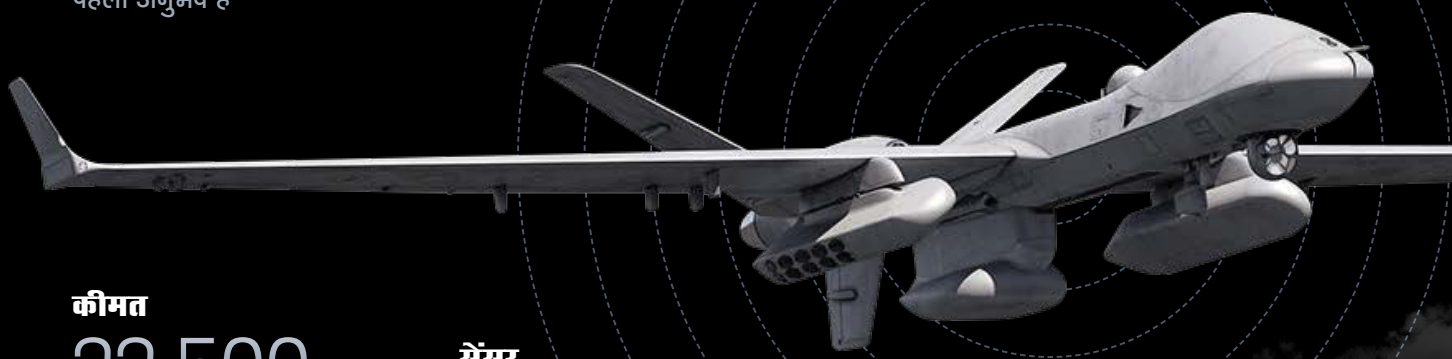

कीमत

22,500
करोड़ रुपए
700 करोड़ रु. प्रति ड्रोन

कुल संख्या

30
थल सेना, नौसेना और वायु सेना प्रत्येक के लिए 10-10

रेंज

12,000 किलोमीटर

ऊंचाई

40,000 फुट

हवा में टिकने का समय

40 घंटे

सेंसर

- सिंथेटिक अपर्चर रडार (हर मौसम में भू-भाग की 3 डी तस्वीर ले सकता है)
- मैरीटाइम पेट्रोल रडार (सतह के जहाजों का पता लगाना)
- इनवर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार (पनडुब्बियों और जहाजों को उनके मूवमेंट से पहचानना और पीछा करना)
- हाइ डेफिनिशन इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इन्फ्रारेड लेजर (इस इमेजिंग सिस्टम के जरिए लक्ष्य के हाइ डेफिनिशन फोटो और वीडियो भेजे जाते हैं)
- एएसडब्ल्यू ऑपरेशंस के लिए सोनोबॉयज (पोर्टेबल सोनार एयरक्राफ्ट से बाहर निकलता है और पानी में तैरते हुए पनडुब्बी की टोह लेता है)

अस्त्र

सेंसर या अस्त्र ले जाने के लिए इसमें नौ 'हार्ड पॉइंट' हैं दो टन का पेलोड ले जाने में सक्षम

- लेजर गाइडेड बम
- ऐंटी टैंक मिसाइल
- ऐंटी शिप मिसाइल
- अधिकतम टेक ऑफ भार - 4 टन
- चालक दल- ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर दो पायलट

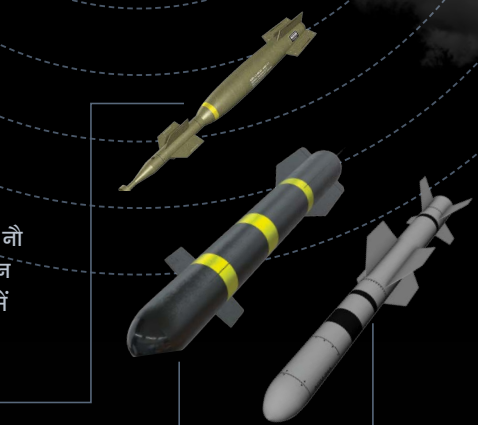

ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

तीनों सेनाओं को क्यों है हेल ड्रोन की जरूरत

नौसेना

- सतह रोधी युद्ध में यह जंगी जहाजों को खोजकर उनका पीछा कर सकता है
- पनडुब्बी रोधी जंग (एएसडब्ल्यू) में पनडुब्बी को खोजने और पीछा करने के लिए सोनोबॉय तैनात कर सकता है
- साझा डेटा लिंक होने के कारण यह एमएच-60आर रोमियो हेलिकॉप्टरों और पी-8I एएसडब्ल्यू के साथ तालमेल से संचालित हो सकता है
- ऑम्बेई वेतार, लोमबोक, सुंडा और मलक्का समुद्री 'चोक पॉइंट' हैं

थल सेना

- सैन्य जमावड़ों की दिन-रात निगरानी
- दुश्मन के राडार, मिसाइल क्षेत्र और वाहनों की टोह लेना
- हवा से जमीन पर सटीक हमले

वायु सेना

- हवाई हमलों का मार्ग प्रशस्त करना
- बम से नुक्सान का आकलन करना
- दुश्मन के एयर डिफेंस को तोड़ना

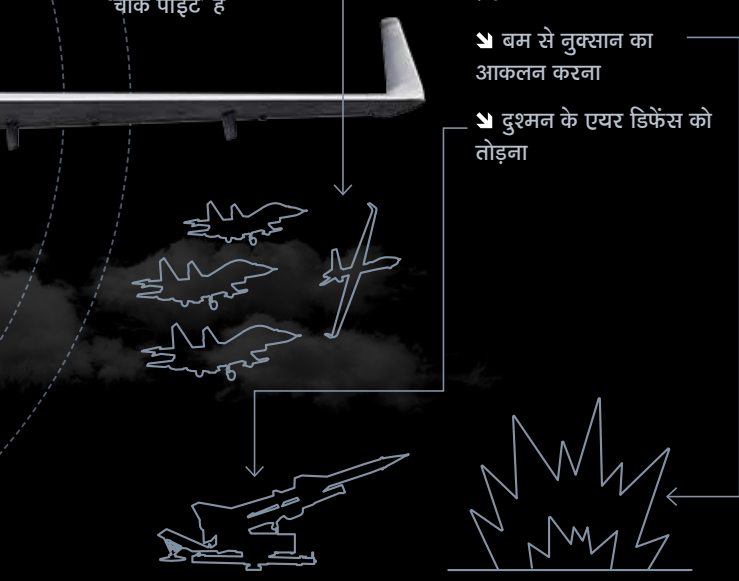

ऊंचे दाम

एक सी/स्काइ गार्डियन की कीमत

(700 करोड़ रुपए)

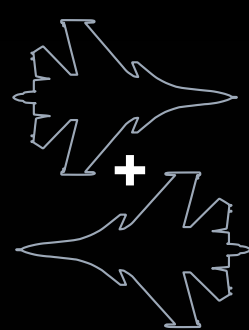

इतनी कीमत में दो एसयू-30 एमकेआइ आते हैं

गार्डियन हासिल करने की भारत की उत्सुकता के सबसे साफ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. भारत और अमेरिका करीब 10 अरब डॉलर (75,000 करोड़ रुपए) के रक्षा सौदों पर बातचीत कर रहे हैं. 3 अरब डॉलर का गार्डियन सौदा इस साल राष्ट्रपति जो बाइडन के पद संभालने के बाद अमेरिका के साथ पहला सौदा होगा.

ये ड्रोन आरपीएएस टेक्नोलॉजी में अमेरिका के दो दशक लंबे अनुसंधान और विकास की उपज हैं. वे आतंक के खिलाफ अमेरिका की अगुआई में दो दशक लंबे (2001 से 2021 के बीच) वैश्विक युद्ध की रीढ़ रहे हैं, जिसमें 91,340 ड्रोन हमले किए गए और उनमें से कई आतंकी सरगनाओं की हत्या के लिए किए गए. ड्रोन के नए रूप सटीक-निर्देशित मिसाइलें दागते हैं. भारत को आरपीएएस की पात्रता तब हासिल हुई जब 2016 में उसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम (एमटीसीआर) में शामिल किया गया. गार्डियन 'कैटेगरी 1' रक्षा आइटम हैं जो एमटीसीआर पर दस्तखत करने वाले देशों को ही बेचे जाते हैं. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2017 में भारत को गार्डियन की बिक्री को मंजूरी दी थी.

वायु सेना ने लागत को लेकर सौदे पर एतराज किया था. तब हरेक ड्रोन की कीमत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा या मोटे तौर पर लाइसेंस के आधार पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए दो रूसी एसयू-30 एमकेआइ भारी लड़ाकू ड्रोन की कीमत के बराबर थी. सौदे में टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भी शामिल नहीं था. रक्षा मंत्रालय को यह सौदा सरकार की उस मेक इन इंडिया नीति के खिलाफ लगा जिसमें सरकार चाहती है कि रक्षा मैन्युफैक्चरर देश के भीतर टेक्नोलॉजी में निवेश करें. उन्होंने इज्राएली हेरॉन के पक्ष में 'खरीदो और बनाओ' प्रोजेक्ट की दलील दी. सशस्त्र बलों ने यह कहकर इसे कामयाब चुनौती दी कि गार्डियन में हवा में टिकने, भार उठाने और दूरी के मामले में हेरॉन के मुकाबले दोगुनी क्षमता है.

यह तीनों सेनाओं के लिए पहला संयुक्त सौदा है जिसमें सबसे आगे नौसेना है. अफसरों का कहना है कि उन्होंने तीनों सेनाओं में प्रशिक्षण, रखरखाव और आधारस्थल बनाने के साझा पैकेज पर मोलभाव करके मूल लागत में करीब 50 फीसद कमी करवाई. इस तरह वे 2000 के दशक के शुरुआती सालों में इज्राएल से हेरॉन ड्रोन खरीदते वक्त हुआ वाकया दोहराने से बच गए. तब तीनों सेनाओं ने इज्राएल से अलग-अलग बात कर अलग-अलग कीमतों पर, साझा लॉजिस्टिक्स या बेसिंग के बिना, एक समान ड्रोन खरीदे थे. जब इज्राएली ड्रोन आए तो दूसरी सेनाओं के ग्राउंड स्टेशनों से उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका और उनके एक दूसरे के साथ काम कर पाने के उद्देश्य पूरे नहीं हुए.

सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कमी पूरी करने के लिए जनरल एटॉमिक्स भारत में रखरखाव, मरम्मत और संपूर्ण जांच (एमआरओ) केंद्र स्थापित करने को राजी हो गई है, जो हर साल 50 एमक्यू-9 ड्रोन की सर्विस की क्षमता से लैस होंगे. इससे भारत, ताइवान और यूएई सरीखे दूसरे एशियाई देशों को बेचे गए एमक्यू-9 ड्रोन की भी सर्विस कर पाएगा.

डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) का रुस्तम-2 अब तक 16,000 से ज्यादा ऊंचाई पर आठ घंटे की उड़ानें भर चुका है. स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन क्षमता पाने की दिशा में यह भारत का नन्हा कदम हो सकता है. ■

लोकप्रिय होता पारंपरिक इलाज

महामारी के बाद स्वास्थ्य और आरोग्य बाजार में आया बड़ा उछाल आयुर्वेदिक उपचार मुख्यधारा का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बन रहा है

सोनाली आचार्जी के साथ शैली आनंद और अदिति पै

इलस्ट्रेशन : नीलांजन दास

प्रखर चोपड़ा के 61 वर्षीय पिता को जांच में जब गंभीर गठिया निकला, तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि इलाज करवाएंगे तो ऐलोपैथिक इलाज ही करवाएंगे. मुश्किल यह थी कि गठिया की मुख्य वजह यूरिक एसिड का स्तर कम करने के लिए उन्हें जो दवा दी गई, उससे पाचन की परेशानियां पैदा हो गईं. चोपड़ा कहते हैं, ''ठीक करने के बजाय दवा ने उनकी हालत और बदतर कर दी क्योंकि उन्हें बहुत एसिडिटी हो गई, वजन बहुत घट गया और ऊर्जा के स्तर में भारी गिरावट आई. एक पारिवारिक दोस्त की सलाह पर हमने आयुर्वेदिक उपचार आजमाए.'' आयुर्वेदिक उपचार में उन्हें क्षार का ज्यादा निर्माण करने वाली चीजें खाने में दी गईं, जैसे खूब सारा फलों का ताजा रस, हरी सब्जियां और चावल तथा दही. यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीजें पूरी तरह बंद कर दी गईं. मुंबई के 36 वर्षीय फैशन डिजाइनर चोपड़ा कहते हैं, ''इससे बहुत फर्क पड़ा. उनका यूरिक एसिड का स्तर कम हो गया और एसिडिटी में भी सुधार आया. आयुर्वेद को लेकर मेरे मन में संदेह रहा करते थे. मुझे लगता था कि इसमें न रिसर्च हुई है और न ही यह वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित है. हम जिन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने इलाज के बारे में मुझे समझाया, तब मुझे पता चला. अब मुझे लगता है कि दोनों (ऐलोपैथिक-आयुर्वेदिक) के पीछे बराबर विज्ञान है.''

रिसर्च ऐंड मार्केट्स की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आयुर्वेद का बाजार 2018 में करीब 33,000 करोड़ रुपए का था और 2024 तक इसके दोगुने से ज्यादा बढ़कर 71,000 करोड़ रुपए का हो जाने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बढ़ोतरी बढ़ती जन जागरूकता, प्राकृतिक अवयवों को ज्यादा तरजीह देने और आयुर्वेदिक उत्पादों में आरऐंडडी (अनुसंधान और विकास) के सुधार पर सरकार के जोर देने का नतीजा है. बिड़ला आयुर्वेद के चेयरमैन यश बिड़ला कहते हैं, ''ग्राहक आयुर्वेदिक (सिद्धांतों) को अपनी दिनचर्या में ज्यादा से ज्यादा शामिल कर रहे हैं. महामारी ने लोगों को आयुर्वेद की जबरदस्त अहमियत और लोगों को स्वस्थ रखने की इसकी क्षमता का अहसास करवाया है.''

इसमें शक नहीं कि आयुर्वेद के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने में कोविड ने गहरी भूमिका अदा की. मसलन, केरल में क्वारंटीन के दौरान बांटी गई राज्य सरकार की कोविड केयर किट में इंदुकांतम, सुदर्शनम, विल्वादि गुलिका, शादंगम और अपराजिता चूर्ण धूपम सरीखी आयुर्वेदिक दवाइयां थीं. किसी एक मरीज के लिए खास तौर पर भी दवाइयां बनाई गई हैं. अभी तक करीब 2,15,389 लोगों को कोविड के हल्के मामलों की आयुर्वेदिक दवा भेषजम दी गई है. इसके अलावा लांग-कोविड के लक्षणों की देखभाल के लिए 2,00,000 लोगों को पुनर्जनि दी गई है. महामारी के नतीजतन लोग निजी स्वास्थ्य देखभाल पर भी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. अनेक हर्बल/आयुर्वेदिक पर्सनल केयर उत्पाद

बढ़ता बाजार

एफएमसीजी* इम्यूनिटी उत्पाद

बिक्री में सालाना वृद्धि

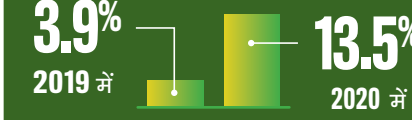

91% परिवारों में एक इम्यूनिटी बूस्टर उत्पाद खरीदा गया पिछले वर्ष

आयुर्वेद का बाजार

बाजार का आकार

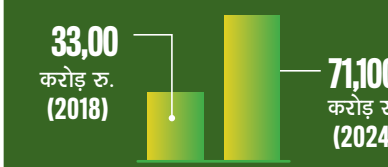

सेक्टर के मुताबिक

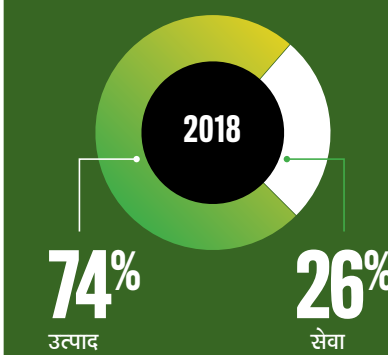

(*फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ; स्रोत: रिसर्च ऐंड मार्केट्स, कंटार स्टेटिस्टा)

बड़े खिलाड़ी

वित्तीय साल 2021 में पतंजलि समूह का राजस्व 30,000 करोड़ रु. से ऊपर रहा जबकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 में 13,118 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया था. पतंजलि आयर्वेद ने 2021 में 9,784 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया

डाबर के हेल्थकेयर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 30 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जिसमें परिचालन से प्राप्त राजस्व 2,600 करोड़ रु. और मुनाफा 437 करोड़ रु. रहा. इसके आयुर्वेदिक ओटीसी (ओवर द काउंटर) और आयुर्वेदिक इथिकल कारोबार ने 50 प्रतिशत बढ़ा है

हमदर्द ने अपने मेडिकल डिवीजन का सालाना टर्नओवर अगले पांच साल में 1,000 करोड़ रु. करने का लक्ष्य तय किया है, ऐसी जानकारी मिली है.

सबसे लोकप्रिय उत्पाद

च्यवनप्राश की बिक्री साल 2018 के मुकाबले 2019 में पांच प्रतिशत गिरी लेकिन 2020 में 132 प्रतिशत बढ़ी. पतंजलि और डाबर दोनों को फायदा हुआ

हमदर्द का जड़ी बूटी आधारित रिफ्रेशमेंट पेय रूह अफजा की इस साल 1,000 करोड़ रु. की बिक्री का लक्ष्य है, यह अब रेडी टु ड्रिंक स्वरूप में भी लॉन्च हो गया है

हिमालया ने अपने जड़ी-बूटी आधारित सेनिटाइजर प्योर हैंड्स की बिक्री में काफी वृद्धि देखी, इसकी प्योर हर्ब रेंज- गुडूची, तुलसी, अमालकी, अश्वगंधा व अन्य की बिक्री भी बढ़ी

बैद्यनाथ ने आयुष क्वाथ चूर्ण, आयुष क्वाथ टैबलेट, इम्यून गार्ड, गिलोय चूर्ण और गिलोय घन बटी जैसे अपने आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर उत्पादों की नई रेंज में व्यापक मांग देखी

दिल्ली में अप्रैल और मई 2021 के दौरान झंडु बाम की बिक्री में 20 गुना इजाफा हुआ

2020-21 की पहली तिमाही में डाबर हनीटस की बिक्री में 80 फीसद वृद्धि दिखी; डाबर हनी में 60 प्रतिशत की वृद्धि दिखी

वित्त वर्ष 2021 के दौरान पतंजलि के दंत कांति टूथपेस्ट की बिक्री 14 प्रतिशत बढ़कर 485 करोड़ हो गई

बनाने वाली मुल्तानी फार्मा के वाइस-चेयरमैन अर्जुन मुल्तानी कहते हैं, ''तेज रफ्तार जिंदगी की वजह से टियर-1 और टियर-2 के शहरों में लोग आयुर्वेद पर ध्यान नहीं देते थे. आयुर्वेद दवाओं का असर होने में कुछ वक्त लगता है और इसके लिए आहार में बदलाव की भी जरूरत होती है. कोविड के बाद से रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में कुल मिलाकर दिलचस्पी बढ़ी है और लोग अब वक्त देने को तैयार हैं. मुझे लगता है बढ़ती मांग के पीछे यही चालक शक्ति है—सेहत पर ज्यादा ध्यान.''

साल 2020 के बाद उस तरह की आयुर्वेदिक सेवाओं की मांग में, जो रिसॉर्ट और मसाज पार्लर में दी जाती हैं, कोविड लॉकडाउन की वजह से कमी आई है, जबकि आयुर्वेदिक उत्पादों और खासकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और तनाव से राहत देने वाले आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग में तेज बढ़ोतरी हुई है. मार्केट रिसर्च कंपनी कैंटार के डेटा से पता चलता है कि एफएमसीजी इम्यूनिटी उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी 2019 के 3.9 फीसद से बढ़कर 2020 में 13.5 फीसद पर पहुंच गई. इस अध्ययन से यह भी पता चला कि सर्वे में शामिल 91 फीसद परिवारों ने बीते साल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद खरीदे. डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा कहते हैं, ''प्राकृतिक और हर्बल दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग पिछले कुछ सालों से बढ़ रही है. सेहत की बढ़ती चिंता और पश्चिमी दवाइयों के साइड-इफेक्ट के बारे में जागरूकता के चलते भारत में उपभोक्ता आयुर्वेदिक उत्पादों को तरजीह दे रहे हैं.''

भारत में ब्रांडेड च्यवनप्राश के बाजार में कंपनी का 60 फीसद हिस्सा है और इस साल जून में खत्म तिमाही में उसके आयुर्वेदिक उत्पादों में 50 फीसद से ज्यादा की वृद्धि बताई गई है. उस तिमाही में च्यवनप्राश की बिक्री में 694 फीसद से ज्यादा का उछाल आया, जबकि हनीटस की बिक्री 80 फीसद से ज्यादा बढ़ी. 2020-21 की पहली तिमाही में डाबर हनी की बिक्री में 60 फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई. मल्होत्रा आगे कहते हैं, ''मांग में इस उछाल की वजह से च्यवनप्राश सरीखे आयुर्वेदिक उत्पादों की पैठ (बाजार) में अच्छी-खासी बढ़ी है. अलबत्ता वृद्धि की अभी और भी बहुत गुंजाइश है. बीते साल च्यवनप्राश की पैठ हालांकि दोगुनी हुई है, पर अब भी यह 8 फीसद ही है.''

च्यवनप्राश का ऐसा ही रुझान दूसरी फर्म में भी देखा गया. इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह गर्मियों में भी खूब बिका. पतंजलि आयुर्वेद ने अपने च्यवनप्राश पोर्टफोलियो में 6 मार्च से 6 अप्रैल के बीच पिछले महीने के मुकाबले 400 फीसद से ज्यादा की वृद्धि दिखाई. पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण कहते हैं, ''मैं आयुर्वेद को बाजार या उत्पाद के रूप में नहीं देखता. यह गोलियों या उत्पादों से कहीं ज्यादा है. इसका मतलब सर्वांगीण और निरोधक स्वास्थ्य देखभाल है. यह इस बात पर जोर देता है कि लोग पहले तो बीमार ही न पड़ें. बीमारियों का इलाज उनकी रोकथाम के बाद आता है.'' वे यह भी कहते हैं कि दिनचर्या संभालना आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा है. ''किस समय खाना चाहिए, क्या खाएं, कितना खाएं, किस मौसम

पतंजलि®

केश कान्ति

7 डेज़ चैलेंज*

बालों को स्वस्थ बनाये

MULTIPLE HAIR PROBLEMS — ONE SOLUTION —

बालों को झड़ने से रोकने और
उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए
100% हर्बल समाधान^

100% तक डैंड्रफ फ्री स्कैल्प

वैज्ञानिक और चिकित्सकीय रूप
से परीक्षित

सुरक्षित एवं नॉन–इर्रिटेन्ट

आपके नज़दीकी पतंजलि स्टोर एवं
प्रमुख स्टोर्स पर उपलब्ध

* आंतरिक अध्ययन के आधार पर / ^अतिरिक्त केमिकल के बिना

ऑनलाइन खरीदें: **Order Me app** और **www.patanjaliayurved.net**

कस्टमर केयर - 18001804108 | ई–मेल - feedback@patanjaliayurved.org | वेबसाइट - www.patanjaliayurved.org

में क्या खाना चाहिए, आयुर्वेद में इस सबका महत्व है. इलाज भी हर व्यक्ति के हिसाब से बहुत अलग और निश्चित होता है. इस विज्ञान की व्यापकता दिखाने के लिए मैं 10,000 से ज्यादा आयुर्वेदिक व्यंजन इकट्ठा कर रहा हूं.'' पतंजलि में आयुर्वेद को प्रकृति का कानून और विज्ञान माना जाता है. बालकृष्ण कहते हैं, ''जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, तभी बीमार पड़ते हैं.''

रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण वाकई आयुर्वेद के मूल में है. इसका एक सिद्धांत व्याधिकशमत्वम बीमारियों को रोकने वाली देखभाल के बारे में है. विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सिद्धांत शरीर को न केवल कोविड बल्कि दूसरी बड़ी बीमारियां का भी पता लगाने की शक्ति से लैस करता है. कोलकाता के सूरी सदर अस्पताल के आयुर्वेद विभाग के चिकित्सा अधिकारी अनिंद्य भट्टाचार्य कहते हैं, ''रोग प्रतिरोधक क्षमता के नुक्सान से चूंकि कोविड (के संक्रमण का जोखिम) बढ़ जाता है, इसलिए आयुर्वेदिक दवाएं तलाश करने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है. मेरे पास भी रोज आने वाले मरीज दोगुने हो गए हैं. यहां तक कि दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोग भी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आ रहे हैं, क्योंकि टीका लगा लेना व्यक्ति की कोविड से (पूरी तरह) रक्षा नहीं करता. कोविड के बाद के इलाज यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट और जुकाम पकड़ लेने की प्रवृत्ति के लिए भी लोग आते हैं. क्लासिकल दवा सुबर्णा-बसंता-मालती-रसा है जो बेहद असरदार है और इम्यूनिटी का स्तर ऊंचा रखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है.''

हालांकि भट्टाचार्य कहते हैं कि लोग सीधे दुकान से खरीदकर आयुर्वेद दवाएं ले लेते हैं, यह ठीक नहीं है. ''कुछ निश्चित काढ़े सभी के लिए उपयुक्त नहीं हैं. अत्यधिक एसिडिटी की संभावना वाले लोगों में काढ़े पीने के बाद पेचिश के लक्षण दिखाई देते हैं. बवासीर से ग्रस्त लोगों में रक्तस्राव बढ़ने की शिकायतें मिली हैं. इसी तरह सर्दी और खांसी के लिए अच्छी मानी जाने वाली तुलसी उन लोगों को रास नहीं आती जिनका पित्त बढ़ा हुआ होता है. आयुर्वेदिक दवाएं लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना सबसे अच्छा है.''

जिस एक आयुर्वेदिक उत्पाद में इस साल लोगों की अच्छी-खासी दिलचस्पी देखी गई, वह तनाव से राहत देने वाला बाम या मल्हम है. नई दिल्ली में झंडु बाम की बिक्री अप्रैल और मई 2021 के बीच, जो सामान्यत: इस उत्पाद के लिए ऑफ-सीजन है, 20 गुना बढ़ गई. झंडु बाम बनाने वाली इमामी के डायरेक्टर मोहन गोयनका कहते हैं कि कोविड की दूसरी लहर में ऐंटी-स्ट्रेस उत्पादों की बिक्री में उछाल देखा गया, जब कंपनी को महज तीन महीनों में 26 लाख नए ग्राहक हासिल हुए.

आयुर्वेदिक उत्पादों की वृद्धि की एक और वजह रोजमर्रा के उत्पादों के उपचारों की मार्केटिंग में आया सुधार है. पेय पदार्थों और स्किन केयर सहित आयुर्वेद आधारित उत्पादों का संग्रह रखने वाले वाराणसी के आरोग्य केंद्र काशी वेलनेस की संस्थापक नेहा आहूजा कहती हैं, ''दवाओं के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर और फार्मेसी की जरूरत होती है, पर अगर आप त्वचा की देखभाल या मुख की आंतरिक सफाई वाले उत्पादों या डिटॉक्सिफाई करने वाली चाय सरीखे पेय पदार्थों के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, तो आयुर्वेद बहुत सुलभ व आसान हो जाता है.''

आयुर्वेद आज वाकई तमाम तरह के उत्पादों में खोजा जा सकता है. मोरिंगा मसाला चाय से लेकर अश्वगंधा हॉट चॉकलेट और हलदी वाली कॉफी तक महामारी के बाद तमाम उत्पाद खासे विविधतापूर्ण और अनूठे हो गए हैं. भारत का सबसे बड़े वाटर प्यूरीफायर ब्रांड यूरेका फोर्ब्स जनवरी 2021 में एक नया उत्पाद लेकर आया—'डॉ एक्वागार्ड' जो 'आयुर्फ्रेश टेक्नोलॉजी' से लैस था और यह टेक्नोलॉजी पानी में आयुर्वेदिक अवयव घोल देती है. दिल्ली का रेस्तरां रूह अब 'आयुर्वेद के जायकों' से युक्त कॉकटेल पेश करता है, जबकि हेम्पस्ट्रीट इंडिया ने हाल में मासिक धर्म की ऐंठन कम करने के लिए आयुर्वेदिक भांग उत्पाद लॉन्च किए जो अब 21 राज्यों के 650 क्लिनिकों पर उपलब्ध है.

आयुर्वेदिक बाजार के कई बड़े ब्रांड ने भी उत्पादों में नवाचार के इस रुझान का अनुसरण किया. डाबर इंडिया ने मार्च के बाद 40 नए उत्पाद लॉन्च किए, जिनमें तुलसी और हल्दी की 'ड्राप्स' और आंवले, एलोविरा और गेहूं के ज्वारे का जूस शामिल है. भारत भर में 6,000 एकड़ जमीन पर चिकित्सकीय पौधे उगाने वाली यह कंपनी हल्दी, गिलोय और अश्वगंधा सरीखी टैबलेट या गोलियां लाने का प्रयोग भी कर रही है. मल्होत्रा कहते हैं, ''उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए हम

चंद्रदीप कुमार

आयुर्वेद गोलियों या उत्पादों से कहीं बढ़कर है. इसका मतलब सर्वांगीण और निरोधक स्वास्थ्य देखभाल है. यह इस बात पर जोर देता है कि लोग पहले तो बीमार ही न पड़ें

आचार्य बालकृष्ण
सीईओ, पतंजलि आयुर्वेद

सेहत की बढ़ती चिंता और पश्चिमी दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में जागरूकता के चलते उपभोक्ता भारत में आयुर्वेदिक उत्पादों को तरजीह दे रहे हैं

मोहित मल्होत्रा
सीईओ, डाबर इंडिया

रुबेन सिंह

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

आयुर्वेदिक दवाओं के लिए डॉक्टर और फार्मेसी की जरूरत होती है लेकिन डिटॉक्सीफाइ करने वाली चाय जैसे आयुर्वेदिक उत्पाद बहुत सुलभ हैं

नेहा आहूजा
संस्थापक, काशी वेलनेस

महामारी ने लोगों को आयर्वेद की जबरदस्त अहमियत और लोगों को स्वस्थ रखने की इसकी क्षमता का एहसास करवाया है.

यश बिरला
चेयरमैन, बिरला आयर्वेद

प्रदीप गुहा/गट्टी इमेजेज

आयुर्वेद कुछ उपचारों के साइड इफेक्ट कम करने और कुछ बीमारियों की पुनरावृत्ति रोकने में मददगार है. मेदांता में हम विभिन्न आयुर्वेदिक उपचारों के असर की तस्दीक के लिए परीक्षण कर रहे हैं

नरेश त्रेहन, चेयरमैन, मेदांता

यासिर इकबाल

आयुर्वेदिक इम्यूनिटी-बूस्टिंग (सेग्मेंट) में कई नई चीजें लेकर आए हैं. हमने आरऐंडडी पर न केवल खर्च बढ़ाया है बल्कि यह भी पक्का कर रहे हैं कि नई चीजों के लक्ष्य तय हों और तुरत-फुरत बाजार में पहुंचे. हमारी नवाचार रणनीति में इस बदलाव की बदौलत ही हम बीते साल 60 से ज्यादा नए उत्पाद ला सके, जिसमें बहुतायत हेल्थकेयर कैटेगरी (के उत्पादों) की है.''

आयुर्वेद में निवेश करना स्टार्ट-अप को भी फायदेमंद नजर आया. एक मिसाल 'ऑसम' है, जो आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से युक्त डार्क चॉकलेट बेचती है. कंपनी ने इसके चार रूप तैयार किए हैं, जो नींद, रोजमर्रा की ऊर्जा, सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और तनाव से निपटने वाले हैं. इसके संस्थापक प्रणव शर्मा कहते हैं, ''हमने मिलेनियल्स (इसी सदी में जन्मे युवाओं) और जेन ज़ी (बिल्कुल नई पीढ़ी) में आयुर्वेद के प्रति रुझान और इसे अपनाते देखा. हमारा टारगेट ग्रुप अनिवार्य तौर पर यही हैं और ये भारत तथा दुनिया भर में उपभोक्ता वर्ग के बड़े हिस्से का निर्माण करते हैं. हम एक निरोधक स्वास्थ्य उत्पाद बनाना चाहते थे जो पूरी तरह प्राकृतिक हो. आयुर्वेद ही ऐसा था जिसे हमें खंगालना पड़ा.''

आयुर्वेद को बड़ा ढांचागत बढ़ावा 2014 में मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक उपचारों और योग को बढ़ावा देने और दुरुस्त करने के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की. विशेषज्ञों का कहना है कि अध्ययन के इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों के साथ नियम बनाने से इस छवि बदलने में मदद मिली और यह छद्म वैज्ञानिक ज्ञान की बजाय प्रमाण-आधारित विज्ञान के तौर पर जाना जाने लगा. मल्होत्रा कहते हैं, ''सरकार और हमारे जैसी कंपनियों की तरफ से क्लिनिकल ट्रायल और अध्ययनों में निवेश के साथ हम आयुर्वेदिक दवाओं और उपचारों के समय के साथ आजमाए गए फायदों की वैज्ञानिक तरीकों से तस्दीक कर रहे हैं.''

आयुर्वेद के डॉक्टर बरसों से ग्रंथों के भरोसे रहे और आधुनिक प्रयोगशालाओं में कम ही कोई अनुसंधान किए गए. बालकृष्ण कहते हैं, ''आज हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि इस पारंपरिक लिखित ज्ञान को स्वीकार करें और पहले इसे ज्यादा सुलभ बनाएं और दूसरे, प्रयोगशाला में इसका असर सिद्ध करें.'' साल 2000 में प्रकाशित डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के 'पारंपरिक औषधि के अनुसंधान और मूल्यांकन की पद्धतियों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश' के मुताबिक, ''पारंपरिक औषधि के उपयोग में अवधारणाओं के साथ-साथ उसके सांस्कृति पहलू का भी ध्यान रखा जाना चाहिए... जब किसी औषधीय जड़ी-बूटी के लंबे ऐतिहासिक उपयोग का लिखित दस्तावेज न हो, या जब उसकी सुरक्षा के बारे में संदेह मौजूद हों, तो अतिरिक्त विषाक्तता अध्ययन किए जाने चाहिए.''

आज ऐसे अध्ययन देश में किए जा रहे हैं. डब्ल्यूएचओ ने नवंबर 2020 में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को मजबूत करने की खातिर पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना के लिए भारत का चयन किया. घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने दो आयुर्वेद संस्थाओं का उद्घाटन किया. एक, गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान और दूसरी, राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान. डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेडरोज अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि नए केंद्र डब्ल्यूएचओ की 2014 से 2023 की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति को सहारा देंगे, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद की भूमिका को मजबूत करने के लिए देशों को नीतियां और कार्य योजनाएं

इंडिया टुडे

देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी-9, सेक्टर-10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या......................है और इसे दिनांक................ को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में .... (बैंक का नाम).......................रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम.. पता...

.... शहर..................... राज्य..................... पिन.....................

मोबाइल.. ईमेल...

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें 18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

चंद्रदीप कुमार

आयुर्वेद का असर होने में कुछ समय लगता है और इसके लिए आहार में बदलाव की भी जरूरत होती है. कोविड के बाद अब लोग इसमें समय देने लगे हैं

अर्जुन मुल्तानी

वाइस-चेयरमैन, मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स

विकसित करने में सहायता देना है. लॉन्च के वक्त मोदी ने कहा, ''आज आयुर्वेद विकल्प भर नहीं है. यह हमारे देश की स्वास्थ्य नीति के प्रमुख आधारों में से एक है.'' उन्होंने यह भी कहा कि आयुष मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित कई संगठनों की ओर से अध्ययन किए जा रहे हैं, जबकि मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के करीब 80,000 कर्मियों पर रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े अनुसंधान किए हैं.

पतंजलि के ध्वजवाहक अनुसंधान संस्थान के मुआयने से पता चलता है कि इस विषय में अनुसंधान कितनी उन्नत अवस्था में पहुंच गए हैं. यह प्रयोगशाला अवशिष्ट रासायनिक यौगिकों का पता लगाने, छोटे-छोटे कार्बनिक अणुओं की पहचान की तस्दीक करने और दवाओं तथा खाने-पीने की चीजों में दूषित करने वाले और मिलावटी पदार्थों की तस्दीक करने और उनकी मात्रा का पता लगाने के लिए लिक्विड क्रोमैटोग्राफी-मॉस स्पेक्टोमीटरी मशीनों सरीखे औजारों का इस्तेमाल करती है. इस मशीन का इस्तेमाल हर महीने हजारों जड़ी-बूटियों पर उनमें सक्रिय यौगिकों की तस्दीक के लिए किया जाता है. फिर मधुमेह, मोटापे, ऐंठन, खिंचाव, वगैरह सरीखी स्थितियों के खिलाफ इन यौगिकों के प्रभाव की तस्दीक के लिए इनका परीक्षण इन-विट्रो सेटिंग में किया जाता है. संस्थान में मैदानी अध्ययनों की भी एक शाखा है. हाल के अभियानों में इसकी टीम ने हरियाणा की मोरनी हिल्स पर 53 नए पौधों की पहचान की है. बालकृष्ण कहते हैं, ''हमारे यहां करीब 300 वैज्ञानिक हैं जिनमें बॉटनिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं. हमारा मकसद देश में पौधों का संरक्षण, पहचान और अनुसंधान है.'' आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का ज्ञान ज्यादा सुलभ करवाने के लिए संस्था पौधों के लैटिन नामों का हिंदी में तर्जुमा करवा रही है, स्थानीय भाषाओं में लिखी पांडुलिपियों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करवा रही है. साथ ही वर्ल्ड हर्बल एन्साइक्लोपीडिया प्रकाशित कर रही है. बालकृष्ण कहते हैं, ''इसमें 60,000 पौधों के विवरण, 12 लाख संदर्भ, और 180 खंड होंगे, ताकि विभिन्न पौधों के गुणों का ज्ञान सबको सुलभ हो.''

पिछले साल के आखिर में नीति आयोग के डॉ वी.के. पॉल की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने 'समावेशी, सस्ती, प्रमाण-आधारित, व्यक्ति-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा' हासिल करने के लिए एक सर्वसमावेशी स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तावित की. समिति शिक्षा, अनुसंधान, क्लिनिकल प्रैक्टिस और जन स्वास्थ्य तथा प्रशासन के बुनियादी क्षेत्रों में कार्य समूहों का गठन करेगी. ये समूह अध्ययन करेंगे कि दूसरे देशों और खासकर अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों ने पारंपरिक दवाओं को अपनी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं में कैसे समाहित किया है.

बालकृष्ण सवाल करते हैं, ''भारत को पौधों पर आधारित चिकित्सा का अपना समृद्ध इतिहास क्यों भूलना चाहिए? एक दशक पहले लगता था कि मानो हम भूल ही चुके थे, पर अब हम आयुर्वेद में दिलचस्पी बढ़ती देख रहे हैं. आज कई ऐलोपैथिक डॉक्टर हमारे पास प्रशिक्षण के लिए आते हैं. वे दोनों विधाओं को उपचारों में मिलाना चाहते हैं.'' पतंजलि में फिलहाल आयुर्वेद में अंडरग्रेजुएट डिग्री के लिए 600 छात्र हैं और इनके अलावा 120 छात्र पोस्टग्रेजुएट रिसर्च कर रहे हैं.

एनसीआर के सबसे बड़े निजी अस्पतालों में से एक मेदांता में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डेंगू सरीखे बड़े विभाग आयुर्वेदिक उपचारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. मसलन, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद जब नसें हड्डी और जख्म के निशान के बीच दब जाती है, मरीजों को अक्सर नसों में तेज दर्द महसूस होता है. इस दर्द को दूर करने के लिए अस्पताल आयुर्वेदिक उपचारों का इस्तेमाल करता है. दिल के कई मरीजों के उपचार के तौर पर योग की सलाह दी जाती है. इसी तरह, सिर या गर्दन के कैंसर के लिए रेडिएशन से जिनका इलाज किया जाता है, उन्हें साइड इफेक्ट के तौर पर अक्सर म्यूकोसाइटिस यानी मुंह और पेट की भीतरी परत पर कष्टदायी सूजन और छाले हो जाते हैं. ऐसे मरीजों को त्रिफला और किराततिक्त सरीखे चिकित्सकीय पौधों से बने काढ़े के गरारे करवाए जाते हैं. कई इसके अच्छे नतीजे बताते हैं. जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट और मेदांता के चेयरमैन डॉ. नरेश त्रेहन कहते हैं, ''हमारा लक्ष्य आधुनिक चिकित्सा की सभी शाखाओं को एक छत के नीचे लाना है. आयुर्वेद कुछ उपचारों के साइड इफेक्ट कम करने में मददगार है. मेदांता में हम कई आयुर्वेदिक उपचारों के असर की तस्दीक के लिए परीक्षण कर रहे हैं और साथ ही उनके उचित इस्तेमाल में भी मदद कर रहे हैं.''

हालांकि कई बार शाखाओं के बीच टकराव भी होता है. पतंजलि ने हाल ही में जब 'कोविड के इलाज' के लिए अपना उत्पाद कोरोनिल

चंद्रदीप कुमार

अग्रणी
हरिद्वार स्थित पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेदिक रिसर्च लैब

लॉन्च किया, तो भारतीय चिकित्सा परिषद ने उसके ऊंचे दावे पर आपत्ति की और कोविड का 'निदान' होने के कोरोनिल के दावे का विरोध करते हुए बाकायदे सार्वजनिक बयान प्रकाशित किया. विशेषज्ञों का कहना है कि दशकों से एलोपैथिक उपचारों को मिल रही तरजीह की वजह से पूरी तरह एकीकृत करने का रास्ता लंबा और जटिल होगा.

कई आयुर्वेदिक कंपनियों ने लोगों की नजरों में ज्यादा आने के लिए सोशल मीडिया का भी फायदा उठाया है. इस साल जून में नेल्लोर में वायरसों से लड़ने के लिए सिद्धा चिकित्सा पद्धति के साधकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक पारंपरिक दवा कबसुर कुडीनीर को तैयार करने की विधि का वीडियो वायरल हो गया. फिर क्या था, यह हर्बल औषधि पूरे आंध्र प्रदेश में देखते ही देखते पूरी तरह बिक गई. बिरला कहते हैं, ''आयुर्वेद में स्वास्थ्य सेवा को क्रांतिकारी ढंग से बदल देने और चिकित्सा व्यवस्था को ज्यादा टिकाऊ बनाने की क्षमता है. चूंकि (आयुर्वेदिक उत्पादों की) मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए ई-कॉमर्स (की संभावनाएं टटोलना) अच्छा विचार हो सकता है. कंपनियों को सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर विचार करना चाहिए. डॉक्टरों से सलाह-मशविरे के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जाने से भी मदद मिल सकती है. इनफ्लुएंसर मार्केटिंग सरीखे तरीके भी कुछ हद तक मदद कर सकते हैं.''

एआइआइए ने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली अपनी 'बाल रक्षा किट' को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. इस किट का मकसद 16 की उम्र तक के बच्चों की वायरल संक्रमणों से रक्षा करना है. राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 2 नवंबर, को इसकी 10,000 किट मुफ्त बांटी जाएंगी. किट में शामिल चीजों की सूची भी ऑनलाइन प्रकाशित कर दी गई है. इसमें अणु तेल, सीतोपलादि और च्यवनप्राश के अलावा तुलसी, गिलोय, दालचीनी, मुलैठी और सूखे अंगूरों से बना सीरप है, जिसका नियमित सेवन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर बढ़ाता है. बालकृष्ण कहते हैं, ''अनुसंधान के बिना रुचि अल्पकालिक होगी. पूर्ण स्वीकृति के लिए आयुर्वेद पारदर्शी ढंग से जुटाए गए वैज्ञानिक प्रमाण से समर्थित होना चाहिए. इसके डॉक्टर होने के नाते हमें लेबल और शानदार पैकेजिंग की परवाह नहीं करनी चाहिए. हमें प्रामाणिकता और गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए.'' अगर आयुर्वेद वाकई सर्वांगीण सेहत की नियमावली है, तो इसके उपचारों को मुख्यधारा की चिकित्सा में शामिल करने से कइयों को फायदा होगा. ■

ल्यूपिन के बी वन के साथ, रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए खुद को रखें तैयार

महामारी ने हमें स्वास्थ्य का महत्व सिखाया है, विशेष रूप से हमारी ऊर्जा और प्रतिरक्षा के स्तर में सुधार का महत्व. चूंकि दुनिया ने धीरे-धीरे अपने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए हैं और लोग काम पर वापस लौट रहे हैं, उन्हें यात्रा के लिए तैयार होना होगा और कई लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करना होगा. उन्होंने पिछले साल जो कुछ गंवाया उसकी भरपाई के लिए पेशेवर रूप से ज्यादा मेहनत भी करनी होगी.

पिछले वर्षों में मुश्किल हालातों द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले तो खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी. अपनी शत-प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करने के लिए उसे अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना होगा. 30-40 वर्ष की आयु वर्ग के लोग आमतौर पर प्रबंधकीय स्तर के प्रोफाइल पर होते हैं और उनके पास उच्च स्तर की जिम्मेदारियां होती हैं जो कई बार तनाव का कारण बनते हैं. ये वर्ष उनके सबसे अधिक उत्पादक वर्ष होंगे. ऐसी स्थिति में वे अपनी सेहत को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दे सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन की बड़ी आवश्यकता है. ऊर्जा में कमी और शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट से कामकाज में प्रदर्शन प्रभावित होता है और इससे करियर में तरक्की पर असर हो सकता है.

आयुर्वेद एक प्राकृतिक, सुरक्षित, लंबे समय से परखा गया और प्रभावी माध्यम है जो हमारे सर्वांगीण विकास में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है. आयुर्वेद के क्षेत्र में सॉफ्टोवैक और एप्टीवेट जैसे अपने सफल ओटीसी उत्पादों के बाद ल्यूपिन ने अब बी वन के लॉन्च के साथ ऊर्जा और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादों के क्षेत्र में भी कदम रखा है. बी वन एक 100% आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है. इसमें एक ही शाकाहारी कैप्सूल के अंदर अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी और पिप्पली जैसे 8 प्रसिद्ध गुणकारी बूटियों की शक्ति मिल जाती है. यह ऊर्जा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा का निर्माण करता है और आपके शरीर और दिमाग को तंदुरुस्त बनाने में भी मदद करता है. बी वन कैप्सूल का दैनिक सेवन व्यक्तियों को सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से फिर से सक्रिय, ऊर्जावान और जोश से भरपूर तरोताजा अनुभव करने में मदद करता है.

एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के प्रतीक की तरह देखे जाने वाले ऋतिक रोशन ने हाल ही में ल्यूपिन के बी वन का विज्ञापन किया है. इस जुड़ाव पर उन्होंने कहा, ''मैं ल्यूपिन लाइफ के दैनिक स्वास्थ्य पूरक बी वन, के साथ साझेदारी करके खुश हूं. यह पूरी तरह आयुर्वेदिक और नॉन-एडिक्टिव है यानी इसकी लत नहीं पड़ती. पूरी तरह आयुर्वेदिक विधि से तैयार किया गया बी वन, हमारे मन और शरीर को स्वस्थ तरीके से सक्रिय रखने में बहुत मददगार है जो आज के दौर की हमारी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है.''

लव, सेक्स और जासूसी

खास रपट | रूप जाल

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी युवतियों के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों को ऑनलाइन प्रलोभन में फंसाकर उनसे सेना और सरकार से जुड़ी खुफिया जानकारियां जुटा रही है

किरन डी. तारे

सान्वी शर्मा
मूल स्थान सिंध
निशाने पर-उत्तर भारत

पूजा राजपूत
मूल स्थान हैदराबाद, सिंध
निशाने पर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात

साल 2020 के मध्य में क्रुणाल कुमार बारिया को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली. रिक्वेस्ट भेजने वाली एक सुंदर, सलीकेदार महिला सिदरा खान थी, जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच थी. फिरोजपुर छावनी में भारतीय सेना के आइटी सेल में तैनात बारिया को जरा भी संदेह नहीं हुआ. दोनों ने फोन नंबरों का आदान-प्रदान किया. सिदरा के पास तीन नंबर थे, जिनमें दो पाकिस्तानी और एक भारतीय था. दोनों ने बातचीत शुरू की, उसके बाद वे व्हाट्सऐप कॉल पर चले गए. धीरे-धीरे चीजें और अधिक अंतरंग होती गईं. उन्होंने फोन सेक्स भी किया. जल्द ही बारिया, सिदरा को वह सब बता रहे थे जो वह जानना चाहती थी.

करीब डेढ़ साल बाद, 23 अक्तूबर, 2021 को पंजाब पुलिस के अमृतसर के स्पेशल ऑपरेशन सेल की एक टीम ने गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में बारिया को गिरफ्तार किया. 'सिदरा' को भारत का सैन्य खुफिया विभाग, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (पीआइओ) या पाकिस्तानी जासूस मानता है. पीआइओ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आइएसआइ) के लिए काम करते हैं. फिरोजपुर छावनी में गतिविधियों की सूचना के लिए सिदरा ने बारिया को 10,000 रुपए का भुगतान भी किया था, पर जानकारी निकालने का उसका प्राथमिक हथियार सेक्स ही था.

हनी ट्रैप या रूप जाल में फांसना जासूसी के खेल की सबसे पुरानी चालों में से एक है. 2,000 साल पहले लिखी अपनी पुस्तक *अर्थशास्त्र* में कौटिल्य ने बताया है कि कैसे महिला जासूस ने मौर्य साम्राज्य के लिए जानकारियां एकत्र की थीं. मौर्य साम्राज्य के जासूसी संगठन जानकारियां हासिल करने के लिए वेश्याओं का भी इस्तेमाल करते थे.

स्मार्टफोन और सोशल मीडिया में आई क्रांति ने आजकल के जासूसों का काम बहुत आसान कर दिया है. पिछले कुछ महीनों में जासूसी का भंडाफोड़ करने वाली भारतीय सेना की काउंटर-इंटेलिजेंस टीमों ने सोशल मीडिया के एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जो बहुत पुख्ता तरीके से चलाया जा रहा था. जांच से पता चला है कि पीआइओ ने बड़ी मात्रा में गोपनीय सूचनाएं हासिल करने के लिए कई सैन्यकर्मियों के कंप्यूटर में मैलवेयर लगाया था. कुछ मामलों में पीआइओ ने पीड़ित व्यक्ति को जासूसी कांड में भागीदार बनने के लिए

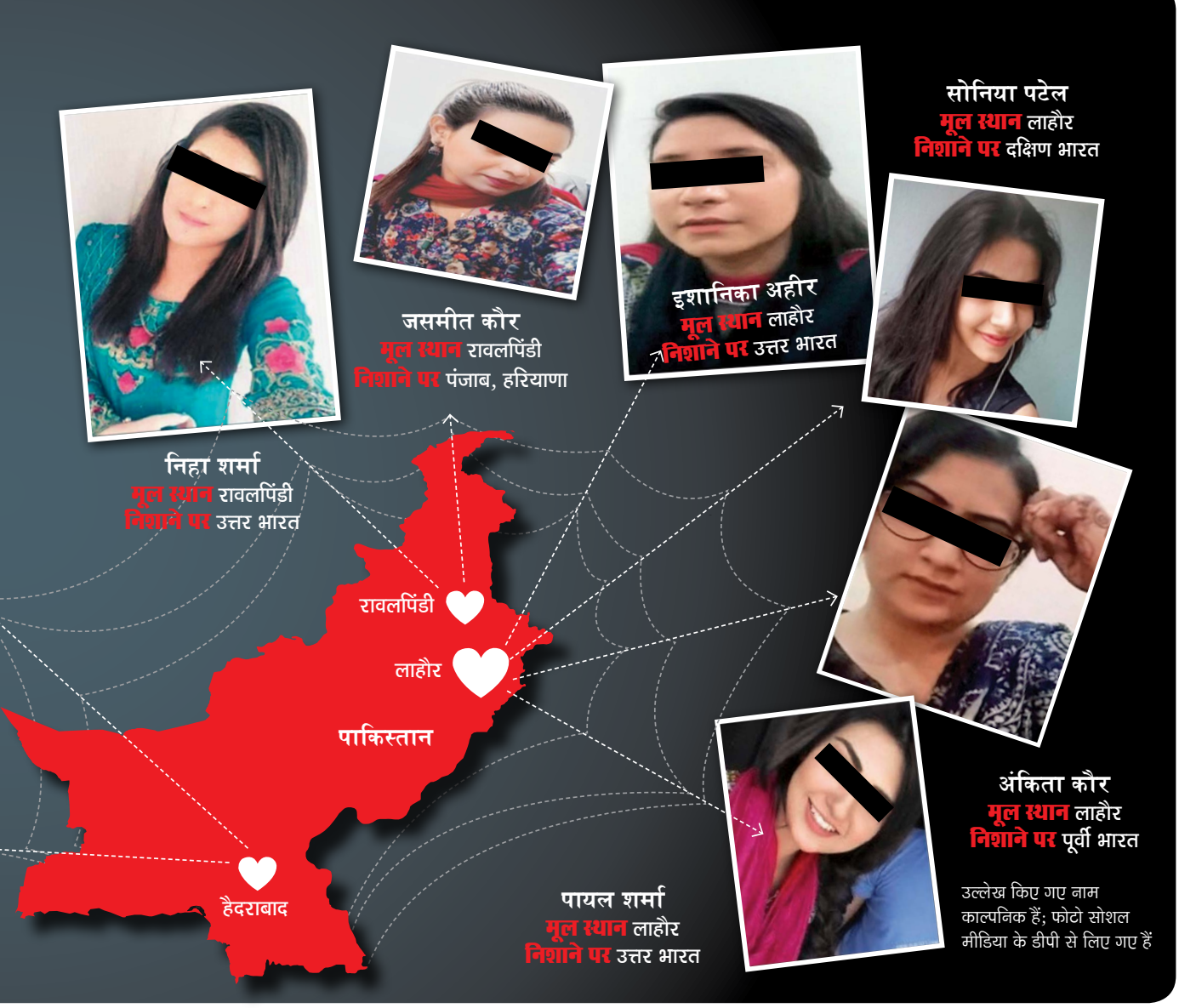

ब्लैकमेल भी किया था.

पिछले एक साल में पूरे भारत से 200 लोगों—आम नागरिक और सैन्यकर्मी—को आइएसआइ की महिला एजेंटों को कथित रूप से सैन्य-संबंधी जानकारियां लीक करने के लिए गिरफ्तार किया गया. पुणे स्थित दक्षिणी कमान की मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआइ) यूनिट ने हाल ही में कई मामलों को पकड़ा है. सितंबर और अक्तूबर में, उन्होंने ऐसे 10 मामलों का खुलासा किया.

एमआइ अधिकारियों का अनुमान है कि आइएसआइ सैन्यकर्मियों और आम नागरिकों को फंसाने के लिए सालाना कम से कम एक करोड़ रुपए खर्च करता है. ऐसा लगता है कि कम खर्च में ज्यादा जानकारी जुटाने के इस अभियान में सबसे अधिक प्राथमिकता भारतीय सेना की टुकड़ियों की आवाजाही से जुड़ी जानकारियां जुटाने को दी जाती है. सितंबर में, दक्षिणी कमान की एमआइ यूनिट ने राजस्थान के नरहर निवासी संदीप कुमार को धर दबोचा. संदीप कुमार, झुंझुनूं जिले में आर्मी कैंप के पास गैस एजेंसी चलाता था. कैंप में गैस सिलेंडर पहुंचाने के दौरान उसने कथित तौर पर अंदर के संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें खींचीं. उसने कथित तौर पर वे संवेदनशील तस्वीरें एक पाकिस्तानी हैंडलर को 5 लाख रुपए में दे दीं. संदीप ने पुलिस को बताया कि उसे वे पैसे जयपुर निवासी पूजा राजपूत से मिले थे.

जासूसी की यह कार्यप्रणाली इस उपमहाद्वीप के लिए कोई नई चीज नहीं है. अमेरिकी सेना नियमित रूप से अपने कर्मियों को लगातार रूसी हनी ट्रैप से बचने के लिए आगाह करती रहती है. अमेरिकी राजनेताओं को चीनी हनी ट्रैप को लेकर सावधान किया गया है. हाल ही में चीन ने अपने छात्रों को ताइवान के नागरिकों से संभावित हनी ट्रैपिंग को लेकर विशेष सतर्क रहने की चेतावनी जारी की थी.

पैटर्न से पता चलता है कि आइएसआइ सैनिकों की तैनाती, उनकी गतिविधियां, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने के समय, वाहनों के मॉडल, उनके उपयोग किए जाने वाले मार्गों आदि के बारे में जानकारियां खरीदता रहा है. सामरिक जानकारियां पाने के लिए ये निम्न-स्तरीय ऑपरेशन प्रतीत हो सकते हैं लेकिन रक्षा क्षेत्र में सुधारों पर 2016 में एक रिपोर्ट लिखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डी.बी. शेकतकर का कहना है कि यह बड़ी चीजों के लिए शुरुआती बिंदु हो सकता है. वे बताते हैं, ''दुश्मन को अपनी पैठ बनाने में समय लगता है. वे पहले छोटी-छोटी जानकारियां मांगते हैं और फिर धीरे-धीरे अपने टारगेट को बड़े काम सौंपते हैं.''

कभी-कभी पीआइओ बड़ा हाथ भी मार लेते हैं. 2018 में 'निहा शर्मा' और 'पूजा रंजन' ने भारतीय सशस्त्र बलों की खातिर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्माण करने वाले भारत-रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस

एयरोस्पेस के लिए काम कर रहे नागपुर के एक इंजीनियर को फंसा लिया था. निशांत अग्रवाल ने कथित तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लीक की थी. वह नागपुर की जेल में बंद है और कठोर सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत आरोपित है.

ऑपरेशन हैदराबाद

रावलपिंडी के एक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 2019 में एक विज्ञापन दिया गया, जिससे बड़े सोशल मीडिया ट्रैप ऑपरेशन का सुराग मिला. विज्ञापन में 'एक सैन्य स्वामित्व वाले मीडिया हाउस' में नौकरी के लिए 'सोशल मीडिया विशेषज्ञ (महिला)' पद के लिए आवेदन मांगे गए थे. मीडिया हाउस चाहता था कि महिला उम्मीदवार धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती हो और परामर्श, लेखन, संपादन और संचार कौशल में उत्कृष्ट हो. भारतीय एमआइ अधिकारियों का मानना है कि भर्ती का उद्देश्य, सेक्स चैट के दौरान पुरुषों को खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए लुभाना था.

जिन सैन्य खुफिया अधिकारियों ने *इंडिया टुडे* से बात की, उनका मानना है कि यह विज्ञापन आइएसआइ के 'ऑपरेशन हैदराबाद' की शुरुआत थी जिसका कोडनेम पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शहर के नाम पर रखा गया था. इस ऑपरेशन के तहत आइएसआइ रावलपिंडी, लाहौर और हैदराबाद जैसे शहरों से कॉल सेंटर चलाती है. निहा शर्मा, इशानिका अहीर और पूजा राजपूत जैसे भारतीय उपनाम वाली पाकिस्तानी लड़कियां हजारों डीपी (डिस्प्ले पिक्चर) को खंगालती हैं. उन्हें रणनीतिक रूप से तैनात भारतीय सशस्त्र बलों के ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिन्हें आसानी से फांसा जा सकता है. एक पीआइओ औसतन एक दिन में 50 भारतीय प्रोफाइल को 'हैंडल' करता है. पुलिस का कहना है कि उन्हें भारतीय लहजे में बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. एक एमआइ अधिकारी का कहना है कि सबसे प्रभावी पीआइओ में से एक 'पूजा राजपूत', भारतीय पंजाबी और हिंदी लहजे में धाराप्रवाह बातचीत करती है.

राजपूत पाकिस्तान स्थित हैदराबाद से काम करती है और अक्सर खुद को सैन्य नर्सिंग सेवा की पूर्व नर्स बताती है. वह बातचीत की शुरुआत हल्के-फुल्के हंसी-मजाक से करती है और धीरे-धीरे 'टारगेट' को भरोसे में ले लेती है. उसका अगला कदम टारगेट की निजी और पारिवारिक समस्याओं को जानना होता है. राजपूत कभी-कभी हवाला या बैंक खाते से साधारण ट्रांजैक्शन के जरिए अपने टारगेट को छोटी रकम की पेशकश भी करती है.

इनकी डीपी में बिंदी और कलाई पर कलावा बंधा दिखता है. वे जब वीडियो में आती हैं तो अमूमन बैकग्राउंड में भारतीय तिरंगे या महात्मा गांधी या हिंदू देवताओं के चित्र होते हैं. ये कई दफा नाम बदलते हैं पर प्रोफाइल फोटो वही रहती है. मसलन, 'इशानिका अहीर', कुछ 'टारगेट्स' के लिए 'नव्या चोपड़ा' तो कुछ के लिए 'मानसी दीक्षित' थी. इनकी संख्या बढ़ती जा रही है. भारतीय एमआइ अधिकारियों का कहना है

'पीआइओ' को कैसे पहचानें

भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में पर्दाफाश किए गए जासूसी के मामलों में एक खास पैटर्न पाया है

राष्ट्रीय प्रतीक
पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी (पीआइओ) आमतौर पर खुद को देशभक्त दिखाने के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करते हैं. 'इशानिका अहीर' ने भारतीय तिरंगे के साथ एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की तस्वीरें पोस्ट की थीं

वर्दी/लोगो
वे सैन्य वर्दी या रक्षा प्रतिष्ठानों के लोगो के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं

सेना की नर्सें
पीआइओ सैन्यकर्मियों से दोस्ती गांठने और उनके करीब आने के लिए खुद को सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) की कर्मचारी बताती हैं

सिम कार्ड
जब जासूसों की सेना के जवानों से दोस्ती हो जाती है, तो वे भारतीय पहचान हासिल करने के लिए उनसे एक सिम कार्ड की मांग करती हैं

अवैध कार्यों के लिए फंड
मिलिट्री इंटेलिजेंस को कई डमी बैंक खाते मिले हैं जहां नियमित रूप से नकद जमा किया जाता है. यह पैसा मुखबिरों में बांट दिया जाता है

गैजेट्स की भरमार
आइएसआइ के जासूस सूचना के बदले लैपटॉप और आइफोन देने का वादा करते हैं. फोन सेक्स के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा लालच है

झूठे रिश्ते
साजिशकर्ता खुद को किसी वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार बताती है. 'पायल शर्मा' ने जवानों से दोस्ती की और उनसे यह कहकर जानकारियां मांगी कि वह भारतीय सेना पर पीएचडी कर रही है

आइएसआइ की महिला एजेंटों को भारतीय सेना से जुड़ी जानकारियां लीक करने के आरोप में पिछले एक साल में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें सैन्य जवान भी शामिल हैं

हालिया खुलासे

मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सितंबर में सामने आए कम से कम दो मामलों में आइएसआइ के गुर्गों की संलिप्तता पाई है

↘ 13 सितंबर राजस्थान के बाड़मेर के एक कपड़ा व्यापारी जितेंद्र सिंह को बेंगलूरु में गिरफ्तार किया गया. वह कथित तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और भारतीय सेना की वर्दी पहनकर घूमता था. पुलिस की जांच से पता चला कि वह फोन पर हैदराबाद और रावलपिंडी की पाकिस्तानी लड़कियों के नियमित संपर्क में था. पुलिस के अनुसार, उसके सेलफोन से लड़कियों की तस्वीरें भी बरामद हुईं

↘ 15 सितंबर ओडिशा पुलिस ने जासूसी के आरोप में बालासोर जिले के चांदीपुर में डीआरडीओ के एकीकृत परीक्षण रेंज में काम करने वाले चार संविदा कर्मियों को गिरफ्तार किया है. वे कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंसकर विदेशी एजेंटों को गोपनीय जानकारियां लीक कर रहे थे. उन्होंने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वे एक महिला के साथ व्हाट्सऐप और फेसबुक पर चैट कर रहे थे, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह यूपी की है. वास्तव में वह लाहौर से काम कर रही थी

कि आइएसआइ ने 'माताहारियों' के अपने दस्ते को विस्तृत करने के लिए पिछले साल, बांग्लादेश और ईरान के लोगों को भी शामिल करना शुरू किया है.

साल 2020 में सेना ने अपने कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया. इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है. फिर भी कुछ लोग उल्लंघन करते हैं और फंस जाते हैं. मुंबई के एक पुलिस अधिकारी याद करते हैं कि कैसे उन्होंने 2020 में सेना के एक जवान को आइएसआइ को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते पकड़ा था. 'सोनिया पटेल' ने उससे फेसबुक पर दोस्ती की थी. उन्होंने फोन नंबरों का आदान-प्रदान किया और घंटों व्हाट्सऐप पर चैट करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे वह सेक्स के बारे में बात करने लगी. अपना नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, ''एक दिन, सोनिया ने उससे कहा कि वह यह साबित करे कि वह किसी भी औरत को संतुष्ट कर सकता है. इसके प्रमाण के रूप में वह अपनी पत्नी के साथ बिताए अंतरंग क्षणों के वीडियो रिकॉर्ड करके उसे भेजे.'' जवान ने वैसा ही किया. इसके बाद पीआइओ ने वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. 'सोनिया' उससे सैनिकों की गतिविधियों और यहां तक कि सैनिकों की शिफ्ट ड्यूटी तक के बारे में जानना चाहती थी.

मेजर मोहम्मद अली शाह (सेवानिवृत्त) कहते हैं, ''प्रतिपल हो रही चीजों पर नजर आधुनिक युद्ध के लिए जरूरी है. यह एक क्रिकेट मैच के सीधे प्रसारण की तरह है. अगर आपके पास दुश्मन की गतिविधियों की पल-पल की जानकारी है तो आप युद्ध आसानी से जीत सकते हैं.''

आभासी शत्रु के लिए एक गोली

सेना को अपने जवानों को सीमा पार बैठी 'मोहिनियों' से बचाने का तरीका खोजना होगा. इसका एक तरीका जागरूकता अभियान है. एक सैन्य प्रतिष्ठान में लगे जागरूकता पोस्टर में लिखा है, ''कोई भी गोली किसी आभासी दुश्मन को नहीं मार सकती.'' साइबर सुरक्षा उल्लंघनों के मामले में क्या करें और क्या न करें, इस पर सेना ने 15-सूत्री दिशानिर्देश जारी किए हैं. दिशानिर्देशों का शीर्षक है, ''हम में से कोई भी सुरक्षा जीन के साथ पैदा नहीं हुआ है. हमें सुरक्षा के लिए कोशिश करनी होगी.'' एक अधिकारी कहते हैं, ''हम स्मार्टफोन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि जवानों को इस मुश्किल वक्त में अपने परिजनों के संपर्क में रहने की जरूरत है. हमें बीच का रास्ता खोजने और सुरक्षित नेटवर्क विकसित करने की जरूरत है.''

पिछले कुछ महीनों में एमआइ ने हनी ट्रैप की पहचान करने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा है. काउंटर-इंटेलिजेंस टीमें मुखबिरों के नेटवर्क का उपयोग करके उन कर्मियों पर नजर रखती हैं जो दुश्मन के फंदे में फंस सकते हैं. जिन जवानों ने सेना में 10 साल से कम समय बिताया है उन्हें सबसे कमजोर माना जाता है जो जाल में फंस सकते हैं. एमआइ ने पीआइओ की कई फाइलें खंगाली हैं और पाकिस्तान में उनके इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को ट्रैक करते हुए व्यक्तिगत एजेंटों के काम के तौर-तरीकों को गहराई से समझा है.

सेना ने 'शराब, शबाब और पैसे के लालच' को अपने कर्मियों पर हावी होने से रोकने के लिए कई उपाय किए हैं. कमजोर लोगों का पता लगाने के लिए एक आंतरिक सैन्य अभ्यास, 'मायाजाल', सोशल मीडिया के जरिए चलाया जाता है. शाम के रोल कॉल के दौरान जवानों को सोशल मीडिया और हनी ट्रैप के खतरों के बारे में शिक्षित किया जाता है. जवानों को सतर्क और सचेत बनाने के लिए नियमित अंतराल पर आयोजित 'सैनिक सम्मेलनों' का उपयोग भी किया जाता है.

जनरल शेकतकर ने हनी ट्रैप को एक 'खतरनाक' प्रवृत्ति बताया और कमजोर लोगों पर लगातार नजर रखने की वकालत की है, ''खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को संवेदनशील बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है. हमें उन्हें राष्ट्रवादी चरित्र निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है.'' सोशल मीडिया पर जीवन बिताने के लिए आपको निरंतर सतर्कता चाहिए. ■

इंडिया टुडे RPG खुशी की खोज

सही सबक की *शिक्षा-दीक्षा*

खुशियों की सौगात: *महामारी के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं का मिला-जुला मॉडल शुरू किया ताकि विद्यार्थियों को स्कूल आने का मौका मिल सके*

रोमिता दत्ता

हरिस्वामी दास, 48 वर्ष

हेड मास्टर, शोभानगर हाइ स्कूल

पश्चिम बंगाल

भारत में 2020 का पहला कोविड लॉकडाउन हटाए जाने के बाद मालदा जिले में शोभानगर हाइ स्कूल के प्रधानाध्यापक हरिस्वामी दास अपने 2,900 विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक हालत का आकलन करने के लिए अधीर हो उठे. वे कहते हैं कि स्कूल पढ़ाई की जगह भर नहीं है. यह बड़ा परिवार है जहां शिक्षक अपने विद्यार्थियों और उनके परिवारों की हालत से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं. उन्हें पता होता है कि शोभानगर के लोग किन उतार-चढ़ावों यानी जमीन के कटाव, विस्थापन और दूसरी जगह बसने की परेशानियों से गुजर रहे हैं. सारी जद्दोजहद के बीच यह अपने छात्रों के प्रति दास का प्रेम और सरोकार ही था, जिसने बच्चों को सहारा दिया.

दास ने कुछ विद्यार्थियों के घर फोन किया, तो पता चला कि वे पढ़ाई और भविष्य को लेकर उदास और फिक्रमंद थे. करीब 30 फीसद को स्मार्टफोन नहीं था. उन्होंने पाठ्यपुस्तकें और पढ़ने की सामग्री नहीं मिलने की शिकायत भी की. दास कहते हैं, ''एनसीईआरटी की किताबों में क्यूआर कोड थे पर पश्चिम बंगाल की किताबों में नहीं थे. सरकारी वेबसाइटों पर मौजूद पीडीएफ डाउनलोड किए और उनके क्यूआर कोड बनाए ताकि किताबें छात्रों को मुफ्त मिल सकें.''

दास के ज्यादातर विद्यार्थी गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे परिवारों से आते हैं. वे स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते. जिनके पास था भी तो बस एक ही स्मार्टफोन था जिससे पूरे परिवार का काम चलता था. दास कहते हैं, ''अक्सर हमने पाया कि ऑनलाइन कक्षा के वक्त उनके पास फोन नहीं था क्योंकि उनके पिता या भाई फोन लेकर काम पर चले गए थे. लिहाजा कक्षाएं भी क्यूआर कोड के जरिए सुलभ करवाई गईं ताकि बच्चे अपनी सुविधा से उन्हें देख-सुन सकें.''

यह कामचलाऊ समाधान ही था. मगर जब लॉकडाउन में ढील दी गई और बड़ी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल आने की इजाजत मिली, तो दास ने रोस्टर ऐसे तैयार किया कि आधे बच्चे एक दिन और बाकी आधे दूसरे दिन स्कूल आकर पढ़ाई कर सकें. प्रधानाध्यपक महोदय कहते हैं, ''बच्चों को स्कूल लाना बहुत जरूरी था. ज्यादातर को भरपेट खाना तक नहीं मिल

खुशी का मंत्र

''अपनी तरफ से 100 प्रतिशत प्रयास करें और परिणाम के बारे में न सोचें. हमारे स्कूल का मंत्र है, 'आचे आनंदो, नेई भोई/ शिक्षा एखाने बोधर उदय.' (सब आनंद है, डरने की बात नहीं/सीखने से चेतना का स्तर ऊंचा उठता है)''

बेहतर समाधानः शोभानगर हाइ स्कूल में अपने विद्यार्थियों के साथ दास

सुरजीत रॉय

पाता. वे स्कूल आकर खाने की उम्मीद करते हैं. यही नहीं, घर पर उन्हें पढ़ाई की जगह भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है.''

दास बताते हैं कि कैसे जल्द ही इस नई व्यवस्था के नतीजे मिलने लगे. लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे विद्यार्थियों ने तेजी से भरपाई की और कक्षा के साथ परीक्षा को भी गंभीरता से लेने लगे.

दास की अगुआई में शोभानगर हाइ स्कूल ने कई इनाम जीते. इनमें 2019 में अलहदा स्कूल होने के लिए जैमिनी रे अवार्ड (प्रतिष्ठित राज्य और यूनिसेफ अवार्ड) भी है. पढ़ाने में मदद के लिए स्कूल की इमारत, सीढ़ियों, पेड़ों, पानी की टंकी, बारिश का पानी इकट्ठा करने की सुविधा से लैस छत पर बने बगीचे, फिश टैंक और कमल का इस्तेमाल किया जा रहा है. दास कहते हैं, ''हमने पौधों की प्रजातियों को क्यूआर कोड दिए हैं. इनमें हमारे स्कूल कंपाउंड की नर्सरी के चिकित्सकीय पौधे भी हैं. हमारी पानी की टंकी भी ग्लोब के आकार में बनी है जिस पर दुनिया के विभिन्न देश उकेरे गए हैं.'' प्रधानाध्यक दास की शक्ल में छात्रों को सौभाग्य से ऐसा व्यक्ति मिला है जो उनकी शिक्षा की बेहद जरूरी नींव रख सकता है. ■

खुशी की खोजः *खुशियां बिखरने की अनुकरणीय पहल का जश्न मनाता इंडिया टुडे और आरपीजी ग्रुप का संयुक्त उद्यम*

गर्भवती महिलाओं के लिए *खुशी के सूत्र*

रुबेन सिंह

डॉ. सीमा शर्मा

सीनियर गाइनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, क्लाउडनाइन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, चंडीगढ़

यह सुनते ही कि ''आप मां बनने वाली हैं'' कई औरतें सोचने लगती हैं कि गर्भ ठहरने का मतलब है डर और हैरानी का वक्त. दर्द, मिचली और बढ़ती जिम्मेदारी के एहसास के बीच आपके भीतर खिल रही जिंदगी की पूरी देखभाल और पालन-पोषण आपको परेशान कर सकता है. यह भी उतना ही जरूरी है कि आप अपने शरीर और मन का भी अच्छी तरह ख्याल रखें और स्वीकार करें कि गर्भावस्था बीमारी नहीं बल्कि सेहत की निशानी है

खुश रहने के सूत्र

1. अपने लिए वक्त निकालें वह करें जो आपको अच्छा लगता है और सिर्फ अपने लिए करें. खुद के साथ वक्त गुजारकर अपने को लाड-प्यार करें, संगीत सुनें, पेट की हल्के हाथों से मालिश करें, वह सब करें जिनसे मन को शांति मिलती है, आराम करें और सबसे अहम बात, अच्छा खाएं;

2. देह में आ रहे बदलावों को खुशी-खुशी स्वीकार करें कितनी सुंदर बात है कि आपकी देह एक नई जिंदगी को जन्म देने की प्रक्रिया में है. सारे बदलाव, सारे निशान, सारी नई अनुभूतियां और कुछ नहीं बल्कि आपके मां के रूप में विकसित होने के प्रमाण हैं. तो अपनी देह को प्यार करें; एक चमत्कार घटित होने जा रहा है;

3. व्यायाम, ध्यान, योग करें गर्भावस्था के दौरान फिट रहना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर सुरक्षित और आसान प्रसव-पीड़ा के लिए तैयार हो सके. इसका मतलब यह नहीं कि जिम जाने लगें. रोज सांस के व्यायामों से शुरू करें जो मांसपेशियों को ऑक्सीजन देते हैं. फिटनेस की कवायद में वार्म-अप कसरतें करना न भूलें, जैसे पैर, गले और पीठ में खिंचाव वाली कसरतें, जो मांसपेशियों को आराम देती हैं;

4. गर्भ, प्रसव-पीड़ा और प्रसव के बारे में सकारात्मक विचार रखें हमेशा खुश और सेहतमंद बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचें. संभावित गड़बड़ियों के बारे में सोचना और चिंता करना ऊर्जा की बर्बादी है. उस पल की कल्पना करें जब बच्चा आपकी गोद में होगा. उस पल को अपने दिलो-दिमाग में रखें;

5. नकारात्मक लोगों से दूर रहें दूसरे दंपतियों के अच्छे अनुभवों से सीखें. यह वक्त दिमाग पर ज्यादा तनाव और बोझ लेने का नहीं है.

किताबें

सम्मान को लेकर उदासीन अनुक

अनुक अरुदप्रगासम बुकर पुरस्कार के लिए नामांकन के बाद आई प्रशंसा की बौछार के फेर में आने वालों में से नहीं हैं

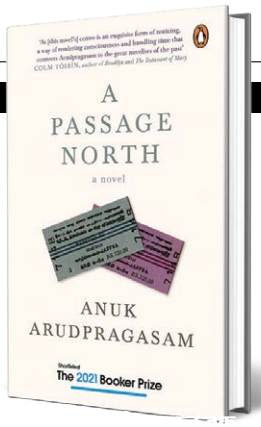

अ पैसेज नॉर्थ
लेखक: अनुक अरुदप्रगासम
प्रकाशक: हैमिश हैमिल्टन
कीमत: 599 रुपए

अनुक अरुदप्रगासम बड़े इनाम जीतने वाली किताबों और चीजों को लेकर अक्सर शंकालु ही रहते हैं. वे कहते हैं कि अगर उनका दूसरा उपन्यास *अ पैसेज नॉर्थ* इस साल नामांकित नहीं हुआ होता तो बुकर की सांस्कृतिक अहमियत उन्हें कभी पूरी तरह समझ नहीं आती. वे कहते हैं, ''इसे आकर्षक या दिलचस्प बनाने वाली दूसरी चीजों का मुझे बिल्कुल भी पता न चलता.'' इस नामांकन ने हालांकि उनका परिचय कई और पाठकों से करवाया और उनके भीतर यह आत्मविश्वास पैदा किया कि वे लेखन को करियर और पेशे के तौर पर ले सकते हैं. लेकिन चकाचौंध को लेकर वे अब भी खासे चौकन्ने हैं. वे कहते हैं, ''मैं बस पढ़ना-लिखना चाहता हूं. इन दिनों मैं बस ईमेल के जवाब दे पा रहा हूं. मैं शांत व्यक्ति हूं. मुझे अपने आप में मगन रहना अच्छा लगता है.''

अरुदप्रगासम का पहला उपन्यास *द स्टोरी ऑफ ए ब्रीफ मैरिज* 2016 में छपकर आया था और खूब सराहा गया. यह एक दिन और एक रात की कहानी है, जिसमें श्रीलंका के 30 साल लंबे गृह युद्ध के खून-खराबे, तमाशे और तकलीफ को निचोड़कर रख दिया गया है. इसके मुकाबले, *अ पैसेज नॉर्थ* को पढ़कर ऐसा लगता है कि उपन्यास ने अपने लेखक से उसका मौन उधार ले लिया है.

उपन्यास की घटनाएं कुल इतनी हैं कि वे एक ट्वीट में समा जाएं. कृष्ण कोलंबो में एक एनजीओ के साथ काम करता है. एक शाम आया फोन कॉल उसकी रोजमर्रा जिंदगी का क्रम भंग कर देता है. उसकी दादी की आया रानी कुएं में गिरकर मर जाती है. उसकी अंत्येष्टि के लिए जाते वक्त वह सिगरेट पीता हुआ समय, मृत्यु और इच्छा के बारे में सोचता रहता है. अंजुम भी उसके ख्यालों से कभी ओझल नहीं होती. भारत की इस एक्टिविस्ट से उसका अफेयर चल रहा है.

अरुदप्रगासम कहते हैं, ''मैंने सोचा कि मेरा पहला उपन्यास छपने लायक नहीं है. पर इसे प्रकाशित हुआ देखकर मुझे लगा कि शायद मैं और भी ज्यादा कठिन चीजें लिख सकता हूं. मैं देखना चाहता था कि उपन्यास के सामान्य सुखों से बचकर पता नहीं मैं कितनी दूर जा सकता हूं.'' न संवाद हैं और न नाटकीयता, ऐसे में किसी को भी लगेगा कि *अ पैसेज नॉर्थ* पढ़ने में शायद उतना मजा नहीं आएगा. मगर आश्चर्यजनक ढंग से यह रोचक और रहस्यमयी साबित होता है. आप बेताबी से यह जानने का इंतजार करते हैं कि कृष्ण अब क्या सोचेगा. मुखर बेबाकपन की बजाए वह गर्मजोशी से भरी ईमानदारी को तरजीह देता है. उसका मन-मस्तिष्क बहुत शांत है. आपको यह जानकर अच्छा लगता है कि आप उसके साथ बने रह सकते हैं.

अरुदप्रगासम ने कोलंबो यूनिवर्सिटी से दर्शनशास्त्र में पीएचडी की. लेकिन जब वे कहते हैं कि वे ''समय के बारे में'', उसके धीरे-धीरे गुजरने और उसकी बनावट-बुनावट के बारे में एक उपन्यास लिखना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि यह बात वे एक एकेडमिक की जमीन पर खड़े होकर बोल रहे हों. हालांकि वे वर्जीनिया वूल्फ, जैवियर मरिअस और ज्यां-पाल सार्त्र सरीखे लेखकों की बात करते हैं, पर यह भी कहते हैं कि औपन्यासिक समय के साथ उनका प्रयोग नितांत ''निजी प्रकल्प'' है. *ए पैसेज नॉर्थ* निजी और सामूहिक दोनों ध्रुवों के इतिहास को कृष्ण के एक सप्ताहांत में पूरा का पूरा समेट लेता है. कमोबेश समय की तरह ही अरुदप्रगासम के वाक्य भी कभी-कभी पूर्ण विराम के बिना पंक्ति दर पंक्ति यूं ही बहते जाते हैं. वे कहते हैं, ''मुझे पहले तो यही समझना पड़ा कि गद्य में मैं अवधारणा और ऑब्जर्वेशन तथा विचार और स्मृति को आपस में इस तरह कैसे बुनूं कि कि उनकी सीवन दिखने न पाए. मैंने देखा कि मुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा और इस तरह मैंने पाठ को वश में किया.''

जब अरुदप्रगासम ने लिखना शुरू किया तो उन्हें यकीन था कि वे युद्ध के बारे में नहीं लिखना चाहते. ''मगर गृह युद्ध उपन्यास में उसी तरह रिसकर आने लगा जैसे शुरुआत में मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था. मुझे स्वीकार करना पड़ा कि इस विषय के बारे में लिखते रहना मेरे भीतर साफ तौर पर किसी न किसी किस्म की जरूरत थी.'' अपने दोनों बेटों को युद्ध में खोने के बाद रानी को ऐसा सदमा लगा कि जाने का नाम ही नहीं लेता. बहुत कुछ बगैर मुनादी किए आने वाले

अनुक दरअसल समय, उसके धीरे-धीरे गुजरने और उसकी बनावट-बुनावट पर एक उपन्यास लिखना चाह रहे थे

उसके दुस्वप्नों की तरह ही *अ पैसेज नॉर्थ* भी अचानक आपको उस खून-खराबे की याद दिलाता है जिसने 2009 तक श्रीलंका को गिरफ्त में ले रखा था. रानी की मृत्यु, अप्पम्मा की गिरती सेहत और कृष्ण का अंजुम को खोना सब ऐसे अंत हैं जो मिलकर ज्यादा बड़े, ज्यादा निष्ठुर अंत में बदल जाते हैं. ''जाहिरा तौर पर यह युद्ध के खात्मे और उसके खत्म होने के तरीके से जुड़ा है. यह तमिल समुदाय को इस प्रश्नवाचक मोड़ पर छोड़ता है कि 'हम अपने समय को अब कैसे एक क्रम दें? हम अपने भविष्य के बारे में कैसे सोचें? वह क्या है जो हमें साथ बांधता है?' ''

कोलंबो में पले-बढ़े अरुदप्रगासम कहते हैं कि उनकी आर्थिक हैसियत ने उन्हें युद्ध के फौरी असर से महफूज रखा. ''कभी-कभी आपको कुछ निश्चित इलाकों से बचना होता था. कभी-कभी आपको स्कूल नहीं जाना होता था. खुलेआम तमिल बोलने पर हमें डांट पड़ती थी. कम उम्र का तमिल लड़का होने की वजह से मुझे अंधेरा घिरने के बाद घर से बाहर अकेला नहीं छोड़ा जाता था.'' कृष्ण की जीवनी हालांकि कुछ हद तक अनुक की जिंदगी से मिलती-जुलती है, पर अरुदप्रगासम अपने मुख्य पात्र के काल्पनिक होने का पुरजोर बचाव करते हैं. ''समानताएं हो सकती हैं. मसलन, मेरे दोनों मुख्य पात्र नौजवान हैं. मगर मैं ऐसा कुछ लिख ही नहीं सकता जिसमें सूत्रधार और लेखक के बीच समानताएं खोजी जा सकें. अजनबियों के आगे खुद को उघाड़कर रखने से मुझे परेशानी होती है. मैं अपने इर्दगिर्द चारदीवारी पसंद करता हूं.''

पेरिस में अपनी अगली किताब लिखते हुए, जो तमिल प्रवासियों के बारे में उपन्यास है, अरुदप्रगासम खुद को और अपनी जिंदगी को 'महत्वहीन' और 'अनुल्लेखनीय' बताना पसंद करते हैं. जब वे अपनी किताब के प्रकाशन में व्यस्त मार्केटिंग तंत्र की तुलना उस 'समुद्री जहाज' से करते हैं 'जिसे रोक पाना असंभव है', तो मन में यही ख्याल आता है कि 3 नवंबर को बुकर पुरस्कार चाहे जो जीते, अपनी राह चलते रहने का हौसला अरुदप्रगासम में है.

अ पैसेज नॉर्थ के अलावा जो अन्य उपन्यास बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनमें मैगी शिपस्टेड का *ग्रेट सर्कल*, पैट्रिशिया लॉकवुड का *नो वन इज टाकिंग अबाउट दिस*, डैमन गैलगुट का *द प्रॉमिस* और रिचर्ड पावर्स का *बीविल्डरमेंट* शामिल है.

—श्रीवत्स नेवटिया

बातचीतः
उस्ताद शाहिद परवेज

"समझ तो गुरु ही देगा, यूट्यूब नहीं"

उस्ताद **शाहिद परवेज** सितार पर अचूक उंगलियों और बंदिशों को निखारती नायाब कल्पनाओं के लिए जाने जाते हैं. इमदादखानी बाज यानी भारत के शीर्ष सितार घराने में बेजोड़ बने हुए हैं. वे अपनी एसपीके एकेडमी ऑफ म्युजिक की गतिविधियों के सिलसिले में साल का अच्छा-खासा वक्फा अमेरिका में एरिजोना प्रांत के फीनिक्स शहर में गुजारते हैं और इन दिनों वहीं हैं. 'इटावा घराने' की आठवीं पीढ़ी यानी खां साहब के सुयोग्य पुत्र शाकिर खान की मदद से इसी हफ्ते एक रात दस बजे फोन पर उनसे बातचीत संभव हो पाई. उसी के चुनिंदा अंशः

● खां साहब, देश की आजादी ने तो 75 साल देख लिए. क्या शास्त्रीय संगीत भी अपनी जकड़बंदियों से आजाद हुआ है ?
हमारा संगीत परिवर्तनशील है. कल कुछ और था. आज कुछ और. लोग आते रहते हैं और यह बदलता रहता है—यही इसकी खासियत है. इसकी प्रोग्रेस में इसके बदलाव का बड़ा योगदान है.

● आज यूट्यूब ने हमें घर पर ही सारे दिग्गजों से जोड़ दिया है. जब मर्जी, जो चाहे सुनें. इस सहूलियत पर क्या कहेंगे?
मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं. हम अगर समय से या कहें कि 'लय' से बाहर चलेंगे तो कहीं के न रहेंगे. मैं बचपन में पॉकेट मनी से जोड़जाड़ कर रेकॉर्ड खरीदता था. आज इतनी सहूलत है कि हैरानी होती है. पर अगर आप यूट्यूब को ही गुरु मान लेंगे तो कहीं के न होंगे. गुरु सामने होना चाहिए—और आपका उसके साथ आपसदारी का एक कनेक्शन हो. समझ गुरु ही देगा, यूट्यूब नहीं.

● इधर बड़े कलाकार भी खासकर वादक, साउंड से आने वाले निकास पर आश्रित हैं. कुछ तो साउंड इंजीनियर लेकर चलने लगे हैं. अजीब नहीं लगता?
देखिए, हाथों की लिखावट की एक अपनी खूबसूरती होती है. एक होती है कैलीग्राफी. आपने बहुत सुंदर लिखा. लेकिन कोई भी वाक्य अर्थपूर्ण न हो तो ऐसी लिखावट का क्या करेंगे? साउंड कितना भी अच्छा हो, होता रहे. मगर निकलेगा तो उससे वही न जो आप निकालना चाहते हैं.

● पंडित रविशंकर ने सितार बनाने वालों की भी अहमियत उजागर कर दिखाई. आपके सितार की टोनल क्वालिटी कहती है कि जो आपका वाद्य बनाता है, उसने धीरे-धीरे आपका मिजाज जान लिया है.
सारी बातें सही हैं पर सितार मेरा होने से कुछ नहीं होता. हाथ भी मेरा होना चाहिए.

● सुनने का भी कोई सलीका हो सकता है?
यह बेहद जरूरी सवाल है. बजाना किस प्रकार है? इसका एक अनुशासन होता है. उसी प्रकार क्या, किसका और कैसे सुनना? बाकायदा इन बातों की ट्रेनिंग दी जाती है. आप खाना घर में खाते हैं, किसी नुक्कड़ के ठेले पर या बड़े रेस्तरां में. अब कहां स्वाद है? कहां सफाई और कहां ताजा खाना मिलेगा, इसे बताने वाला भी तो होना चाहिए. सुनना संगीत की पहली सीढ़ी है. मुझे सुनने का शौक आज भी उतना ही है. जितना सुनें, मालूमात उतनी बढ़ती है.

● फिल्मों के लिए आपने संगीत भी दिया है. सिनेमा को लेकर आपका क्या अनुभव है?
एक वक्त ऐसा भी था जब पहला दिन पहला शो देखा करते थे. बड़ी दिलचस्पी थी नौजवानी में. बजाया भी है कुछ फिल्मो में. मेरी नजर में सन् '60 से '70 के दौर वाले फिल्म संगीत में सितार का सबसे कलात्मक इस्तेमाल हुआ

—राजेश गनोदवाले

सवाल + जवाब

अइसन बिपतिया

प्रसिद्ध लोकगायिका शारदा सिन्हा 70वें वर्ष में प्रवेश करने, लोकसंगीत की गुणवत्ता में आ रही कमी, कोरोना से निबटने और और छठ की तैयारियों पर

● एक अक्तूबर को आपने जीवन के 70वें वर्ष में प्रवेश कर लिया. लोकसंगीत की चार दशक से अधिक लंबी यात्रा तय करते हुए आज इसकी क्या स्थिति देखती हैं?

इंटरनेट के जमाने में लोकसंगीत और भी प्रचारित हुआ है. लाउडस्पीकर की जगह अब हर हाथ में मोबाइल है. लोकगीत अब सुने कम, देखे अधिक जाते हैं. छोटी जगहों के कलाकार कुछ भी गाकर प्रचार पा जाते हैं. जीवनशैली के परिवर्तन का फर्क लोकसंगीत पर पड़ा है. सांगीतिक सृजनात्मकता कम, कॉपी-पेस्ट अधिक हो रहा है.

● कैसा लगता है जब मैथिली ठाकुर या चंदन तिवारी जैसे युवा कलाकार आपके गीतों को गाते हैं?

मैंने अपनी संगीत यात्रा में गुरुओं का आदर किया है, परिवार और समाज के बीच समरसता कायम करते हुए लोकसंगीत की साधना की. युवा कलाकारों से भी मैं इसी की अपेक्षा करती हूं.

● कोरोना से निबटते वक्त आपको अफवाहों का भी खंडन करना पड़ा.

कोरोना वार्ड में संगीत और प्राणायाम ही मेरा सहारा थे. उन दिनों मैं लता जी के गीतों को भी खूब याद करती, गुनगुनाती थी *सारंगा तेरी याद में...दिन कटते नहीं रैन*. उस दौरान पता चला कि लोग मुझे कितना चाहते हैं. अस्पताल के लोग पीपीई किट के भीतर से भी मुझे बताते थे कि उन्हें मेरा कौन-सा गीत पसंद है. अफवाह आग की तरह फैल गई. छोटे-छोटे गांवों से फोन आते, पूजा-पाठ होने लगे. मुझे लाइव आकर उसका खंडन करना पड़ा. ठीक होकर घर जाने वाला क्षण बहुत भावुक करने वाला था. मैंने गीत भी सुनाया था: *चलते-चलते मेरे ये गीत याद रखना.*

● छठ पर्व आने वाला है. इस साल नया क्या ला रही हैं?

खुशी होती है कि छठ के मेरे गीतों को देश ही नहीं, विदेश के लोग भी सुनकर भावुक हो उठते हैं. 2016 में एक बार फिर छठ के मेरे गीत *पहिले पहिल छठी मइया* और *सुपवो न मिले माई ने* लोकप्रियता के नए मुकाम हासिल किए थे. इस साल मैंने अपना गीत *अइसन बिपतिया आएल* भारत सरकार को दिया है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जारी किया जा रहा है.

● क्या करने को अभी रह गया है?

मंच प्रस्तुतियों की शुरुआत हुई है. पहले की कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अब करना चाहती हूं. हिंदी की अपनी कुछ पसंदीदा कविताएं भी गाना चाहती हूं. साथ ही अपने मंच 'स्वर शारदा' के माध्यम से युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहती हूं.

–आलोक पराड़कर

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE